हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

क्रान्ति

मार्च 2017

- मुस्लिम पर्सनल लॉ : आपत्तियां क्यों ?
  –प्रो॰ उमर हयात ख़ां ग़ौरी
- मुस्लिम पर्सनल लॉ में अनुचित हस्तक्षेप
  –डॉ॰ मुहम्मद नजीब क़ासिमी
- दलित चेतना और इस्लाम
  –एच॰ अब्दुर्रक़ीब
- डायन की आड़ में महिलाओं का दमन
  –बाबू लाल नागा

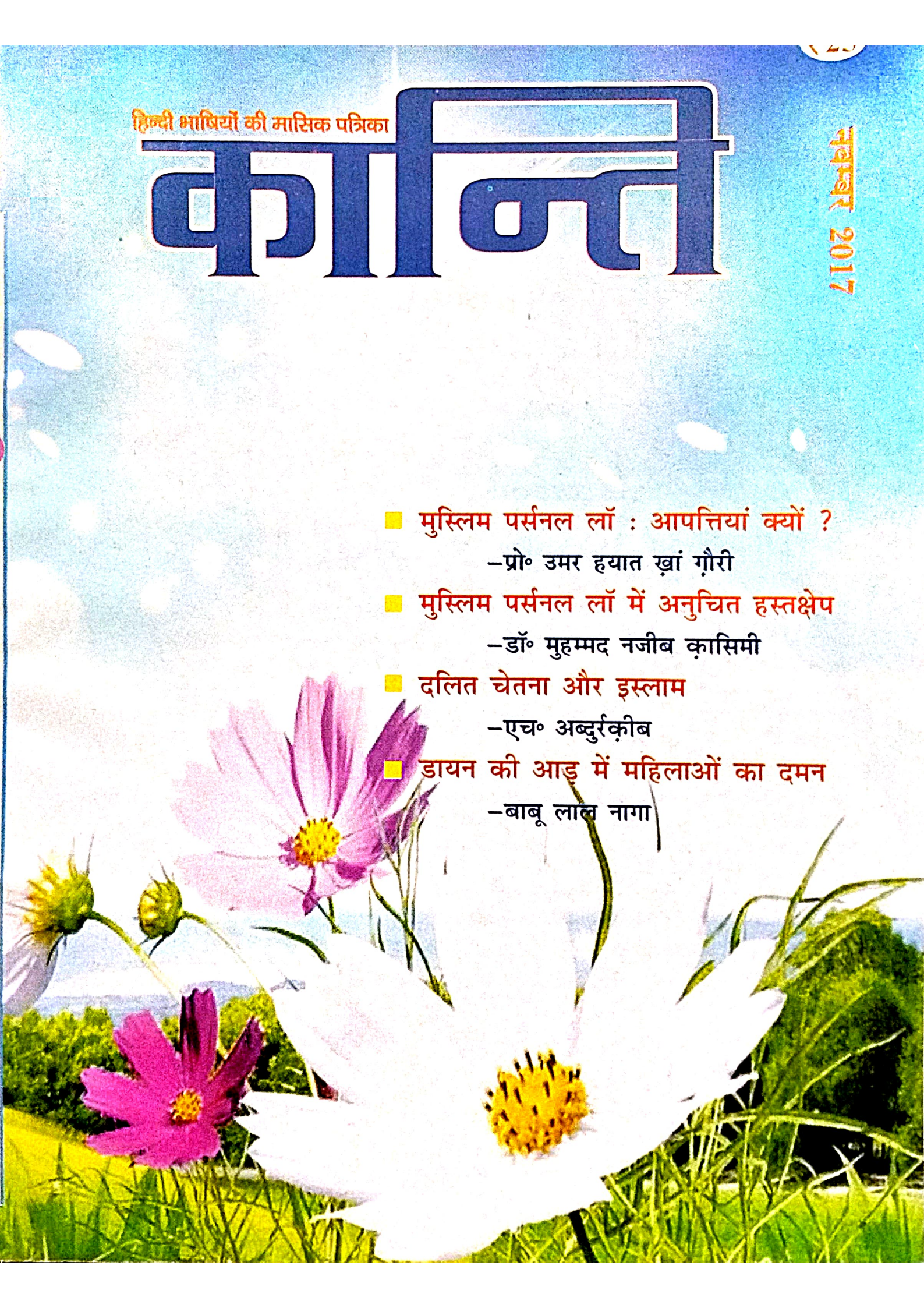

Shiraz
Golden Restaurant

135, Park Street, Kolkata - 700 017
Phone : 2286-6806, 2286-6795, 2286-7272, 2286-7273
Mb : 8101600600



Outlet	
Ajay Nagar	033 2416 4591
Airport	033 3192 3131
Salt Lake - I	033 2334 9263
Salt Lake - II	84438 08899
Phool Bagan	033 2353 9466

Awadhi cuisine is reminiscent of its illustrious gourmet nawab like Asaf-ud-Daulah and Wajid Ali Shah. The unrivalled repertory of Awadhi delicacles, that we savor today had the royal imprimatur. Awadhi cuisine has traveled far and wide. But it is believed that only a handful of chefs with royal khansama lineage know the secret ingredients, Spices like zafran, cinnamon and cardamom, dried fruits and herbs are used extensively.a

Awadhis become royal delicacies fit for the sovereign at banquets and hunts, And they embellished the "Dum Pukht" style of cooking with aromatic ingredients, dried fruits, and aphrodisiacs that delighted the insatiable Nawab no-end and engaged the services of his vast harem fulltime. Dum Pukht is an elatorate method of cooking in big cauldrons filled with rice, mutton, vegetable and spices, and then sealed with dough and cooked over a mild flame.

DESSERT & DINNER

Tea	15.00
Shahi Tukra	60.00
Firni	50.00
Soft Drink	25.00
Mineral Water	25.00

Ice Cream also Available





OUR SPECIALITY

Murgh Mussallam	600.00
Khuska	130.00
Khassi Mussallam	9.000.00
Khassi Tangri Kebab	3.000.00

आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

हिन्दी भाषियों की मासिक पत्रिका

कान्ति

वर्ष 27 अंक 5 नवम्बर 2017

कह दो : मैं तो तुम्हीं जैसा एक मनुष्य हूं । मेरी ओर प्रकाशना की जाती है कि तुम्हारा पूज्य प्रभु बस अकेला पूज्य प्रभु है । अतः तुम सीधे उसी का रुख़ करो और उसी से क्षमा-याचना करो । –क़ुरआन

संपादक

डॉ० मुहम्मद अहमद

अपने विचार, लेख, रचनाएं भेजने एवं संपादकीय मामलों के लिए लिखें–

संपादक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल editorkanti@yahoo.com

* * *

ख़रीदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए लिखें–

प्रबंधक, 'कान्ति' मासिक

डी-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव

जामिया नगर, नयी दिल्ली–110025

ई मेल managerkantidelhi@gmail.com

* * *

फ़ोन संपादकीय एवं प्रबंधकीय

011-26949430, 09818799223

सहयोग राशि

एक प्रति रु० 25/- विशेषांक रु० 50/-

वार्षिक रु० 270/-, दो वर्ष 500/-

पांच वर्ष 1100/-, आजीवन रु० 6000/-

सऊदी अरब और खाड़ी के देशों से–110 रियाल

यूरोप व अमेरिका से–40 US डॉलर

वेब : **www.kanti.in**

चेक / ड्राफ्ट **'कान्ति'** के नाम से बनवाएं

ख़ून की पहचान

आदमी यहां
हर आदमी को
नहीं दे सकता ख़ून
बचाने को उसकी जान
क्योंकि होता है
सबका ख़ून
अलग-अलग ब्लड ग्रुप का
बहुत झंझट हैं ख़ून चढ़ाने में
उसे ढूंढ़कर लाने में
बचाने में किसी की जान
करनी पड़ती है
ख़ून की पहचान
लेकिन बहाने के लिए
किसी का ख़ून
लेने में जान किसी की
ज़रूरत नहीं होती
ब्लड ग्रुप मैच करने की
क़रने की
ख़ून की पहचान
बहाने के लिए
किसी का ख़ून
बस काफ़ी होता है
जानना उसका धर्म
कभी-कभी जाति
इसी से आजकल
बहुत सुविधा हो गयी है
हो गया है बहुत आसान
बहाना ख़ून
चाहे जब
चाहे जिसका
चाहे जिस कारण से ।

सीताराम गुप्ता
पीतमपुरा, दिल्ली-34



कहां क्या है ?

ख़ून की पहचान (कविता)	–सीताराम गुप्ता	3
क़ुरआन ज्योति		5
न्यायप्रिय हाकिम (हदीस मंजरी)		6
रोहिंग्या समस्या : शीघ्र समाधान अपेक्षित (संपादकीय)		7
सोदेश्य पत्रिका (आपके पत्र)		11
गोरक्षकों को उचित परामर्श (अभिमत)	–जमील अहमद ख़ां	12
ईश्वरीय धर्म इस्लाम (आस्था)	–संपादन प्रभाग	13
दलित चेतना और इस्लाम (चेतना)	–एच॰ अब्दुर्रक़ीब	17
लोकलाज, बड़ा नाम, तमीज़ (लघुकथाएं)	–अशोक यादव	19
जान न्योछावर करने वाले एक सहाबी (नेकी के सिपाही)	–माहिरुल क़ादिरी	21
मुस्लिम पर्सनल लॉ : आपत्तियां क्यों ? (विशेष आयोजन)	–प्रो॰ उमर हयात ख़ां ग़ौरी	26-27
समान सिविल कोड की समस्या (विशेष आयोजन)	–शम्स पीरज़ादा	37
मुस्लिम पर्सनल लॉ में अनुचित हस्तक्षेप (विशेष आयोजन)	–डॉ॰ मुहम्मद नजीब क़ासिमी	43
डायन की आड़ में महिलाओं का दमन जारी (महिला जगत)	–बाबू लाल नागा	45
बच्चे और इंटरनेट (बालवीथी)		49

कुरआन ज्योति

(42) इनमें बहुत-से लोग हैं जो तेरी बातें सुनते हैं, परन्तु क्या तू बहरों को सुनाएगा चाहे वे कुछ न समझते हों ?[50] (43) इनमें बहुत-से लोग हैं जो तुझे देखते हैं, मगर क्या तू अंधों को राह बताएगा चाहे उन्हें कुछ न सूझता हो ?[51]

–क़ुरआन, 10 : 42,43

50. एक सुनना तो इस प्रकार का होता है जैसे जानवर भी आवाज़ सुन लेते हैं । दूसरा सुनना वह होता है जिसमें अर्थ की ओर ध्यान हो और यह तत्परता पायी जाती हो कि बात अगर उचित होगी तो उसे मान लिया जाएगा । जो लोग किसी विद्वेष में पड़े हों और जिन्होंने पहले से फ़ैसला कर लिया हो कि अपने पैतृक विश्वासों और कार्य-प्रणालियों के विरुद्ध और अपने मन की चाहतों और रुचियों के विरुद्ध कोई बात, चाहे वह कैसी ही उचित हो, मानकर न देंगे, वे सब कुछ सुनकर भी कुछ नहीं सुनते । इसी तरह वे लोग भी कुछ सुनकर नहीं देते जो दुनिया में जानवरों की तरह ग़फ़लत की ज़िन्दगी बसर करते हैं और चरने-चुगने के सिवा किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं रखते या मन की कामनाओं और इच्छाओं के पीछे ऐसे मस्त होते हैं कि उन्हें इस बात की कोई चिन्ता ही नहीं होती कि हम यह जो कुछ कर रहे हैं यह सही भी है या नहीं । ऐसे सब लोग कानों के तो बहरे नहीं होते, पर दिल के बहरे होते हैं ।

51. यहां भी वही बात कही गयी है जो ऊपर के वाक्य में है । सिर की आंखें खुली होने से कोई लाभ नहीं । उनसे तो जानवर भी आख़िर देखता ही है । वास्तविक चीज़ दिल की आंखों का खुला होना है । यह चीज़ अगर किसी आदमी को प्राप्त न हो तो वह सब कुछ देखकर भी कुछ नहीं देखता ।

इन दोनों आयतों में सम्बोधन तो नबी (सल्ल०) से है, पर निन्दा उनकी की जा रही है जिनका सुधार आप चाहते थे और इस निन्दा का उद्देश्य भी केवल निन्दा करना नहीं है, बल्कि व्यंग्य का वाण इसलिए चुभोया जा रहा है कि उनकी सोई हुई मानवता उसकी चुभन से कुछ जागे और उनके कान और आंख से उनके दिल तक जाने वाला रास्ता खुले, ताकि सर्वथा उचित और मन को छूने वाली बात वहां तक पहुंच सके । यह वर्णनशैली कुछ इस प्रकार की है जैसे कोई भला आदमी बिगड़े हुए लोगों के बीच श्रेष्ठतम नैतिक आचरण के साथ रहता हो और अति निष्ठा और सहानुभूति के साथ उनको उसकी उस गिरी हुई दशा का एहसास दिला रहा हो जिसमें वे पड़े हुए हैं और बड़ी यथार्थता और गंभीरता के साथ उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हो कि उनकी जीवनशैली में क्या दोष है और जीवन की सही शैली क्या है । मगर कोई न तो उसके पवित्र जीवन से शिक्षा लेता हो, न उसकी इन सहानुभूतिपूर्ण बातों की ओर ध्यान देता हो । इस हालत में ठीक उस समय जबकि वह उन लोगों को समझाने में लगा हो और वे उसकी बातों को सुनी-अनसुनी किये जा रहे हों, उसका कोई मित्र आकर उससे कहे कि भाई ! यह तुम किन बहरों को सुना रहे हो और किन अंधों को रास्ता दिखाना चाहते हो, उनके तो दिल के कान बन्द हैं और उनके हृदय की आंखें फूटी हुई हैं । यह बात कहने से उस मित्र का उद्देश्य यह नहीं होगा कि वह भला मर्द अपनी सुधारात्मक कोशिशों से बाज़ आ जाए । बल्कि वास्तव में उसका उद्देश्य यह होगा कि शायद इस व्यंग्य और निन्दा ही से उन नींद के मतवालों को कुछ होश आ जाए ।

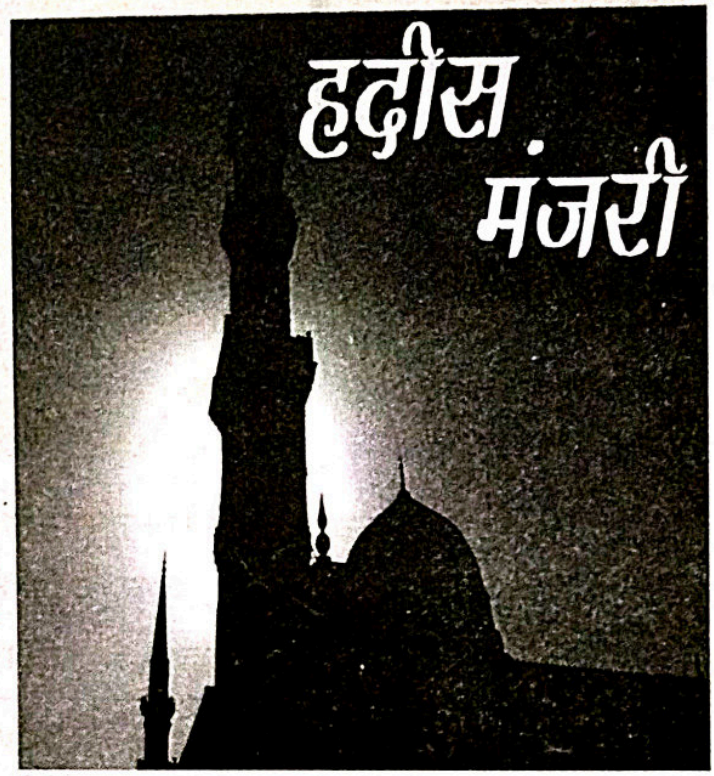

न्यायप्रिय हाकिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "सात व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह उस दिन अपने साये में ले लेगा जिस दिन उसके साये के अतिरिक्त कोई साया नहीं होगा । (और वे ये हैं) : न्यायशील शासक, वह नवयुवक जो गरिमा के स्वामी प्रतापवान अल्लाह की बन्दगी करते हुए जवान हुआ, वह व्यक्ति जिसका दिल मस्जिद से लगा रहे, और वे दो व्यक्ति जो अल्लाह के लिए एक-दूसरे से प्रेम करें, मिलें तो उसी के लिए, अलग हों तो उसी के लिए, वह व्यक्ति जिसे किसी सुन्दर और रूपवती स्त्री ने अपने ओर बुलाया तो उसने कहा : मैं अल्लाह से डरता हूं, वह व्यक्ति जो दान दे तो उसको इतना छुपाये कि उसके बायें हाथ को मालूम न हो कि दायें हाथ ने क्या ख़र्च किया, और वह व्यक्ति जो अकेले में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू बह पड़े ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन अल-आस (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "न्याय करने वाले अल्लाह के पास प्रकाश के मिंबरों (पीठक) पर होंगे । ये वे लोग होंगे जो अपने हुक्म में और अपने घर वालों में और जो कुछ उनके अधिकार-क्षेत्र में हो उसमें न्याय से काम लेते हैं ।" –मुस्लिम

हाकिमों के आदेशों का सशर्त पालन

● हज़रत इब्न उमर (रज़ि॰) से रिवायत है कि नबी (सल्ल॰) ने कहा : "सुनना और आज्ञापालन करना मुस्लिम व्यक्ति के लिए अनिवार्य है चाहे वह उसको पसन्द हो या नापसन्द हो सिवाय इसके कि उसको गुनाह का कोई हुक्म दिया जाए । तो जब उसे किसी गुनाह का हुक्म दिया जाए, तो न सुनना है और न आज्ञापालन करना ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "मेरे बाद ऐसा अधिमान और ऐसी चीज़ें सामने आएंगी जिनको तुम नापसन्द करोगे ।" सहाबा ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल॰), हममें से जो व्यक्ति इस हालत को देखे, उसके लिए आपका क्या आदेश है ? आपने कहा : "जो हक़ तुम पर है अदा करना और अपना हक़ अल्लाह से मांगना ।"

–बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत अबू हुरैरा (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जिस किसी ने मेरी आज्ञा का पालन किया, उसने अल्लाह की आज्ञा का पालन किया । और जिस किसी ने मेरी अवज्ञा की उसने अल्लाह की अवज्ञा की । और जिसने हाकिम की आज्ञा का पालन किया, उसने मेरी आज्ञा का पालन किया और जिसने हाकिम की अवज्ञा की, उसने मेरी अवज्ञा की ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

● हज़रत इब्न अब्बास (रज़ि॰) से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "जो व्यक्ति अपने अमीर (हाकिम) की तरफ़ से कोई ऐसी चीज़ देखे जो उसे नागवार हो, तो उसे चाहिए कि सब्र करे । क्योंकि जो व्यक्ति हाकिम से एक बालिश्त (बित्ता) भी अलग हो गया, उसकी मृत्यु अज्ञानकाल की मृत्यु होगी ।" –बुख़ारी, मुस्लिम

(रियाज़ुस्सालिहीन' से)

इस्लाम-परिचय : हिन्दी वेबसाइटें

www.islamdharma.org
www.islamic videos.com
www.islamicwebdunia.com
www.quranhindi.com

रोहिंग्या समस्या : शीघ्र समाधान अपेक्षित

रोहिंग्या समस्या के शीघ्र हल के लिए विभिन्न स्तरों पर जो प्रयास किये जा रहे हैं, उनकी जितनी सराहना और प्रशंसा की जाए, कम है, क्योंकि यह पूरी तरह एक मानवीय समस्या है । संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेश ने अपने ताज़ा बयान में कहा है कि म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमान 'मानवीय आपदा' का सामना कर रहे हैं । गुटेरेश ने कहा कि रोहिंग्या ग्रामीणों के घरों पर सुरक्षा बलों के कथित हमलों को किसी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता । उन्होंने म्यांमार से सैन्य कार्रवाई रोकने एवं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अपील की है । उन्होंने कहा, ''पिछले हफ़्ते बंगलादेश भागकर आने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों की संख्या एक लाख 25 हज़ार थी । अब यह संख्या तीन गुनी हो गयी है ।'' संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा, ''उनमें से बहुत सारे अस्थायी शिविरों में या मदद कर रहे लोगों के साथ रह रहे हैं, लेकिन महिलाएं और बच्चे भूखे और कुपोषित हालत में पहुंच रहे हैं ।'' संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि बंगलादेश में अस्थायी शिविरों में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को मिल रही मदद नाकाफ़ी है । संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद के प्रमुख ज़ैद रअद अल-हुसैन ने पिछले दिनों कहा, 'ऐसे वक़्त में जब रोहिंग्या अपने देश में हिंसा का शिकार हो रहे हैं, तब भारत की ओर से उन्हें वापस भेजने की कोशिशों की, जिसकी मैं निंदा करता हूं ।' मानवाधिकार परिषद को संबोधित करते हुए हुसैन ने कहा कि क़रीब 40,000 रोहिंग्या भारत में आकर बसे हैं । इनमें से 16,000 के पास शरणार्थी के तौर पर दस्तावेज़ हैं । भारत को अंतर्राष्ट्रीय क़ानूनों से बंधे होने की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा, 'भारत इस तरह से सामूहिक तौर पर किसी को निष्कासित नहीं कर सकता । वह लोगों को ऐसे स्थान पर लौटने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, जहां उनके उत्पीड़न और अन्य तरीक़ों से सताए जाने का ख़तरा है ।' रोहिंग्या लोगों के ख़िलाफ़ म्यांमार में जारी हिंसा को लेकर हुसैन ने कहा, 'अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय के ख़िलाफ़ हिंसा और अन्याय नस्ली सफ़ाये की मिसाल मालूम पड़ती है ।' संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के सत्र को संबोधित करते हुए ज़ैद रअद अल-हुसैन ने पहले 11 सितंबर, 2001 को अमेरिका में हुए आतंकी हमले की बरसी का उल्लेख किया और फिर म्यांमार में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर चिंता प्रकट की। उन्होंने बुरुंडी, वेनेजुएला, यमन, लीबिया और अमेरिका में मानवाधिकार से जुड़ी चिंताओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हिंसा की वजह से म्यांमार से 270,000 लोग भागकर पड़ोसी देश बंगलादेश पहुंचे हैं । उन्होंने सुरक्षा बलों और स्थानीय मिलीशिया द्वारा रोहिंग्या लोगों के गांवों को जलाए जाने और न्याय से इतर हत्याएं किए जाने की ख़बरों और तस्वीरों का भी उल्लेख किया । उन्होंने कहा कि म्यांमार ने मानवाधिकार जांचकर्ताओं को जाने की इजाज़त नहीं दी है । ऐसे में मौजूदा स्थिति का पूरी तरह से आकलन नहीं किया जा सकता, लेकिन यह स्थिति नस्ली सफ़ाये की ओर संकेत कर रही है । म्यांमार में क़रीब दस लाख रोहिंग्या मुस्लिम रहते हैं

और वे इस देश में सदियों से रहते आये हैं, लेकिन म्यांमार के बौद्ध और वहां की सरकार इन लोगों को अपना नागरिक नहीं मानती है । इन्हें 2014 की म्यांमार की जनगणना रिपोर्ट में नहीं शामिल किया गया है । इन्हें 'रोहिंग्या' कहा जाता है । म्यांमार सरकार ने इन्हें नागरिकता देने से इन्कार कर दिया है, जबकि वे कई पीढ़ियों से म्यांमार में निवासित हैं । इस प्रांत में 2012 से बड़े पैमाने पर रोहिंग्या विरोधी हिंसा जारी है ।

अत: रोहिंग्या लोगों को म्यांमार में भीषण दमन का सामना करना पड़ता है । बरसों से बड़ी संख्या में रोहिंग्या लोग बंगलादेश और थाईलैंड की सीमा पर स्थित शरणार्थी शिविरों में अमानवीय स्थितियों में रहने को विवश हैं । 1400 ई॰ के आसपास ये लोग ऐसे पहले मुसलमान हैं जो कि बर्मा के अराकान (रखाइन) प्रांत में आकर बस गये थे । इनमें से बहुत से मुसलमान 1430 में अराकान पर शासन करने वाले बौद्ध राजा नारामीखला (बर्मी में मिन सा मुन) के राज दरबार में नौकर थे । इस राजा ने मुस्लिम सलाहकारों और दरबारियों को अपनी राजधानी में प्रश्रय दिया था । अराकान म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर है और यह आज के बंगलादेश (जो कि पूर्व में बंगाल का एक हिस्सा था) की सीमा के पास है । इस समय के बाद अराकान के राजाओं ने खुद को मुग़ल शासकों की तरह समझना शुरू किया । ये लोग अपनी सेना में मुस्लिम पदवियों का उपयोग करते थे । इनके दरबार के अधिकारियों ने नाम भी मुस्लिम शासकों के दरबारों की तर्ज पर रखे गये । 1785 में बर्मा के बौद्ध लोगों ने देश के दक्षिणी हिस्से अराकान पर क़ब्ज़ा कर लिया । तब उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों को या तो इलाक़े से बाहर खदेड़ दिया या फिर उनकी हत्या कर दी । इस अवधि में अराकान के क़रीब 35 हज़ार लोग बंगाल जाने को मजबूर किये गये, जो अंग्रेज़ों के अधिकार क्षेत्र में था ।

1824 से लेकर 1826 तक अंग्रेज़ों और बर्मी लोगों के बीच चले युद्ध के बाद 1826 में अराकान अंग्रेज़ों के नियंत्रण में आ गया । तब अंग्रेज़ों ने बंगाल के स्थानीय बंगालियों को प्रोत्साहित किया कि वे अराकान जनसंख्या रहित क्षेत्र में जाकर बस जाएं । रोहिंग्या मूल के मुस्लिमों और बंगालियों को प्रोत्साहित किया गया कि वे अराकान (रखाइन) में बसें । ब्रिटिश भारत से बड़ी संख्या में इन प्रवासियों को लेकर स्थानीय बौद्ध राखिन लोगों में विद्वेष की भावना पनपी और तभी से जातीय तनाव पनपा जो अब तक चल रहा है । दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के बढ़ते दबदबे से आतंकित अंग्रेज़ों ने अराकान छोड़ दिया और उनके हटते ही मुसलमानों और बौद्ध लोगों में हिंसा शुरू हो गयी । बहुत से रोहिंग्या मुस्लिमों को उम्मीद थी कि वे अंग्रेज़ों से सुरक्षा और संरक्षण पा सकते हैं । इस कारण इन लोगों ने जापान विरोधी ताक़तों के लिए जापानी सैनिकों की जासूसी की । जब जापानियों को यह बात पता लगी तो उन्होंने रोहिंग्या मुस्लिमों के ख़िलाफ़ यातनाएं देने, हत्याएं और उनकी महिलाओं को सताने का सिलसिला शुरू किया । इससे डर कर अराकान से लाखों रोहिंग्या मुसलमान एक बार फिर बंगाल भाग गये । दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति और 1962 में जनरल नेविन के नेतृत्व में तख़्तापलट की कार्रवाई के दौर में रोहिंग्या मुस्लिमों ने अराकान में एक अलग रोहिंग्या देश बनाने की मांग रखी, लेकिन तत्कालीन बर्मी सेना के शासन ने यांगून (पूर्व का रंगून) पर क़ब्ज़ा करते ही अलगाववादी और ग़ैर-राजनीतिक दोनों ही प्रकार के रोहिंग्या लोगों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की ।

सैनिक शासन ने रोहिंग्या लोगों को नागरिकता देने से इन्कार कर दिया और इन्हें राज्य विहीन जन घोषित कर दिया । संयुक्त राष्ट्र की कई रिपोर्टों में कहा गया है कि रोहिंग्या दुनिया के ऐसे अल्पसंख्यक लोग हैं, जिनका लगातार सबसे अधिक दमन किया गया है । बर्मा के सैनिक शासकों ने 1982 के नागरिकता क़ानून के आधार पर उनसे नागरिकों के सारे अधिकार छीन लिए हैं । सरकारी प्रतिबंधों के कारण ये पढ़-लिख भी

नहीं पाते हैं तथा केवल बुनियादी इस्लामी तालीम हासिल कर पाते हैं ।

म्यांमार (बर्मा) के शासकों और सैन्य सत्ता ने इनका कई बार नरसंहार किया । इनकी बस्तियों को जलाया गया, इनकी ज़मीन को हड़प लिया गया, मस्जिदों को बर्बाद कर दिया गया और इन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया गया । ऐसी स्थिति में ये बंगलादेश की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं, थाईलैंड की सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसते हैं या फिर सीमा पर ही शिविर लगाकर बने रहते हैं । 1991-92 में दमन के दौर में क़रीब ढाई लाख रोहिंग्या बंगलादेश चले गये थे । इससे पहले इनको सेना ने बंधुआ मज़दूर बनाकर रखा, लोगों की हत्याएं भी की गयीं, यातनाएं दी गयीं और बड़ी संख्या में महिलाओं से बलात्कार किये गये । संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं रोहिंया लोगों की नारकीय स्थितियों के लिए म्यांमार की सरकारों को दोषी ठहराती रही हैं, लेकिन सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ता है । पिछले बीस वर्षों के दौरान किसी भी रोहिंग्या स्कूल या मस्जिद की मरम्मत करने का आदेश नहीं दिया गया है । नये स्कूल, मकान, दुकानें और मस्जिदों को बनाने की इन्हें इजाज़त ही नहीं दी जाती है । अति दुख और आश्चर्य की बात यह है कि रोहिंग्या विरोधी हिंसा में बौद्ध भिक्षु भी भाग लेने लगे हैं । इस स्थिति को देखने के बाद भी लोकतंत्र एवं मानवाधिकार की दम भरने वाली म्यांमार की सत्ताधारी नेता आंग सान सू की चुप हैं । इन अत्याचारों पर उनकी बोलती बंद है । अगर बोलती हैं तो केवल यह कि रोहिंग्या म्यांमार के नागरिक नहीं हैं, अर्थात वही सुर जो हिंसावादियों का है, वही सू की का है । म्यांमार का कोई भी नेता नहीं कहता कि रोहिंग्या को देश का वैधानिक नागरिक बनाया जाएगा । सब फ़ौजी शासकों से डरे हुए हैं । इन शासकों ने बड़ी कुटिल नीतियां अपनाई हैं । इन्होंने आंग सान सू की के नेतृत्व वाले लोकतांत्रिक आंदोलन का असर कम करने के लिए दो फॉर्मूलों पर अमल किया था । एक तो चीन के साथ नज़दीकी बनाकर भारत के लोकतंत्र समर्थक रुझान को कुंद कर दिया और दूसरी ओर बहुसंख्यक कट्टरपंथ की पीठ पर अपना हाथ रखकर खुद को धर्म-संस्कृति और राष्ट्रीय अखंडता के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में पेश किया । इसमें वे कामयाब रहे और सू की को "आत्म समर्पण" करना पड़ा । अब सही मायने में संयुक्त राष्ट्र ही रोहिंग्या मुसलमानों के हितार्थ एक बड़ी शक्ति के रूप में सामने है, जिसकी बार-बार सराहना की जानी चाहिए । संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने म्यांमार को चेतावनी दी है कि यदि वह एक विश्वसनीय देश के रूप में देखा जाना चाहता है, तो उसे देश के पश्चिमी हिस्से में रह रहे अल्पसंख्यक मुसलमानों पर बौद्धों के हमले रोकना होगा । संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि कुल आठ लाख रोहिंग्या आबादी का क़रीब एक चौथाई भाग विस्थापित है और उससे ज़्यादा बुरा हाल अभी दुनिया की अन्य किसी भी विस्थापित क़ौम का नहीं है । रोहिंग्या विस्थापितों का सबसे बड़ा हिस्सा थाईलैंड और बंगलादेश में रह रहा है, लेकिन अब भारत, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे नज़दीकी देशों में भी वे मौजूद हैं । भारत आतंकी कनेक्शन के बहाने उन्हें अपने यहां से निकालना चाहता है । बोधगया में हुए बम विस्फोटों से जुड़कर म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों का नाम चर्चा में आया था, जबकि पिछले साल आई॰बी॰ की एक रिपोर्ट में दर्ज एक आशंका के सिवाय इसका अन्य कोई आधार नहीं है । भारत सरकार को चाहिए कि वह अपने फ़ैसले पर पुनर्विचार करे और रोहिंग्या शरणार्थियों को उस समय तक शरण दे, जब तक कि अपने देश लौट नहीं जाते । म्यांमार सरकार से बातचीत कर इनकी समस्या का शीघ्र समाधान करवाना भारत सरकार की विदेश नीति का प्रमुख हिस्सा बनना चाहिए । यह उसकी गरिमा और परंपरा के अनुकूल बात होगी ।

हमारी अहम पुस्तकें

आवागमनीय पुर्नजन्म	डॉ० मुहम्मद अहमद	50.00
अनेकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	70.00
एकेश्वरवाद की वास्तविकता	मौलाना अमीन अहसन इस्लाही	35.00
एक ईश्वर की धारणा	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	40.00
परलोक की छाया में	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	90.00
पहेली जीवन की	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	12.00
रिसालत	मुहम्मद फ़ारूक़ खाँ	45.00
लोगोः हिसाब का समय निकट आ चुका है	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	14.00
खुदा की गुलामी इंसान की बुलन्दी	मौलाना सैय्यद जलालुद्दीन उमरी	18.00
जीवन मृत्यु के पश्चात्	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
बनाव और बिगाड़	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	12.00
शान्ति-मार्ग	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
सोचने की बातें	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
प्यारी माँ के नाम इस्लामी संदेश	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फ़लाही	10.00
मानव जीवन और परलोक	शोबा-ए-दावत	24.00
मुक्ति-मार्ग	इनामुर्रहमान ख़ाँ	10.00
मौत के बाद क्या?	डॉ० शाहिद अली	10.00
मरने के बाद क्या होगा?	बिन्तुल इस्लाम	60.00
सत्य की खोज	मौलाना वहीदुद्दीन खाँ	22.00
नबी करीम (सल्ल०) की दुआएँ (पाकेट साइज़)	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	64.00
रमज़ान कैसे गुज़ारें?	खुर्रम मुराद	26.00
रोज़ा और उसका असली मक़्सद	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	10.00
इबादत	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	16.00
इस्लाम में पाकी और सफाई	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	20.00
नमाज़ में आप क्या पढ़ते हैं?	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
इमान की कसौटी	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	08.00
खुतबाते हरम	मौलाना सैय्यद अबुल आला मौदूदी	18.00
नमाज़	मौलाना नसीम ग़ाज़ी फलाही	14.00

MMI PUBLISHERS
D-307,Dawat Nagar,Abul Fazal Enclave,Jamia Nagar,New Delhi-110025
Phone: 26981652,26984347 Fax: 26987858
E-mail:mmipublishers@gmail.com Website: www.mmipublishers.net

सोद्देश्य पत्रिका

आप मेरे ऊपर सदैव कृपालु रहे हैं, लंबे समय से आप 'कान्ति' जैसी वैचारिक और सोदेश्य पत्रिका पढ़ने का सौभाग्य मुझे दे रहे हैं । आपके कुशल संपादन में पत्रिका बहुत संतुलित और उपयोगी सामग्री देती है । आपने पत्रिका मुझे तब भेजना प्रारंभ की थी जब मैं युवा था । अब तो सठिया कर सेवामुक्त भी हो गया हूं परंतु न तो ऐसा हुआ कि पत्रिका का कोई अंक विलंबित हुआ और न कभी किसी महीने मुझे 'कान्ति' न मिली हो ऐसा भी नहीं हुआ ।

यद्यपि पत्रिका में सभी लेखकों के विचारों से सहमत होना न तो संभव है और न मैं सर्वदा होता हूं परन्तु यही भारतीय संस्कृति की विशेषता है । हमें असहमति का सम्मान करना चाहिए, मैं भी करता हूं । इस अंक में इलियास हुसैन जी का धूमिल पर लिखा आलेख मुझे अच्छा लगा है । इस्लाम के विविध व्यावहारिक पहलुओं से आप सदैव परिचित कराते ही रहते हैं । धर्म को आधुनिक जीवन में प्रासंगिक बनाने की यह चेष्टा प्रशंसनीय है । 'आर्थिक विकास का इस्लामी दृष्टिकोण' आलेख भी उत्तम व पठनीय लगा । मेरा मानना है कि हिन्दू सच्चे हिन्दू और मुसलमान सच्चे मुसलमान बनें तो परस्पर विरोध की खाई निश्चित रूप से पट जाएगी । श्याम नारायण चौहान के आलेख में धर्मों के भीतर जो एकात्मता अनुरूयूत है उसी को दिखाने का प्रयास है ।

आपको साधुवाद देता है । पत्रिका के फलने-फूलने की कामना करता हूं ।

रामसनेही लाल शर्मा 'यायावर'

तिलक नगर बाईपास रोड, फ़ीरोज़ाबाद (उ०प्र०)

आर्थिक मुआवज़ा और पी०पी०पी०

प्राकृतिक आपदाओं में मृतकों के परिजनों को मुआवज़ा देने लेकिन प्रशासकीय शासकीय राजनीतिक भ्रष्टाचार कर्तव्यशिथिलता कर्तव्यविमूढ़ता के कारण हुई मृत्युओं पर मृतक के परिजनों को मुआवज़ा देने में अंतर है । सड़क दुर्घटनाओं से लेकर रेंजिशन हत्याओं और सामाजिक धार्मिक उन्मादों पर हुई मृत्यु तक पर जनआक्रोश शांत करने के साथ-साथ राजनीतिक लाभ लेने के लिए भी अधिकारियों और नेताओं ने मृतक के परिजनों एवं घायलों को मुआवज़ा देना एक आसान रास्ता खोज लिया है और आनन-फानन में मुख्यमंत्री कार्यालय या पी०एम० कार्यालय से मुआवज़ा घोषित हो भी जाता है लेकिन इस मुआवज़े का आर्थिक भार उन लोगों को उठाना पड़ता है जिनका इन मृत्यु से कोई संबंध तक नहीं है ।

कहना कहीं ग़लत न होगा कि संसद विधानसभा के दोनों सदनों के माननीयों का वेतन भत्ता भी एक तरह से लोकतांत्रिक मुआवज़ा ही है क्योंकि इनका वेतन भत्ता करमुक्त है, जबकि इनका बोझ भारतीय करदाताओं को उठाना पड़ता है और इसके बदले जनता को इनसे क्या मिलता है यह जगज़ाहिर है ? प्राकृतिक आपदाओं में भी मुआवज़ा मृतक की आय के अनुपात में घोषित होना और घायल का पूरा इलाज मुफ़्त होना चाहिए और विकलांग होने की स्थिति में ही मुआवज़ा देना चाहिए लेकिन कहीं दुर्घटना सरकारी तंत्र के भ्रष्टाचार या लापरवाही के कारण हुई है, तो ज़िम्मेदार विभाग के अधिकारियों व मंत्रियों से ही मुआवज़ा वसूलना चाहिए और इसी मुआवज़े को मृतकों में बराबर बांटना चाहिए ताकि इसका बोझ बेक़सूर करदाताओं पर डालना चाहिए ।

आज़ादी मिलने पर भारत को सीमित विद्युतीकरण, सीमित सड़क ट्रांसपोर्ट, सीमित टेलीफ़ोन और टेलीग्राफ़ नेटवर्क, सीमित पोस्टल संचार, विकसित तहसील ज़िला मंडल प्रशासन तंत्र, विकसित सिंचाई नहर नेटवर्क, अनुशासित म्यूनिसिपल नगर सफ़ाई व्यवस्था और विस्तृत फैला रेलवे नेटवर्क भी विरासत में मिला था और प्राइमरी शिक्षा एवं प्राथमिक चिकित्सा स्वास्थ्य भी म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा संचालित थे । अब अंग्रेज़ों का शासन कैसा था यह विषय प्रासंगिक नहीं है लेकिन यह अवश्य विचारणीय प्रश्न है कि अंग्रेज़ों को भारत में प्रवेश कैसे मिला ? ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर आधुनिक परिवेश में देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी पी०पी०पी० मॉडल ही थी जिसने भारत में व्यापार शुरू किया और अन्तोगत्वा अंग्रेज़ों को भारत से भगाने में शताब्दी से भी अधिक समय लग गया । यह सुरक्षित करना अनिवार्य है कि रिटेल के साथ बहुत से क्षेत्रों में सौ परसेंट एफ०डी०आई० और विकास का पी०पी०पी० मॉडल कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा आमंत्रण तो नहीं ?

रचना रस्तोगी

मेरठ

गोरक्षकों को उचित परामर्श

अधिकतर प्रदेशों की सरकारों में गोवध रोकने का क़ानून बना दिया है जिसमें सख़्त सज़ा है । क़ानून को अपना काम करने दीजिए किसी को क़ानून अपने हाथ में लेने और अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है । महज़ शक की बुनियाद पर किसी मानव को पीट-पीटकर उसका वध कर देना मानवता के प्रति और क़ानून की दृष्टि में बहुत अपराध है और जघन्य पाप है । ब्रह्मांड का रचनाकार ब्रह्म जो अद्वितीय है और महानतम दयालु है । उसके बहुत से नाम हैं, उसका एक नाम अल्लाह है, जिसका बहुवचन नहीं है । मानव उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना है ।

जिस तरह से यह सत्य है कि भारत की जनसंख्या में गोभक्त ही बहुसंख्यक है । गोपालकों में गोभक्तों की संख्या अधिक है । जब गाय बूढ़ी हो जाती है और दूध देना कम या बन्द कर देती है, तब यह अलाभकारी हो जाती है और पालकों के ऊपर बोझ बन जाती है और अब यह गोपालक ही इन गायों को बाज़ार का रास्ता दिखाता है । किसान गोपालक की अर्थव्यवस्था इतनी मज़बूत नहीं होती है कि वे इन गायों को अपने पास रख सकें । अब गोरक्षकों/गोभक्तों का दायित्व बनता है कि वास्तव में यदि वे गाय के प्रति हमदर्दी रखते हैं, गाय से मुहब्बत है, गाय से श्रद्धा है तो अलाभकारी गायों को बिक्री होने से रोकें तथा इनकी समुचित व्यवस्था बनाएं । गाय को राजनीति का मोहरा बनाना उचित नहीं है । समाज में आतंक का माहौल बनाने अथवा अराजकता फैलाने से कहीं बेहतर है कि गोभक्त गाय के प्रति अपने कर्तव्यों अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए बड़ी संख्या में गोशालों का निर्माण कराएं । इसके लिए उनको निम्न सुझाव दिये जा रहे हैं ।

संघ परिवार का विस्तार लगभग समूचे देश में हो चुका है । लाखों की तादाद में इनके नेतागण हैं । एक बड़ी संख्या में सांसद तथा विधानसभाओं के सदस्य मंत्रीगण तथा पार्टी के पदाधिकारी हैं । इनमें बहुतों के पास एक अनुमान के अनुसार कृषि फार्म होंगे जिनकी संख्या पूरे देश में हज़ारों में होगी । क्या यह गोभक्त नहीं है ? संघ परिवार तथा पार्टी से जुड़े बड़े किसानों की एक बड़ी संख्या हो सकती है ।

देश में बड़े मंदिरों तथा मठों की बड़ी संख्या है जिनके पास कृषि भूमि अर्थात कृषि फार्म है जिनके ज़िम्मेदार मंदिरों के महंत मठाधीश और पुजारी हैं । यह सब गाय के प्रति श्रद्धालु अवश्य होते हैं ।

संघ परिवार तथा पार्टी से जुड़े पूंजीपति तथा फैक्ट्रियों के मालिक भी होंगे । इनके पास भी भूमि होती है । उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों और संस्थाओं में अधिकतर गोभक्त व गाय के श्रद्धालु ही हैं । गोभक्तों का कर्तव्य है कि इन सबको प्रेरित करके इनके फार्म हाउस, कृषि फार्म या मठों व मंदिर की कृषि सीर जहां भी गोशालों के लिए उचित मात्रा में भूमि उपलब्ध हो कम से कम 25 गायों या इससे भी अधिक संख्या के आकार की गोशालों की स्थापना कराएं । इन गोशालों में दूध देने वाली गाय न पाल कर केवल बूढ़ी गाय ही पाली जाएं ।

यह बूढ़ी गाय इतनी भी अलाभकारी नहीं होती कि अपने चारे पानी भर का दूध न दे पाएं । उचित मात्रा में चारा-पानी व देखभाल एवं सुव्यवस्था से दूध की मात्रा बढ़ भी जाती है । इन गायों के गोबर से जो कंपोस्ट खाद तैयार होगी इससे कृषि भूमि की उर्वरा शक्ति में बढ़ोत्तरी होगी और फ़सल की अच्छी पैदावार होगी, जिससे देश को भी लाभ होगा ।

इन गोशालाओं में पशुओं की संख्या के आधार पर बायो गैस प्लांट का भी निर्माण हो सकता है, जिससे गैस प्राप्त की जा सकती है, जो विभिन्न प्रायोजनों में काम आ सकती है तथा बायो गैस प्लांट से निकली हुई कंपोस्ट खाद में उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होती है इसके प्रयोग से अनाज की पैदावार भी अधिक होगी । बायो गैस प्लांट में प्रदेश सरकार से सहायता भी प्राप्त हो सकती है ।

शहरी क्षेत्रों में बहुत से गोपालक अपनी गायों को छुट्टा छोड़ देते हैं जो सैकड़ों की तादाद में होती हैं और ट्रेफिक की समस्या पैदा करती हैं । इनकी वजह से दुर्घटनाएं होती

(शेष पृष्ठ 18 पर)

ईश्वरीय धर्म इस्लाम

● संपादन प्रभाग

संपूर्ण मानवजाति के लिए ईश्वर की ओर से एक ही धर्म आया जिसका नाम इस्लाम है । यही धर्म पहले ईशदूत हज़रत आदम (अलैहि॰) जो दुनिया के पहले इन्सान थे, पर अवतरित हुआ और यही धर्म सबसे अन्तिम महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर अवतरित हुआ । इस बीच ईश्वर ने हर ज़माने में और हर जाति में लोगों के मार्गदर्शन के लिए अपने दूत भेजे, वे लोग जो धर्म लेकर आए उसका नाम इस्लाम ही था, मगर उन धर्मों के मानने वालों ने धीरे-धीरे उसमें अपनी बातें शामिल करके उनकी वास्तविकता को विकृत कर दिया और धर्म का नाम भी बदल दिया ।

इसलिए अल्लाह, ईश्वर ने आख़िर में सारी दुनिया के इन्सानों के मार्गदर्शन के लिए अन्तिम महाईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) पर इस्लाम धर्म का पूर्ण और अन्तिम संस्करण क़ुरआन की शक्ल में अवतरित किया और ईश्वर ने इसी पवित्र क़ुरआन में यह बता दिया कि हम ही इस क़ुरआन के उतारने वाले हैं और हम ही इसकी रक्षा करने वाले हैं, इसलिए अब रहती दुनिया तक इस ईश्वरीय ग्रंथ में किसी तरह के संशोधन की कोई संभावना नहीं है । यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि क़ुरआन को अवतरित हुए 1450 साल गुज़र गये, लेकिन इसके एक अक्षर में भी कोई संशोधन या परिवर्तन नहीं हुआ है । यह बिल्कुल अपनी अस्ली हालत में है । इसलिए अब समस्त मानवजाति के लिए क़ुरआन और अन्तिम ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल॰) की शिक्षाएं ही मान्य और अनुकरणीय हैं और अब इस मूल धर्म का अनुसरण करके ही सफलता और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है ।

"आज मैंने तुम्हारे दीन (धर्म) को तुम्हारे लिए पूर्ण कर दिया है और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी है और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे धर्म के रूप में स्वीकार कर लिया है ।"

(क़ुरआन, 5:3)

'इस्लाम' शब्द का अर्थ

'इस्लाम' अरबी भाषा का शब्द है । अरबी भाषा में इस्लाम का अर्थ है शान्ति, आज्ञापालन, अनुसरण, नम्रता और ईश्वर के आगे आत्म-समर्पण करना एवं उसकी आज्ञापालन करना ।

ईश्वरीय ग्रंथ क़ुरआन

क़ुरआन अल्लाह की किताब है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसका एक खुला हुआ प्रमाण यह है कि इसकी शिक्षाओं और व्याख्यानों में कोई विरोधाभास (Contradiction) नहीं है अर्थात इसकी कोई बात इसकी दूसरी बात को काटती नहीं है । हालांकि इसमें 114 अध्याय 6666 आयतें (वाक्यांश) पायी जाती हैं और यह 23 वर्षों की लंबी अवधि के अंतराल में अवतरित हुआ है । क़ुरआन में बहुत-सी बातें बयान की गयी हैं, मगर ज्ञान और विज्ञान की इतनी तरक़्क़ी के बावजूद आज तक क़ुरआन में वर्णित किसी एक बात को भी ग़लत साबित नहीं किया जा सका है । यद्यपि इन्सानों की लिखी हुई सारी किताबों में कुछ न कुछ ग़लतियां और कमियां ज़रूर पायी गयी हैं और उसमें संशोधन भी होता रहता है । सत्य यह है कि इन्सानों का बनाया हुआ कोई संविधान हो या उसकी लिखी हुई कोई भी किताब हो उसमें कोई न कोई त्रुटि ज़रूर पायी जाएगी । यह ईश्वरीय ग्रंथ ही की विशेषता है कि वह त्रुटिरहित होती है ।

क़ुरआन ईश्वरीय ग्रंथ है उसका एक प्रमाण यह भी है कि कोई मनुष्य इस जैसी एक पंक्ति भी नहीं लिख सकता। क़ुरआन अरबी भाषा में है और उसकी भाषाशैली अछूती और उसका साहित्यिक स्तर बहुत ऊंचा है और अपने वक्तृत्व शक्ति और भाषायी सौन्दर्य के शिखर पर होने के लिए यह सर्वत्र जानी जाती है । यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि क़ुरआन ने स्वयं लोगों को संबोधित करते हुए यह चुनौती दी कि अगर तुम्हें इस बात में कोई शंका है कि यह क़ुरआन हमारी किताब है या नहीं, तो तुम सब मिलकर इस जैसी एक पंक्ति भी बनाकर लाओ । इस चुनौती के आगे अरब के बड़े-बड़े भाषाविद् और विद्वानों ने स्वीकार कर लिया कि यह इन्सानी कलाम (वाणी) नहीं है ।

"और अगर तुम्हें इस बात में सन्देह है कि यह किताब

जो हमने अपने बन्दे पर उतारी है, यह हमारी है या नहीं, तो इस जैसी एक ही सूरा बना लाओ, अपने मत के सारे ही लोगों को बुला लो, एक अल्लाह को छोड़कर बाक़ी जिस-जिसकी चाहो सहायता ले लो, अगर तुम सच्चे हो तो यह काम करके दिखाओ ।" (क़ुरआन, 2:23)

क़ुरआन इन्सानों के मार्गदर्शन के लिए अवतरित हुआ ईशग्रंथ है, इसमें समस्त मानवजाति को संबोधित किया गया है, किसी जाति विशेष, नस्ल, समुदाय, क़ौम और क़बीले के लोगों को संबोधित नहीं किया गया है । इसलिए इस्लाम पूरी मानवजाति का धर्म है । अत: हर व्यक्ति को चाहिए कि वह खुले दिल और निष्पक्ष भाव से इस्लाम का अध्ययन करे ।

"तुम्हारे पास अल्लाह की ओर से प्रकाश आ गया है और एक ऐसी स्पष्ट किताब जिसके द्वारा अल्लाह उन लोगों को जो उसकी प्रसन्नता के इच्छुक हैं सलामती की राहें बताता है और अपनी अनुमति से उनको अंधेरों से निकालकर उजाले की ओर लाता है और सीधे मार्ग की तरफ़ उनका पथ-प्रदर्शन करता है ।" (क़ुरआन, 5:16)

इस्लाम का तर्कसंगत दृष्टिकोण

इस्लाम अंधविश्वास का धर्म नहीं है कि जिस धर्म में तुम पैदा हो गये हो उसे मानो, चाहे उसकी कोई बात तुम्हारी समझ में आती हो या न आती हो, बल्कि इस्लाम यह कहता है कि इसको सोच-समझकर मानो । यह ज्ञान एवं बुद्धि का धर्म है और यह चिंतन पर उभारता है ।

क़ुरआन कहता है कि ब्रह्माण्ड में फैली हमारी निशानियों पर चिंतन करो तुम्हारे शरीर के अन्दर जो सिस्टम काम कर रहा है तुम उन पर सोचो तो तुम्हारा हृदय इस बात की गवाही देगा कि इसे एक सर्वशक्तिमान ईश्वर ने बनाया है इसलिए वही पूज्य है और उसी के दिए हुए जीवन-व्यवस्था पर चलना चाहिए ।

"वह अल्लाह ही है जिसने आसमानों को ऐसे सहारों के बिना क़ायम किया जो तुमको नज़र आते हों, फिर वह अपने राजसिंहासन पर विराजमान हुआ, और उसने सूरज और चांद को एक नियम का पाबन्द बनाया, इस सारी व्यवस्था की हर चीज़ एक निश्चित समय तक के लिए चल रही है और अल्लाह ही इस सारे काम का नियंत्रण कर रहा है । वह निशानियां खोल-खोलकर बयान करता है शायद कि तुम अपने रब से मिलन का विश्वास करो ।" (क़ुरआन, 13:2)

इस्लाम मानव-प्रकृति के अनुकूल

इस्लाम की शिक्षाएं इन्सान की प्रकृति के अनुकूल हैं। आदिकाल से आज तक जितने इन्सान पैदा हुए हैं वह चाहे दुनिया के जिस भू-भाग में पैदा हुए हों उनकी प्रकृति एक है उनकी ज़रूरतें भी एक हैं, इसलिए उसने इन्सान की प्राकृतिक मांगों के हिसाब से ही उसे जीवन-प्रणाली प्रदान की है । उदाहरणस्वरूप उसे भूख लगती है तो इस्लाम ने कमाने-खाने से नहीं रोका है, लेकिन वह यह प्रतिबंध अवश्य लगाता है कि सही तरीक़े से माल कमाओ और सही तरीकें से ख़र्च करो, हराम और नाजायज़ माल से अपना पेट न भरो ।

"और तुम लोग न तो आपस में एक-दूसरे के माल अवैध रूप से खाओ और न अधिकारी व्यक्तियों के आगे उनको इस ग़रज़ से पेश करो कि तुम्हें दूसरों के माल का कोई हिस्सा जान-बूझकर अन्यायपूर्ण तरीक़े से खाने का अवसर मिल जाए ।" (क़ुरआन, 2:188)

इसी तरह से उसकी एक ज़रूरत जिंसी (Sex desire) है । इस्लाम ब्रह्मचर्य का दृढ़ विरोधी है और हर वयस्क मर्द और औरत को शादी करने के लिए प्रेरित करता है । वह केवल इतनी बात कहता है कि जिंसी ज़रूरत (Sex desire) पूरी करने के लिए Free Sex तुम्हारे लिए जायज़ नहीं ।

इस्लाम–एक पूर्ण जीवन-व्यवस्था है

इस्लाम ईश्वर के द्वारा प्रदान की गयी एक पूर्ण जीवन-व्यवस्था है । यह जीवन के हर क्षेत्र के लिए विस्तारपूर्वक शिक्षा प्रदान करता है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो या सार्वजनिक जीवन हो, राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक। इस्लाम मुक्ति के लिए मनुष्य को अपने परिवार और समाज से कटकर गुफ़ाओं व पहाड़ों में रहने की बात नहीं करता, बल्कि समाज में रहकर ही अपनी ज़िम्मेदारियों को अदा करने और समाज-सुधार पर उभारता है ।

इन्सानों की दासता से मुक्ति

इस्लाम की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह एक ईश्वर की दासता और आज्ञापालन में इन्सान को दाख़िल करके हर तरह की दासता से मुक्त कर देता है । जो एक ईश्वर का आज्ञाकारी हो गया उसे अपनी मुक्ति और सफलता के लिए किसी और के आगे सिर झुकाने की ज़रूरत नहीं और न ही समाज के बंधनों में जकड़े रहने की ज़रूरत है । इस्लाम इन सब जंज़ीरों को काट देता है और इन्सान को

सच्ची आज़ादी देता है ।

समानता

इस्लाम यह मानता है कि दुनिया के सारे लोग एक इन्सान की संतान हैं इसलिए वे सब आपस में भाई-भाई हैं चाहे वे जिस रंग-रूप और नस्ल के हों, जिस देश में रहते हों और जो भी भाषा बोलते हों । इसमें न कोई छोटा है, न कोई बड़ा, न कोई ऊंच है न कोई नीच, न कोई अछूत। ईश्वर की दृष्टि में बड़ा अगर कोई है, तो वह जो ईश्वर से सबसे ज़्यादा डरता हो और ईश्वर का सबसे ज़्यादा आज्ञाकारी हो ।

"लोगो, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी क़ौमें और बिरादरियां बना दीं ताकि तुम एक-दूसरे को पहचानो । वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुममें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित वह है जो तुममें सबसे ज़्यादा परहेज़गार है ।" (कुरआन, 49:13)

आख़िरी हज के अवसर पर ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने घोषणा की–"लोगो ! तुम सबका रब भी एक है और बाप भी एक है, तुम सब आदम की औलाद हो, और आदम मिट्टी से बने थे । इसलिए किसी अरब को ग़ैर-अरब पर बड़ाई नहीं, न गोरे को काले पर, बड़ाई केवल ईशपरायणता के आधार पर है ।

शिष्टाचार की सर्वोत्तम शिक्षा

मनुष्य शरीर और आत्मा का संकलन है, परन्तु वास्तविकता यह है कि अस्ल इन्सान आत्मा में ही बसता है । यद्यपि शरीर की महत्ता भी मुसल्लम (सर्वमान्य) है और इस्लाम ने शरीर की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बड़े सुंदर सिद्धांत दिए हैं, मगर आत्मा की तरक़्क़ी ही से इन्सान के अन्दर इन्सानियत व मानवता पैदा होती है, इसलिए इस्लाम ने शिष्टाचार की शिक्षा पर बहुत ज़्यादा बल दिया है । इन्सान को इन्सान बनाने वाली नैतिक शिक्षाएं क़ुरआन से ज़्यादा अच्छी कहीं नहीं मिलतीं ।

ईशदूत हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) का कथन है कि मैं शिष्टाचार के गुणों और विशेषताओं को पराकाष्ठा पर पहुंचाने आया हूं यह इसलिए कि इन्सान अन्दर से बदल जाए और उसमें नेकियों पर चलने की प्रवृत्ति व रुचि पैदा हो जाए ।

क़ानून और नैतिक सुधार

इसमें शक नहीं कि इस्लाम के दीवानी और फ़ौजदारी क़ानून, (Civil and Criminal Laws) कठोर हैं और दुनिया के लोग उन पर आपत्तियां जताते हैं और वह उनको सख़्ती से लागू भी करता है, मगर ये सब तब करता है, जब वह इन्सान के नैतिक सुधार का पूरा प्रयत्न व प्रबंध कर लेता है ।

संतुलित जीवन-व्यवस्था

इस्लाम एक संतुलित जीवन-व्यवस्था है यह दीन और दुनिया के विभाजन को नहीं मानता है । इस धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनमें यह संतुलन है कि ईश्वर का जो अधिकार है वह ईश्वर को दिया जाए और जो बन्दों का अधिकार है उन्हें भी अवश्य पूरा किया जाए ।

ईश्वर का अधिकार यह है कि उसकी इबादत व उपासना की जाए और हर तरह के शिर्क से बचा जाए । इस्लाम ने अपने अनुयायियों पर दिन में पांच वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ (Obligatory) की है । साल में एक महीना उपवास (रोज़ा) रखने की शिक्षा दी है और अगर उसकी आर्थिक और शारीरिक स्थिति अनुमति देती हो तो जीवन में एक बार मक्का जाकर हज करने को अनिवार्य किया है । इसी के साथ साल भर में एक ख़ास स्तर से अधिक धन होने पर उसमें से ढ़ाई प्रतिशत ज़कात (दान) ग़रीबों के लिए देना अनिवार्य है ।

बन्दों का अधिकार यह है कि अपनी बीवी, बाल-बच्चों, अपने मां-बाप, अपने परिवार, रिश्तेदारों, अपने पड़ोसियों और समाज में रहने वाले लोगों के प्रति उन पर जो नैतिक और आर्थिक ज़िम्मेदारियां लागू होती हैं, वह उन्हें पूरा करें और उनके साथ अच्छे से अच्छा व्यवहार करें । इस्लाम की नज़र में वही इन्सान अच्छा है, जिसका व्यवहार सबसे ज़्यादा अच्छा है ।

औरत का सम्मान

इतिहास साक्षी है कि स्त्री हर ज़माने में मर्दों के अत्याचार का शिकार रही है और उसके अधिकारों को बुरी तरह कुचला गया है, इस्लाम ने सबसे पहले औरत के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की और उसे मान-सम्मान के साथ ज़िन्दा रहने का हक़ दिया । आज से 1450 वर्ष पूर्व जो कुछ इस्लाम ने औरत को अधिकार दे दिया है, वह आज की आधुनिक दुनिया नहीं दे सकी है । इस्लाम ने औरत की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त के लिए कुछ प्रतिबंध अवश्य लगाए हैं, लेकिन ये प्रतिबंध औरत की उन्नति में कोई अड़चन और बाधक नहीं हैं ।

(शेष पृष्ठ 18 पर)

मुनअम पब्लिक स्कूल

(इंगलिश मिडियम, सी॰बी॰एस॰ई॰, नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त)

महाराजगंज, पो॰ दादपुर, ज़िला हज़ारीबाग, (झारखण्ड)

नामांकण सूचना : एल के जी से कक्षा नवम् तक

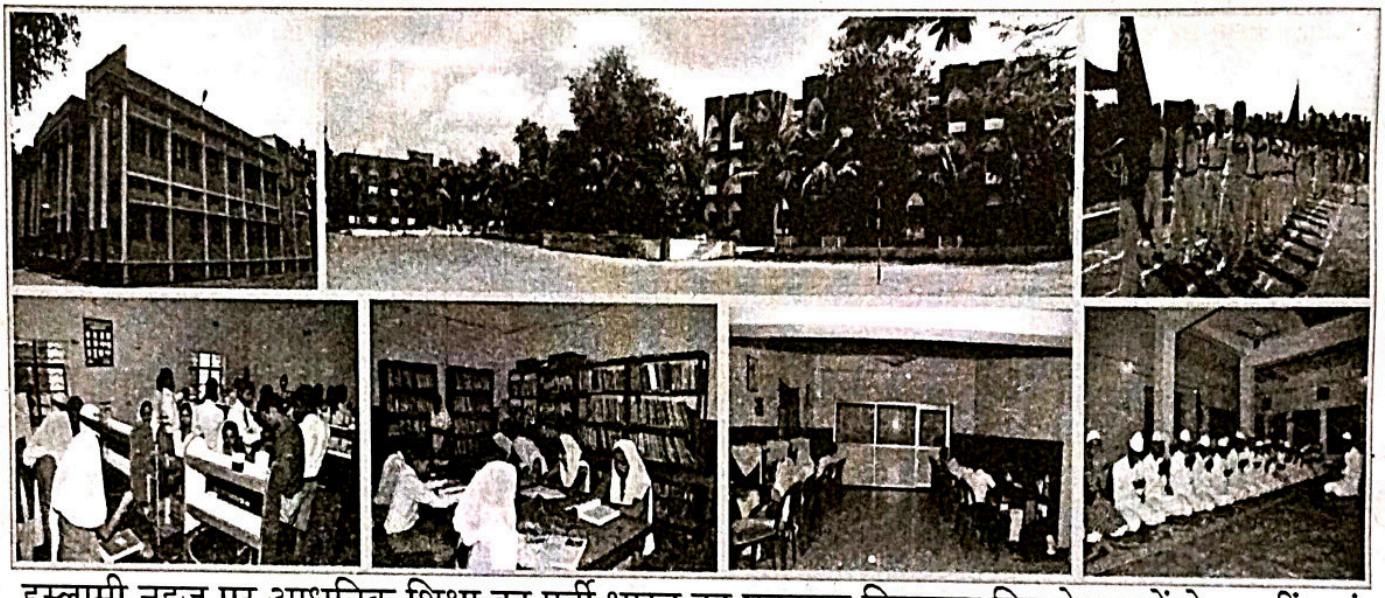

इस्लामी नहज पर आधुनिक शिक्षा का पूर्वी भारत का एकमात्र विद्यालय जिसके छात्रों ने दसवीं एवं बारहवीं के बोर्ड परीक्षा में शानदार कामयाबी हासिल की।

उपलब्ध सहूलियतें

विशाल कैंपस, भव्य इमारतें, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग आरामदेह साफ़-सुथरे छात्रावास की व्यवस्था, साइंस एवं कंप्यूटर लैब, ज्ञानवर्धक किताबों से भरपूर पुस्तकालय, स्पोर्ट्स एवं पी॰टी॰ के लिए विशाल खेल मैदान, सभी विषयों के लिए अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की टीम, नमाज़ पंजगाना के लिए ख़ूबसूरत मस्जिद।

नामांकण फ़ार्म मिलने की अंतिम तिथि : 15 मार्च 2016

एस॰एम॰ नईम	साद राशिद ख़ान नदवी	वकील अहमद
एम॰ए॰, बी॰एड॰ ए (अलीग)	फ़ाज़िल, नदवा, लखनऊ	एम एस सी , बी एड
निदेशक	छात्रावास अधिक्षक	प्राचार्य

विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें

मोबाइल : 09431530878/7739748279, वेबसाइट : munammission.org

ई॰मेल : hmpt.mission@gmail.com

दलित चेतना और इस्लाम

● एच॰ अब्दुर्रक़ीब
(जनरल सेक्रेट्री इस्लामिक फाउंडेशन ट्रस्ट चेन्नई)

दक्षिण तमिलनाडु का एक छोटा सा गांव, मीनाक्षी पुरम जिसकी आबादी सवर्ण हिंदुओं और दलितों पर आधारित थी अचानक 19 फ़रवरी 1981 की सुबह न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में दलित समाज द्वारा इस्लाम अपना लिये जाने के कारण मशहूर हो गया । 300 परिवार के 800 दलितों ने मंदिरों में प्रवेश पर रोक लगाने और कुएं से पानी न निकाले दिये जाने के कारण इस्लाम स्वीकार कर लिया था । इसके अलावा घटना से कुछ दिनों पहले ही उच्च जाति के दो हिंदू सुरक्षा गाड्र्स की क़रीबी गांव मीरकाना में हत्या के बाद दलितों पर पुलिस अत्याचार भी इसका कारण बना ।

दरअस्ल धर्म परिवर्तन की यह घटना अंबेडकर द्वारा नागपुर में वर्षों पहले हिन्दू धर्म छोड़कर अपने हज़ारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद एक महत्वपूर्ण मोड़ मानी जाती है । इसलिए देश भर में धर्म परिवर्तन की स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार पर एक चर्चा शुरू हो गयी और इसी के साथ इस घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए कई जांच आयोग बिठाए गये ।

पूरे देश में विभिन्न संगठनों और महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दौरे भी उस गांव और उस क्षेत्र में हुए । आर्य समाज, विश्व हिंदू परिषद और भाजपा के प्रतिनिधियों ने दौरा किया और आरोप लगाया कि विदेशी निवेश जो अरब देशों से आया है उसके द्वारा इन ग़रीब तबक़े के लोगों को लालच दिया गया और इस लालच में धर्म परिवर्तन की यह प्रक्रिया हुई । ख़ुद भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी, प्रदेश के मुख्यमंत्री एम॰जी॰ रामचंद्रन और हिंदू धर्म के प्रमुख नेताओं ने उन मुसलमानों से मुलाक़ात की और समझाया कि वह फिर से अपने पुराने धर्म में लौट आएं । इससे पूरे देश में धर्म-परिवर्तन विरोधी बिल की आवश्यकता पर भी चर्चा शुरू हो गयी ।

हाल के दिनों में लगभग 36 साल बाद धर्म परिवर्तन की यह घटना फिर एक बार अख़बारों में उस समय आयी जब राज्य की एक महत्वपूर्ण दलित राजनीतिक पार्टी विदुथलाई चुरुथाईगल काची के प्रमुख श्री थोल थिरुमावलावन के पी॰ एचडी॰ अनुसंधान के विषय "मीनाक्षी पुरम में धर्म परिवर्तन : एक समीक्षा" का परिणाम सामने आया ।

दलितों की यह राजनीतिक पार्टी छुआछूत और जाति आधारित भेदभाव के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने और न केवल राजनीतिक अधिकार बल्कि सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की लड़ाई के लिए अस्तित्व में आयी थी । उसका आधार यह भी था कि समाज में समानता तभी स्थापित हो सकती है जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, ईसाई और मुसलमानों के बीच एक मज़बूत गठबंधन बने । इसके अलावा, पूंजीवादी वर्ग के उत्पीड़न और ब्रह्मणवाद का विरोध भी इस पार्टी के एजेंडे में शामिल है । न केवल तमिलनाडु में बल्कि केरल और आंध्र प्रदेश में इसकी शाखाएं स्थापित हैं ।

इस पार्टी के प्रमुख थोल थिरुमावलावन एक क़ानूनविद् हैं और संसद और विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं और अपराधशास्त्र में स्नातकोत्तर होने के अलावा इस विभाग में काम भी कर चुके हैं । उन्होंने अपना शोध मनोनमानियम सुन्दरानार विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ॰ के॰ चोकालिंगम की निगरानी में किया । इस रिसर्च के दौरान श्री थिरुमावलावन ने मीनाक्षी पुरम और आसपास के नवमुस्लिम बस्तियों का दौरा किया और 150 के क़रीब नवमुस्लिम पुरुषों, महिलाओं और परिवारों के अलावा सवर्ण हिंदुओं और दलित समाज के नेताओं से भी मुलाक़ात की और उनके बयान रिकार्ड किये ।

साक्षात्कार में नवमुस्लिमों ने बताया कि इस्लाम अपनाने के कारण समाज में उनकी स्थिति में काफ़ी सकारात्मक परिवर्तन आया है और उन्हें न केवल उनके समाज में सम्मान मिला बल्कि सवर्ण हिन्दू भी उन्हें पारंपरिक मुसलमानों

की तरह, भाई कहकर पुकारने लगे । और यह बात स्पष्ट रूप से सामने आयी कि उन्होंने सामाजिक समानता और छुआछूत से छुटकारा पाने के लिए इस्लाम स्वीकार किया है और यह ग़लत प्रचार है कि इसमें बाहरी निवेश की कोई भूमिका है ।

नवमुस्लिम उमर शरीफ़ ने बताया कि उन्होंने क़रीबी गांव पिन बोड़ल में एक बड़ा शापिंग कम्पलेक्स निर्माण किया है जो सभी जातियों के लोग आकर ख़रीदारी करते हैं इस्लाम अपनाने से पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी ।

फ़ातिमा नाम की 75 वर्षीय नवमुस्लिमा महिला ने बताया कि वह कभी स्कूल नहीं गयीं लेकिन यह देखकर थिरुमावलावन को हैरत हुई कि बातचीत के दौरान वह क़ुरआन की आयतें पढ़ रही थीं और उसका संदर्भ दे रही थीं ।

अमीर अली नाम के नवमुस्लिम ने कहा कि वे दैनिक मज़दूरी का काम करते हैं, और कई सालों से यही करते रहे हैं । अगर उन्होंने विदेशी निवेश से इस्लाम को स्वीकार किया होता, तो वे यह काम नहीं करते ।

यह पाया गया है कि कुछ परिवार इस्लाम को अपनाने के बाद वापस अपने पुराने धर्म में आ गये लेकिन उनकी संख्या बहुत क़म है । यह भी पता चला कि नवमुस्लिमों और पुराने मुसलमानों के बीच विवाह संबंध भी क़ायम हैं और नवमुस्लिम औरतें आज भी खेतों में काम कर रही हैं लेकिन वे अपने सिर पर स्कार्फ़ पहनती हैं ।

इस महत्वपूर्ण और दस्तावेज़ी शोध डॉक्टरेट की किताब को अंग्रेज़ी और हिंदी भाषा, में बल्कि देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करके व्यापक रूप से फैलाने की ज़रूरत है । याद रहे कि इससे पहले डी॰एम॰के॰ के एक जाने-माने नवमुस्लिम पत्रकार अब्दुल्लाह अडयार की किताब 'इस्लाम जिससे मुझे प्यार है' भी तमिल भाषा से अनुवाद करके विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित की गयी थी ।

अल्लाह करे कि दलित नेता श्री थिरुमावलावन मीनाक्षी पुरम की घटना की पृष्ठभूमि में इस्लाम का अध्ययन करें और उसकी गवाही देने वाले बनें । तमिलनाडु के उलमा और उनके मुस्लिम दोस्तों का दायित्व है कि वे उन्हें इसकी ओर आकर्षित करें ।

(पृष्ठ 12 का शेष)

हैं । सड़कों पर जाम लगता है और सड़कों में गन्दगी फैलती है । इन गोपालकों को नेक सलाह दी जाती है कि अपनी गायों को अपने घर में पालें । विदेशों में यह समस्या नहीं है ।

उपरोक्त योजना पर अमल करने से गाय को सुरक्षा प्राप्त होगी, देश में अनाज की पैदावार बढ़ेगी, दूध की पैदावार भी बढ़ेगी, बायो गैस प्लांट से गैस भी प्राप्त होगी और स्वच्छ भारत के निर्माण में भी सहायता होगी । अगर यह गोरक्षक/गोभक्त गाय के प्रति कुछ हमदर्दी या श्रद्धा रखते हैं, तो ऊपर वर्णित जगहों पर गोशालों का निर्माण कराएं । संघ परिवार इस कार्य में विशेष सहयोग प्रदान कर सकता है । सौहार्द व सहिष्णुता का माहौल बनाए रखना हम सबका कर्तव्य है । सौहार्द, सहिष्णुता और सद्भाव इस देश की सदियों से पहचान है । इसको बनाए रखना हम सबकी ज़िम्मेदारी है ।

जमील अहमद ख़ां रायबरेलवी

चमनगंज, कानपुर, उ॰प्र॰

(पृष्ठ 15 का शेष)

इस्लाम में क्षमा

इस्लाम की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि इस्लाम बड़े से बड़े पापी और गुनाहगार आदमी को भी निराश नहीं करता । अल्लाह बहुत दयावान और कृपाशील और अपने बन्दों के गुनाहों को माफ़ करने वाला है । इन्सान से भूल-चूक, पाप और ग़लतियां होंगी, लेकिन अगर वह सच्चे मन से तौबा (प्रायश्चित) कर ले और अल्लाह से माफ़ी मांगे तो वह हर वक़्त माफ़ करने को तैयार है । इस्लाम में अल्लाह के माफ़ करने की धारणा बड़े से बड़े अपराधियों के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण और उनके लिए सुधार का द्वार खुला रखता है ।

"वही है जो अपने बन्दों से तौबा क़बूल करता है और बुराइयों को माफ़ करता है, हालांकि तुम लोगों के सब कर्मों का उसे ज्ञान है ।" (क़ुरआन, 42:25)

"(ऐ नबी) कह दो कि ऐ मेरे बन्दो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की है, अल्लाह की दयालुता से निराश न हो जाओ, यक़ीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है, वह तो अत्यन्त क्षमाशील, दयावान है ।"

(क़ुरआन, 39:53)

(1)

लोकलाज

एक दिन अचानक शाम को घर लौटने पर कृष्ण अपने माता-पिता को अपने घर में देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है और उसे पांच वर्ष पुरानी याद ताज़ा हो उठती है, जब उसके लाख मना करने के बावजूद उसकी पत्नी रेशमी ने उन्हें यह कहकर घर से निकाल दिया था–

''काम के न काज के, दुश्मन अनाज के । हमारे पास हराम की रोटियां नहीं है तुमसे तुड़वाने के लिए ।''

अन्दर जाकर अपनी पत्नी से उनके आने का कारण पूछता है तब वह कहती है–

''क्या हुआ अगर मैं ही ले आयी, हैं तो तुम्हारे ही मां-बाप । लोकलाज की परवाह तो मुझे भी है । बेटी सयानी हो गयी है और सुन ले बहुत खुरचन बची है अभी वृद्ध जनों के पास, कहीं । तेरे भाइयों में कोई-सा और ले जाता तो हम ठगे से रह जाते । समझ से काम लिया कर तू मूर्ख है । आज ही सरकार ने बूढ़ों की पांच सौ रुपये प्रतिमाह पेंशन बांधी है, पड़े से पा जाया करेंगे, हर महीने ।''

अपनी पत्नी की चतुराई से खुश कृष्ण के मुंह से फूट पड़ता है–''अरे वाह मेरी बिल्लो ! तू तो बहुत ही समझदार निकली ।''

(2)

'बड़ा नाम'

सारी ज़मीन बिक गयी तो क्या ? बेटी की शादी में दस लाख रुपये ख़र्च करके रामशरण बहुत खुश है कि बेटी एक संपन्न परिवार में चली गयी है । साथ ही गांव में सबसे बड़ा नाम भी तो हो गया है, जिसकी पुष्टि बारात विदाई के समय, दोनों गांवों की पंचायतों के सामने सरपंच ने यह कहकर की–

''बोहरा जी को रामशरण के रूप में जो रिश्तेदार मिला है, वह कोई साधारण आदमी नहीं है क्योंकि लड़की की शादी में सबसे अधिक धन ख़र्च कर इसने हमारे गांव की शान को चार-चांद लगाए हैं ।''

दूसरी तरफ़ स्कूल की पढ़ाई छोड़ चुके रामशरण का बेटा राजू परेशान है कि सारी ज़मीन बिक गयी और सोच रहा है–

''अब क्या होगा ? कोई शरीफ़ और ख़ानदानी आदमी तो मेरा रिश्ता लेकर आएगा नहीं । शायद मोल की ही बहू लानी पड़ेगी, परन्तु उसके लिए भी पैसा कहां से आएगा ?''

तभी कुछ लोगों के साथ बात करते हुए गली से निकलते, और उसके बाप को बड़े नाम का तमग़ा देने वाले सरपंच से आंख मिलने पर वह व्यंग्यात्मक लहज़े में राजू से कहता है–

''मौज़ करो, राजू बेटा । बड़े नाम को ओढ़ो और बिछाओ ।''

(3)

तमीज़

रवि के कमिश्नर बनने पर उसकी कोठी में होने वाली पार्टी में शामिल होने और बधाई देने के लिए बड़े लोगों की लाल-नीली बत्ती लगी गाड़ियां जहां मुख्यमार्ग पर पार्किंग के लिए जगह ढूंढ़ रही हैं वहीं दूसरी तरफ़ कोठी की गैराज में टूटी चारपाई पर बुख़ार में तपती रवि की मां के कानों में, आज दोपहर को रवि के कहे शब्द गूंज रहे हैं–

''मां बहुत बड़े-बड़े लोग आएंगे, तू बाहर मत निकलना । तुझे कपड़े पहनने की भी तमीज़ नहीं है, कोई देख लेगा तो तेरी इज़्ज़त को बट्टा लग जाएगा ।''

अपने बेटे की तरक़्क़ी का जश्न देखने में असमर्थ मां को अब भी ऐसा लग रहा है जैसे उसके कानों में शीशा उबल रहा हो ।

अशोक यादव
अटेली, मंडी (हरि०)

पाठकों और विज्ञापनदाताओं से निवेदन

चेक और ड्राफ्ट केवल
'कान्ति' के नाम से बनवाएं,
'मासिक कान्ति' के नाम से नहीं ।

–मैनेजर

قادری دواخانہ کی کامیاب ترین یونانی دوائیں

LARGEST UNANI
G.M.P.
CERTIFIED COMPANY



گیسٹک کے درد میں

قادری قبض ٹروجن

دافع

بدہضمی، بھوک کی کمی، درد جگر، قبض، سینے کی جلن اور پیٹ کے امراض میں بہت ہی مفید ہے



گٹھیا کے درد میں؟

زعفرانی تیل

کسی بھی قسم کے درد چوٹ موچ، گٹھیا۔ جلنے کٹنے اور بچوں کی مالش میں بہت ہی مفید ہے۔

پشتک چورن



جریان، کثرت احتلام، سرعت انزال، ضعف باہ اور جملہ امراض مردانہ میں بہت مفید ہے

شوگر کی کامیاب دوا

ذیابطیش سی



مثانہ کو قوت پہنچاتی ہے۔ پیشاب کی زیادتی اور ذیابطیش سے ہونے والی کمزوری میں بے حد مفید ہے

Qadri Dawakhana™

An ISO 9001:2008 Certified Company

B-18, Nawab Wajid Ali Shah Road, Kol-24

(O) S-152, S. A. Farooquie Road. (Akra Road) Kolkata- 700 018

Ph. No. 2469-3173-2489-3539

www.qadridawakhana.com • E-mail : qadridawakhana80@yahoo.co.in

जान न्योछावर करने वाले एक सहाबी

■ माहिरुल क़ादरी

एक सहाबी का नाम था अब्दुल्लाह और ज़ुलबिजादैन उपाधि, यह अभी बहुत कमसिन थे कि बाप चल बसे । चचा ने यतीम भतीजे का लालन-पालन किया, बचपन ही में इस्लाम की आवाज़ कान में पड़ चुकी थी, यह शौक़ बढ़ता ही चला गया । चचा उन पर मेहरबान था । यह बड़े हुए तो उसने बकरियां और माल व असबाब देकर भतीजे का बहुत कुछ ग़म दूर किया ।

चचा मूर्तिपूजक था, इस्लाम से बैर-भाव रखता और मुसलमानों की तरक़्क़ी से जलता । चचा के डर के मारे अब्दुल्लाह का शौक़ दबा-दबा रहा । वह मन की बात खुलकर व्यक्त न कर सके, पर ईमान का जोश कब तक दबकर रहता । आख़िर एक दिन उन्होंने साहस करके चचा से साफ़-साफ़ कह दिया कि प्यारे चचा ! मैं वर्षों से इन्तिज़ार कर रहा हूं कि आप अब इस्लाम लाते हैं, तब इस्लाम लाते हैं, लेकिन आपका अब तक वही हाल है । जीवन का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब मौत का दूत आ पहुंचे, मुझे तो आप अनुमति दे दीजिए कि मैं मुसलमान हो जाऊं । इस सौभाग्य से आख़िर कब तक महरूम रहूं ?

भतीजे की इस वार्ता को सुनकर चचा आग बबूला हो गया । आंखें क्रोध के मारे लाल हो गयीं । क्रुद्ध स्वर में बोला–

'...कान खोलकर सुन ले अब्दुल उज़्ज़ा (अब्दुल्लाह का पुराना नाम) अगर तूने अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद का धर्म स्वीकार कर लिया, तो तेरा सारा माल व मताअ छीन लूंगा, यहां तक कि तेरे शरीर पर कपड़े का एक तार भी न रहने दूंगा ।'

अब्दुल्लाह के मन में इस्लाम घर कर चुका था । दुनिया के माल व दौलत का लालच उनको अपनी ओर खींच न सकता था, चचा से बोले–

'मूर्ति-पूजा और अनेकेश्वरवादी बातों से मेरी तबियत उदासीन हो चुकी है । अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) का पालन मैं अवश्य करूंगा । अब रही दुनिया और उसका सामान, तो उसका कोई भरोसा नहीं, इन सब चीज़ों को यहीं एक दिन रह जाना है । इन चीज़ों के लिए मैं सच्चे धर्म को छोड़ दूं–यह कितने घाटे का व्यापार है ? आप शौक़ से एक-एक चीज़ मुझ से ले लीजिए ।'

अब्दुल्लाह ज़ुलबिजादैन का चचा भी बड़ा अन्यायी और हठ का पूरा निकला । इस्लाम का नाम सुनते ही वह सिर से लेकर पैर तक और मन से लेकर दृष्टि तक बदल गया । आंखों में दया-कृपा की जगह निर्दयता आ गयी, मानो न वह उसका चचा है और न यह उस का भतीजा ! रक्त और नातेदारी का लगाव भी जाता रहा–उस अन्यायी ने अब्दुल्लाह से एक-एक चीज़ छीन ली, यहां तक कि शरीर से कपड़े भी उतरवा लिए ।

अब्दुल्लाह इसी प्रकार अपनी बूढ़ी मां के पास पहुंचे । बेटे को इस हालत में देखकर मां का मन भर आया, पूछा-बेटे क्या हुआ ? ये तुम्हारे कपड़े किसने छीन लिए ? अब्दुल्लाह ने उत्तर दिया, मां, मैं इस्लाम ला चुका हूं और अल्लाह के रसूल की सेवा में उपस्थित होने का शौक़ रखता हूं । मैं मदीना पहुंच कर ही रहूंगा । आप से हो सके तो मेरा तन ढांकने के लिए कपड़े की व्यवस्था कर दीजिए । मां ने बेटे को एक कंबल दिया । अब्दुल्लाह ने कंबल के दो टुकड़े किये, एक टुकड़े को तहबंद की तरह बांधा और दूसरा चादर बनाकर ओढ़ लिया और मदीने के लिए चल पड़े ।

माल व मताअ के छिन जाने का अब्दुल्लाह को तनिक भी दुख न था । वह मन ही मन में प्रसन्न हो रहे थे कि मदीना पहुंचकर पैग़म्बरे इस्लाम के दीदार का सौभाग्य प्राप्त होगा । उनकी कृपा-दृष्टि एक ओर और सारी दुनिया की नेमतें एक ओर ! मैंने इस व्यापार में नफ़ा कमाया, कुछ खोया नहीं, धर्म को संसार पर प्रमुखता दी, मूल जीवन तो परलोक का जीवन है ।

झिलमिलाते हुए सितारों को छावों में अब्दुल्लाह मस्जिदे

नबवी में पहुंचे और दीवार से टेक लगाकर बैठ गये, इन्तिज़ार की घड़ियां बड़ा सब्र चाहती हैं । एक-एक क्षण एक-एक शताब्दी जान पड़ता है–इतने में नुबूवत का सूर्य उदित होता दीख पड़ा, अब्दुल्लाह की आंखों में श्रद्धा की ज्योति आ गयी, तमन्नाएं मारे खुशी के झूमने लगीं, बल्कि इतराने लगीं ।

'–तुम कौन हो ?' –अल्लाह के रसूल ने प्रेम भरे स्वर में पूछा ।

'–मेरा नाम अब्दुल उज़्ज़ा है, ऐ अल्लाह के रसूल ! परदेसी हूं, निर्धन हूं, आपके दीदार का आकर्षण खींचकर लाया है । सन्मार्ग चाहता हूं ।–अब्दुल्लाह ने उत्तर दिया ।

'–देखो ! तुम्हारा नाम अब्दुल्लाह ! और उपाधि-ज़ुलबिजादैन ! (धारीदार कपड़ों वाला) तुम हमारे पास ठहरो और मस्जिद में रहो ।' –अल्लाह के रसूल का इरशाद सुनकर अब्दुल्लाह का चेहरा खुशी से झूम गया । उसकी तमन्ना से और अधिक हौसले से बढ़कर नवाज़ा गया ।

अहले सुफ़्फ़ा (चबूतरे वाले) उन निर्धन साथियों का गिरोह थे, जो सबसे अधिक समय हुज़ूर (सल्ल०) की सेवा में गुज़ारते, कुरआन पढ़ते, हदीसें सुनते और खुदा की इबादत करते, अब्दुल्लाह भी उसी गिरोह में शामिल हो गये ।

हज़रत अब्दुल्लाह ज़ुलबिजादैन को पवित्र कुरआन से विशेष लगाव था, समय का अधिक भाग कुरआन सीखने और पढ़ने में गुज़रता । एक दिन मस्जिदे नबवी में सहाबा किराम (रज़ि०) नमाज़ पढ़ रहे थे और अब्दुल्लाह कुरआन पाठ में लगे हुए थे । हज़रत उमर (रज़ि०) ने अल्लाह के रसूल से शिकायत की कि यह ग्रामीण कुरआन इतने उच्च स्वर से पढ़ रहा है कि लोगों की नमाज़ में बाधा पड़ती है । हुज़ूर (सल्ल०) ने इस पर स्नेह युक्त स्वर में फ़रमाया–

'–उमर ! इस व्यक्ति से कुछ न कहो । यह तो अल्लाह और रसूल के वास्ते सब कुछ छोड़कर यहां आया है ।'

यही अब्दुल्लाह ज़ुलबिजादैन तबूक की लड़ाई में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के साथ थे । गर्मी की वह तेज़ी की खुदा की पनाह ! दूर की यात्रा, हर प्रकार का कष्ट और परेशानी । हज़रत अब्दुल्लाह को बुख़ार आ गया । हर रोग शुरू में यूं ही सा होता है । हर रोगी यही समझता है कि अच्छा हो जाऊंगा, आख़िरी सांस तक आशा बंधी रहती है–पर अब्दुल्लाह का समय आ चुका था, बुख़ार बढ़ता ही गया, ताप में कमी न हुई, जंगल में लू ने ताप की तीव्रता और बढ़ा दी, यहां तक कि प्राण-पखेरू उड़ गये और अल्लाह का नेक बन्दा अल्लाह से जा मिला ।

क़ब्र खोदी गयी, इतने में रात हो गयी । हर ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया । हज़रत बिलाल (रज़ि०) ने चिराग़ हाथ में लिया और हज़रत अबूब.....(रज़ि०) के साथ स्वयं अल्लाह के रसूल (सल्ल०) क़ब्र में उतरे । सिद्दीक़ और फ़ारूक़ (रज़ि०) जब जनाज़े को लेकर क़ब्र में रखने लगे, तो हुज़ूर (सल्ल०) फ़रमाने लगे–

'–अपने भाई के मान-मर्यादा का ख़याल रखो ।'

क़ब्र में जनाज़ा रख दिया तो क़ब्र पाट दी गयी । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने अपने मुबारक हाथ से क़ब्र पर स्वयं ईंटें रखीं, फिर दुआ फ़रमायी–

ऐ खुदा आज की शाम तक मैं इस व्यक्ति से प्रसन्न रहा, तू भी उससे प्रसन्न हो जा । ऐसी मौत पर हज़ारों जीवन न्योछावर ! –इसी लिए तो अब्दुल्लाह बिन मसऊद सरीखे महान साथी ने तमन्ना की कि काश ! ज़ुलबिजादैन की जगह मैं उस क़ब्र में दफ़्न किया जाता ।

परीक्षा

हज़रत काब बड़े उच्च श्रेणी के सहाबी (प्यारे नबी सल्ल०) के साथी थे । तबूक की लड़ाई के लिए उन्होंने मुख्य रूप से दो सौ ऊंट ख़रीदे थे । और ऊंटों को हरियाली और चारा खिला-खिलाकर ख़ूब मोटा बनाया था, ताकि अल्लाह की राह में इन सवारियों के क़दम तेज़-तेज़ उठें । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) जान न्योछावर करने वाले साथियों के साथ मदीना से तबूक के लिए चल पड़े, पर काब ने सोचा कि मेरे ऊंट काफ़ी तेज़ हैं, मैं रास्ते में जाकर इस्लामी सेना से जा मिलूंगा । गर्मी का समय था, पूरा वातावरण अग्नि कुंड बना हुआ था, खजूरों की फ़सल भी आ चुकी थी–काब यही सोचते रहते कि आज चलता हूं, कल चलता हूं । दिन बीतते गये और इस्लामी सेना मदीना से इतनी दूर पहुंच गयी कि अब बहुत ज़्यादा तेज़ चलने के बाद भी उनसे मिल जाने की संभावना न थी, यहां तक कि तबूक में निवास करके अल्लाह के रसूल (सल्ल०) सहाबा किराम सहित मदीना वापस भी चले आये ।

हज़रत काब को बड़ा दुख था कि हाय ! मैंने यह क्या किया ? अल्लाह के रसूल की सेवा में उपस्थित होना बहरहाल ज़रूरी है । हुज़ूर (सल्ल०) ने तबूक न जाने का कारण पूछा तो आख़िर क्या विवशता बताऊंगा ? मुझ से भारी चूक हुई, अब उसकी भराई की कोई शक्ल भी नहीं

है । क्या करूं, क्या न करूं ? लज्जा-भाव रह-रहकर मेरे मन को कचोटता है कि काब ! तुझ से बड़ी चूक हुई ।

काब का मन उभारता कि अल्लाह के रसूल की सेवा में उपस्थित होना हो और आप पूछें तो बीसियों बहाने और सैकड़ों विवशताएं बतायी जा सकती हैं अर्थात यह कि मैं बीमार हो गया, पत्नी को ज्वर आ गया, भाई ऊंट से गिरकर घायल हो गया, घर भर में केवल मैं ही उसकी मरहम-पट्टी और देख-भाल करने वाला था–नातेदार और रिश्तेदार भी नफ़्स के इन हीलों का समर्थन करते कि भाई ! तुम्हारी नीयत में तो खोट न थी । तबूक तुम बहरहाल जाना चाहते थे, बस ज़रा-सी ग़फ़लत और थोड़ी-सी भूल-चूक हो गयी । अल्लाह के रसूल पूछें तो कोई उचित बहाना रख देना । हुज़ूर (सल्ल०) बहुत सादा तबियत हैं, तुम्हारी बात को निश्चय ही ठीक मान लेंगे । दिलों का हाल तो अल्लाह जानता है, अब रहा गुनाह-सवाब तो जीवन में किस व्यक्ति से भूल-चूक नहीं हो जाती । तुम अपनी ग़लती की अल्लाह से क्षमा मांग लेना । उसकी ज़ात, क्षमा करने वाली और दयावान है, सच्चे मन की दुआ स्वीकार कर ली जाती है ।

हज़रत काब के लिए बड़ी कठोर परीक्षा की घड़ी थी । मन के वे धोखे, नातेदारों के वे मशविरे–पर काब ने बड़े साहस के साथ निर्णय किया कि अल्लाह के रसूल से झूठ बोलकर बचने का उपाय करना अपने आप में बहुत बड़ा पाप है । यह नहीं हो सकता । काब मन के धोखे में नहीं आ सकता और न नातेदारों और मित्रों के सहानुभूति परक मशविरे उसके सत्य की राह में बढ़े क़दमों को डिगा सकते हैं । अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्ल०) ने हम से सच बोलने का वचन लिया था । यह कैसे हो सकता है कि मैं उस महान व्यक्तित्व के स्वामी के समक्ष झूठे बहाने गढ़कर दुनिया दिखावे की शर्म से बचने की कोशिश करूं । सच्चाई में बड़ी जान है–

'झूठ नष्ट कर देता है और सच्चाई मुक्ति दिलाती है ।'
(हदीस)

और अल्लाह की दया-कृपा से आशा है कि सच्चाई मेरी मुक्ति का कारण बनेगी ।

काब सहमे हुए, झुके हुए और लजाये हुए अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की सेवा में पहुंचे । वह साक्षात् 'लज्जा' बने हुए थे और उनकी शर्मायी निगाहें क्षमा-याचना कर रही थीं । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) काब की ओर देखकर मुस्कराए, पर यह मुस्कान रोष पूर्ण थी । मुस्कान-मुस्कान में अन्तर हुआ करता है । यह रंग देखकर ही काब के होश व हवास जाते रहे । हुज़ूर (सल्ल०) ने तबूक न चलने का कारण पूछा । काब ने कहा–

'–ऐ अल्लाह के रसूल (सल्ल०)! मेरे मनहूस मन ने मुझे ग़फ़लत में डाल दिया । सुस्ती का मुझ भाग्यहीन पर क़ब्ज़ा हो गया और शैतान ने मुझे राह से भटका दिया ।'

इस पर अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने रोष युक्त स्वर में काब से कहा–

'–काब ! तू यहां से उठकर चला जा, यहां तक कि अल्लाह तेरे बारे में कोई हुक्म भेजे ।'

काब नबी (सल्ल०) के दरबार से उठकर चले आये, चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं, मन बैठा जा रहा था और पांव उठते न थे मानो उनमें शक्ति ही नहीं रही । यह किसी शासक और बादशाह की नहीं, अल्लाह के रसूल (सल्ल०) के रोष का मामला था । काब के मन पर जो भी बीतता था, थोड़ा था–काब के नातेदारों और रिश्तेदारों ने कहा कि काब! तूने सच कहकर अपने को विपत्ति में डाल दिया । अरे मूर्ख ! दूसरों की तरह तू भी कोई बहाना गढ़ लेता तो यह दुर्दिन देखने को न मिलता ।

काब ने उत्तर दिया कि भाइयों ! किसी दुनियादार के साथ मामला पेश आता तो मैं कोई झूठ-मूठ बात कहकर छूट जाता, पर यह अल्लाह के रसूल (सल्ल०) का मामला है । अल्लाह वह्य भेजकर अगर मेरे झूठ को खोल देता, तो मैं कहीं का न रहता ।

'–भाइयो ! अच्छा यह तो बताओ कि मेरे साथ जो मामला हुआ है, क्या और किसी के साथ भी ऐसा हुआ है ?' काब ने पूछा ।

'–हां, हिलाल बिन उमैया और मुरारा बिन रबीअ के साथ भी यही मामला पेश आया है ।' लोगों ने एक साथ उत्तर दिया ।

इसके बाद मरहला और अधिक सख़्त था । अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने हुक्म फ़रमाया कि कोई मुसलमान काब, मुरारा और हिलाल से बातचीत न करे । इन तीनों का यूं समझो कि बहिष्कार कर दिया गया । दो-चार-पांच नहीं, पूरे पचास दिन इसी स्थिति में बीते । आदमी के साथ जीवन की सौ आवश्यकताएं लगी हैं । काब को भी कामकाज से घर के बाहर जाना पड़ता । गलियों, बाज़ारों, खेतों और मरुद्यानों में, पर कोई मुसलमान उनसे बातचीत न करता । विचित्र कठिनाई और परेशानी की सामना था । सहाबा

किराम (रज़ि॰) ने दुआ-सलाम बन्द कर दी, मानो काब से किसी का कोई संबंध ही नहीं है और यह इनके लिए बिल्कुल अनजाना और पराया है ।

एक दिन हज़रत काब मदीने के बाहर पहुंचे । उनके चचेरे भाई अबू क़तादा का नगर से बाहर बाग़ था, जहां वह एक मकान बनवा रहे थे । काब ने चचेरे भाई को सलाम किया, पर भाई ने कोई ध्यान न दिया, बल्कि मुंह फेर लिया । काब ने दिल थामते हुए कहा–

'अबू क़तादा ! मुझे मालूम तो है कि मैं ख़ुदा और रसूल को मित्र रखता हूं और मेरा दिल शिर्क और कपटाचार से पवित्र है, फिर तू मुझ से बात क्यों नहीं करता ?'

अबू क़तादा ने काब की बात का कोई उत्तर न दिया । वह यथा पूर्व चुप रहे, होंठ हिले ही नहीं, काब की ओर से मुंह फेरे रहे । काब ने एक बार नहीं, तीन बार अबू क़तादा का ध्यान आकृष्ट किया, पर उन्होंने एक अक्षर भी उत्तर में न कहा ।

काब मस्जिदे नबवी में नमाज़ पढ़ने के लिए जाते, तो कोई मुसलमान उनसे बातें न करता । यह चुप-चुाप नमाज़ पढ़कर चले आते–और यह भी करते कि ख़ामोशी के साथ मस्जिदे नबवी के किसी कोने में बैठ जाते और अन्दाज़ा लगाते कि अल्लाह के रसूल मुझे किस दृष्टि से देखते हैं । काब ने बहुत बार महसूस किया कि अल्लाह के रसूल मेरी ओर कनखियों से देख रहे हैं । मेरी परेशानी पर हुज़ूर (सल्ल॰) को तरस भी आ रहा है, पर जब मैं हुज़ूर (सल्ल॰) की ओर देखता तो हुज़ूर (सल्ल॰) निगाहें फेर लेते ।

घर के लोग किसी व्यक्ति से बोलना-चालना छोड़ दें, तो बेचारा दिवाना हो जाए, यहां तो सारे शहर ने काब का बहिष्कार कर दिया था । साहब-सलामत और दुआ-सलाम तक जाती रही थी । काब के दिल की जो हालत भी हो गयी हो, कम थी । काब तंहाई में रोने लगते, संसार उनकी दृष्टि में अंधेरा था, आशा की कोई किरण दिखायी न देती थी–

जब उसने फेर लीं नज़रें, रंगे तबाही, आह न पूछ !
नज़रें ख़ाली, सीना वीरां, दिल की हालत क्या कहिए!

संध्या का समय था, सूरज पूरी तरह डूबा नहीं था, खजूरों की डालियों पर शाम की स्याही का धुवां-सा नज़र आता था, लोग काम-काज करके घरों को वापस आ रहे थे, रास्तों में बकरियों और ऊंटों की पंक्तियां दिखायी देती थीं, परिंदे दाना-तुनका चुगकर अपने घोसलों का रुख़ कर रहे थे और ऊंटों के गल्लों की बजती हुई घंटियां मानो संध्या-मौन आप ही आप गुनगुना रहा हो, इतने में एक ईसाई तेज़-सी ऊंटनी पर आता हुआ दीख पड़ा ।

'–काब कहां है ? काब, जिसका तुम मुसलमानों ने बहिष्कार कर दिया है, जिससे तुम्हारे नबी (सल्ल॰) रुष्ट हैं ।' –ईसाई ने लोगों से पूछा ।

'–तुम हवा के घोड़े पर सवार हो, तनिक तसल्ली से बात करो ? –देखो, सामने वाले बाग़ के किनारे जो व्यक्ति सिर झुकाए बैठा है, वह काब है ! तुम यात्री हो, इसलिए हमने तुम्हारे लिए काब की ओर संकेत करके उसका पता भी बता दिया, वरना मदीने का कोई व्यक्ति भी पूछता, तो हम यह भी न करते'–एक बूढे अरब ने उत्तर दिया ।

ईसाई तेज़ी के साथ काब के पास आया और हर्ष व्यक्त करते हुए बोला, काब ! प्रसन्न हो जा, तेरे दिन फिर गये, तेरे भाग्य का सितारा चमक उठा, बादशाह सलामत ने तुझे याद फ़रमाया है । यह सौभाग्य बड़े भाग्यवानों को मिलता है, फिर उसने शाहे ग़स्सान का पत्र काब के हाथ में दे दिया । उसमें लिखा था–

'–ऐ काब बिन मालिक ! मुझे मालूम हुआ है, तेरा साहब (अर्थात हज़रत मुहम्मद, अल्लाह के रसूल सल्ल॰) तुझ से रुष्ट हो गया है और अपने यहां से उसने तुझे निकाल दिया है । दूसरे मुसलमानों ने भी तुझ से किनारा कर लिया है, जिस नगर के लोग तुझ से इतने उदासीन हैं, वहां तुझ जैसे आदमी का रहना ठीक नहीं । इस पत्र के पढ़ते ही हमारे पास चला आ, हमारी कृपाएं तेरी राह देख रही हैं ।'

हज़रत काब की जगह कोई स्वार्थी व्यक्ति होता, तो ख़ुशी के मारे फूला न समाता, यह एक बादशाह की ओर से तलबी का फ़रमान था, दुनिया की नेमतों और हर प्रकार की प्रतिष्ठा प्रदान करने का इसमें वादा था । पर काब शाही ख़त और फ़रमान पढ़कर भड़क उठे, इसमें मन का क्षेत्र भी शामिल था । क्षोभ इस बात का कि मेरी इस हालत को देखकर बादशाह मुझे कुफ़्र की ओर बुलाता है । उस ज़ालिम के मन में आख़िर यह विचार आया कैसे कि काब मदीना छोड़कर उसकी राजधानी का रुख़ कर सकता है ।

ईसाई ख़ामोश खड़ा था । उसे आशा थी कि काब मुझ से कहेगा, कि मुझे अपने साथ ऊंट पर बिठा कर बादशाह के हुज़ूर में ले चलो, घर भी जाना नहीं चाहता और घर जाऊं तो किसके पास जाऊं । एक-एक नातेदार मुझ से मुंह फेरे

हुए है । पर ईसाई के आश्चर्य की कोई सीमा न रही, जब उसने देखा कि काब ने अति अपमानजनक ढंग से शाही फ़रमान को आग में डाल दिया ।

'तेरे बादशाह सलामत और आक़ा की कृपाओं से मेरे आक़ा की नाराज़गी बेहतर है ।'–हज़रत काब ने ईसाई दूत से कहा । शाही फ़रमान जल चुका था । आग का धुवां शाम के धुंधलके में मिलकर और गहरा हो गया । ईसाई अपनी लंबी दाढ़ी को पेच देता हुआ वापस चला गया । बहुत तेज़-तेज़ आया था, पर इस विफलता के बाद उसके पांव धीरे-धीरे उठने लगे–बड़ी कड़ी परीक्षा थी काब की, पर अल्लाह ने अपनी कृपा की कि काब के पांव को थोड़ा-सा भी न डगमगाने दिया–

वह जिसका इमितहां लें और जो हो कामयाब उसमें,
हमारा आपका जीना नहीं, जीना उसी का है ।

इस मरहले से निबट कर और इस अग्नि-परीक्षा से गुज़रकर हज़रत काब अपने घर पहुंचे, तो क्या देखते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने एक सहाबी को यह हुक्म देकर भिजवाया है कि काब से कहना कि वे अपनी पत्नी से दूर रहे । हज़रत काब ने पूछा कि क्या इस आदेश का अर्थ है कि मैं अपनी पत्नी को तलाक़ दे दूं । इरशाद हुआ, नहीं, तलाक़ नहीं । उसके बिस्तर से दूर रहो । इस पर काब ने अपनी चहेती बीवी और जीवन-संगिनी को उसके बाप के घर भिजवा दिया ।

इसी स्थिति में पूरे पचास दिन बीत गये । काब के मन पर ग़म के आरे चल रहे थे, दुनिया का दुख-दर्द, व्यापार की लाभ-हानि, किसी मित्र-नातेदार का रोष होता तो सहन किया जा सकता था, यह ख़ुदा और रसूल की समस्या थी, यहां हर क्षण ईमान लाने और भविष्य नष्ट होने का ख़तरा, काब के दुख-दर्द का कोई अंदाज़ा न था, जिसके मन पर बीतती है, वही जानता है । काब का अधिक समय तौबा और इस्तिग़फ़ार में गुज़रता ।

रात का समय था । काब अपने मकान के ऊपरी हिस्से पर थे और थे क्या, दुख और पीड़ा की स्थिति में बेचारे पड़े हुए थे, निढाल, परेशान, क्षुब्ध और क्लांत, जीवन अब उनपर बोझ लगने लगा था–इतने में एक व्यक्ति ने टीले पर खड़े होकर काब को ज़ोर से पुकारा–

'काब ! तुझे ख़ुशख़बरी हो कि अल्लाह ने तेरी तौबा स्वीकार कर ली ।'

इस ख़ुशख़बरी ने काब की आशाओं को नये सिरे से जीवन प्रदान कर दिया । आंखों में हर्ष और कृतज्ञता-भाव झलकने लगा, पीले चेहरे में लाली दौड़ गयी, वह कोठे से नीचे आने का निश्चय ही कर रहे थे कि लोग उनके पास दौड़े हुए आये और काब को शुभ सूचना दी कि तबूक की लड़ाई में जो मुसलमान शरीक होने से रह गये हैं, उनकी तौबा अल्लाह ने स्वीकार कर ली ।

उपरोक्त ख़बर की अब पूरी तरह पुष्टि हो गयी । काब तत्काल सजदे में गिर पड़े । यह शुक्र अदा करने के लिए जज़्बा था, देह का हर रोंगटा अल्लाह का शुक्र बजा ला रहा था, फिर वह हुज़ूर (सल्ल०) की सेवा में दौड़ते हुए पहुंचे, मुहाजिर और अंसार वहां बैठे थे । काब ने सलाम किया । हुज़ूर (सल्ल०) का मुबारक चेहरा ख़ुशी से चमक रहा था, चौदहवीं के चांद की तरह-पर यह भी अपूर्ण और अधूरी उपमा है । मुहम्मद स्वयं अपना उदाहरण आप थे । हुज़ूर (सल्ल०) ने काब से फ़रमाया–'ऐ काब ! शुभ-सूचना हो तुझे ! तेरी तौबा अल्लाह के दरबार में स्वीकार कर ली गयी, जिस दिन से तू मां के पेट से पैदा हुआ है । इस दिन से बेहतर कोई दिन तुझ पर न बीता न होगा ।'

हज़रत काब बिन मालिक की अंधेरी दुनिया यकायकी आशा किरण से जगमगा उठी, अभी-अभी आंखों से आंसू और होंठ पर आहें थीं और अब होंठों पर मुस्कान खेलने लगी ।

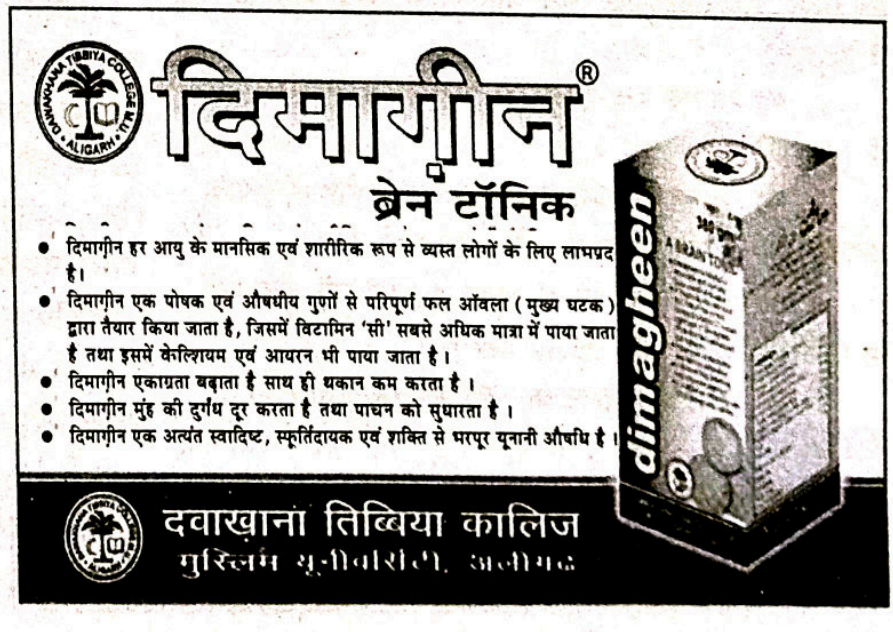

मुस्लिम पर्सनल लॉ :

■ प्रो॰ उमर हयात ख़ां ग़ौरी

इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ को तब्दील कराने के लिए समय-समय पर जो एतिराज़ात किये जाते हैं वे संक्षेप में निम्नलिखित हैं । इन एतिराज़ात के सिलसिले में बहस करते वक़्त ज़रूरी मालूम होता है कि इस संबंध में यूरोप के दृष्टिकोण के साथ-साथ हिन्दू धर्म के दृष्टिकोणों का भी अध्ययन कर लिया जाये और फिर उन कारणों और मसलिहतों पर दृष्टि डाली जाये जिनको ध्यान में रखकर इस्लाम ने अपना दृष्टिकोण निश्चित किया है ।



मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एतिराज़ात

मुस्लिम पर्सनल लॉ पर, उसे परिवर्तित कराने की मांग के साथ, जो एतिराज़ात किये जाते हैं या किये जाते रहे हैं वे ये हैं–

1. यह क़ानून एक से ज़्यादा पत्नियों की इजाज़त देता है ।

2. यह क़ानून मर्द को तलाक़ का हक़ देता है जबकि तलाक़ का समान अधिकार औरत को नहीं देता ।

3. विरासत के बंटवारे में औरत को मर्द की तुलना में आधे हिस्से का हक़दार क़रार देता है ।

4. गवाही में दो औरतों को एक मर्द के बराबर मानता है ।

5. यह क़ानून लिंगभेद की पॉलिसी अपनाता है ।

उपर्युक्त एतिराज़ ऊपर से देखने पर बड़े वज़नदार जान पड़ते हैं । मगर ज़रा-सा ध्यान देने पर इनकी हक़ीक़त खुल जाती है और मालूम हो जाता है कि ये एतिराज़ात अपनी प्रकृति में बड़े खोखले और बेवज़न हैं ।

जब ये आक्षेप सामने लाये जाते हैं तो मुसलमानों की तरफ़ से फ़ौरन सफ़ाइयां शुरू हो जाती हैं और ख़ुदा व रसूल और क़ुरआन व सुन्नत के हवाले शुरू हो जाते हैं । अर्थात आक्षेप उठाने वाले संजीदगी से औरत के दुखों से प्रभावित होकर आक्षेप उठा रहे हैं । मगर चूंकि आक्षेपकर्ता के सामने असल मक़सद भारत से मुस्लिम समाज को समाप्त करना है, क्योंकि इसका जीवित और विद्यमान रहना उनके लक्ष्यों के मार्ग में सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है । इसलिए जवाब कोई नहीं सुनता और एतिराज़ बराबर दोहराया जाता रहता है ।

इन एतिराज़ात पर ग़ौर करके इनका वज़न और हक़ीक़त मालूम करने से पहले इस बात पर विचार कर लिया जाए

आपत्तियां क्यों ?



कि खुद आक्षेपकर्ता की अपनी मजबूरी क्या है । जहां तक इन एतिराज़ात के जवाब का संबंध है इसका संबोधन हिन्दू जाति के आम व्यक्तियों के वर्ग से है, जिसमें वास्तविकता की पहचान करने की योग्यता और सत्य को स्वीकार कर लेने की भावना अब भी मौजूद है । रहे वे लोग जो एक विशिष्ट मतलब प्राप्त करने के लिए परविर्तन का यह शोर मचा रहे हैं तो न वे लोग यहां संबोधित हैं और न उनसे किसी उचित की आशा करना बुद्धिमता मालूम होती है ।

हिन्दू धर्म में औरत की किसी विशेष सामाजिक हैसियत का कोई वजूद नहीं रहा है बल्कि हालात और आवश्यकतानुसार उसकी हैसियत बदलती रही है । उसका हर स्तर पर शरीरिक शोषण होता रहा है और इतिहास के विभिन्न युगों में धार्मिक और राजनैतिक लक्ष्यों के अन्तर्गत उसकी हैसियत निश्चित होती रही है । ऐसी सूरत में एक साधारण हिन्दू यह समझने में असमर्थ है कि कौटुम्बिक जीवन के लिए भी धर्म कोई ऐसा नियम बनाता है जो किसी भी दशा में अपरिवर्तिनीय हो क्योंकि उनके समाज में प्राय: यह परिवर्तन होता रहा है और वर्तमान युग में भी हिन्दू कोड बिल के निर्माण से परिवर्तन किया जा चुका है । ऐसी सूरत में वह समझता है कि कौटुम्बिक नियम भी शासन के अन्य नियमों की तरह होते हैं जिन्हें पार्लियामेंट पास करके लागू कर देती है और जब भी शासन चाहे इनमें परिवर्तन हो सकता है । उसके अनुसार इस क़ानून का स्रोत धर्म और उसके आदेश नहीं बल्कि रस्म व रिवाज हैं ।

अत: वह मुस्लिम पर्सनल लॉ के बारे में भी यही समझता है और इसलिए जब उसमें परिवर्तन की मांग की जाती है तो वह मांग के लक्ष्यों पर विचार किये बिना उसका समर्थन शुरू कर देता है, और जब मुसलमान उसका विरोध करते हैं तो उसे समझा दिया जाता है कि यह हिन्दू दुश्मनी और धार्मिक संकीर्णता की वजह से किया जा रहा है । इसके अलावा हिन्दू जाति के अधिकांश लोगों को तो यह मालूम भी नहीं है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ नाम का कोई अलग क़ानून भी देश में लागू है । यह मांग केवल मुट्ठी भर लोगों की ओर से बार-बार की जाती रहती है और प्रेस के प्रचार के द्वारा उसे यह अर्थ देने का प्रयत्न किया जाता है कि पूरी हिन्दू जाति का समर्थन इस मांग को प्राप्त है । ऐसी सूरत में ज़रूरी हो जाता है कि हिन्दू जाति को मांग के

असल मक़सद की जानकारी दी जाए और उसे यह भी बता दिया जाए कि उसकी पीठ पर कौन लोग हैं और यह भी कि वे देश को किधर ले जाना चाहते हैं । ताकि जिसे इसका पक्ष करना हो सोच-समझकर करे और समाज को जहां ले जाना चाहे सोच-समझकर ले जाए, और इसी के साथ उसे यह भी विश्वास दिला दिया जाए कि मुसलमानों का पर्सनल लॉ संसार का वह अकेला क़ानून है जो गत चौदह सौ साल से अनवरत रूप में चला आ रहा है । आज तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, सारी दुनिया में वह इसी तरह लागू है और आइंदा भी इसमें कोई परिवर्तन संभव न होगा । इसका कारण मुसलमानों की ज़िद या हिन्दू जाति से दुश्मनी और घृणा नहीं है बल्कि यह है कि इस क़ानून का निर्माता खुदा है और दुनिया का माना हुआ क़ानूनी उसूल है कि किसी क़ानून में संशोधन उसका बनाने वाला ही कर सकता है । इसलिए अगर दुनिया के सारे मुसलमान भी चाहें तो सब एकमत होकर भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते । रही हमारी पार्लियामेंट तो उसने इस क़ानून को बनाया नहीं है बल्कि केवल उसका अनुमोदन किया है इसलिए उसे यह हक़ हासिल नहीं है कि उसमें किसी क़िस्म की तब्दीली कर सके । ऐसी सूरत में उनकी यह मांग एक व्यर्थ कार्य से ज़्यादा हैसियत नहीं रखती ।

जहां तक मुस्लिम पर्सनल लॉ पर उपर्युक्त एतिराज़ात का संबंध है उनका जायज़ा लेने के बाद मालूम होता है कि ये एतिराज़ात बेवज़न और निरर्थक हैं, फिर भी उनका जायज़ा लेना उचित जान पड़ता है ।

1. एक से अधिक पत्नियां

मुस्लिम पर्सनल लॉ में सबसे बड़ा आक्षेप यह किया जाता है कि उसने एक समय में चार पत्नियां रखने की इजाज़त देकर औरत पर बहुत जुल्म किया है । मुसलमान आम तौर पर इस आक्षेप के उत्तर में इस इजाज़त के लाभ गिनवाते हैं, जबकि आक्षेपकर्ता समझने के लिए तैयार नहीं बल्कि 'आक्षेप, आक्षेप के लिए' की नीति पर चल रहे हैं । यह एतिराज़ अपनी प्रकार के अनुसार कोई नया और अनोखा भी नहीं है बल्कि आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व से पाश्चात्य लेखक इस एतिराज़ को उठाते रहे हैं और भारत में आज़ादी के बाद से वही टेप बजाया जा रहा है । मुसलमानों की ओर से इसके अनेकों बार उत्तर दिए जा चुके हैं जो इतने प्रामाणिक और स्पष्ट हैं कि अब पाश्चात्य विद्वानों के मुंह तो बन्द हो चुके हैं मगर चूंकि टेप की केवल जीभ होती है, मस्तिष्क नहीं इसलिए वह बेसोचे-समझे बजता रहता है । इसलिए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एतिराज़ करना है ।

अगर ऐसी बात न होती तो फिर यह कैसे संभव था कि इस एतिराज़ को उस गिरोह की तरफ़ से दोहराया जाता जो भारत में प्राचीन संस्कृति के पुनरुत्थान का झंडा खड़ा किये हुए हैं । क्या यह समझा जा सकता है कि वह प्राचीन संस्कृति को समझे बिना ही उसके पुनरुत्थान का नारा लगा रहा है । क्या इस गिरोह को नहीं मालूम होता कि वैदिक युग में बहु-पत्नी प्रथा मौजूद थी । अगर मालूम नहीं है और इसके बावजूद पुनरुत्थान की मांग की जा रही है तो फिर जाति के ऐसे नेतृत्व का ईश्वर ही मालिक है । बहरहाल अगर उसे मालूम नहीं भी है तो कम-से-कम उसे ऋग्वेद 7-26-3 और ऋग्वेद 1-71-1 का अध्ययन करना चाहिए जहां बहु-पत्नी प्रथा का वर्णन किया जाता है ।

इसके अलावा राजा के यहां चार तरह की रानियां होती थीं । इसके लिए शतपथ ब्राह्मण 6-5-3-11, ऋग्वेद 10-102-11, अथर्ववेद 7-113-2, तैन्तिरीय ब्राह्मण 2-11 और शतपथ ब्राह्मण 13-4-18 का अध्ययन कर लिया जाए ।

वैदिक युग में ब्राह्मणों में भी बहु-पत्नी प्रथा थी । च्वयन ऋषि की अनेक पत्नियों का वर्णन ऋग्वेद 1-116-10 में किया गया है । सोमरी ऋषि द्वारा त्रसदस्यु पोरुकुत्स की पचास पुत्रियों के साथ विवाह का वर्णन भी ऋग्वेद 8-17-36 में स्पष्ट रूप में मिलता है । महर्षि याज्ञवलक्य की दो पत्नियों कल्याणी और मैत्रेयी का विस्तृत वर्णन वृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है ।

आश्चर्यजनक बात है कि हिन्दू धर्म की धार्मिक पुस्तकों में इतने स्पष्ट रूप में बहु-पत्नी प्रथा का वर्णन होने के बाद देश में प्राचीन सभ्यता का पुनरुत्थान करने वाले इस्लाम में चार बीवियों की इजाज़त पर इतना शोर किस तर्क पर मचाने में लगे हुए हैं । यह अपने गरेबान को देखे बिना दूसरे के गरेबान पर हाथ डालना किसी भी प्रकार बुद्धिमानी नहीं कही जा सकती ।

इन परिस्थितियों के होते हुए अगर इस्लाम ने अधिक-से-

अधिक चार बीवियां रखने की इजाज़त दी है तो इससे कौन सा ग़ज़ब टूट पड़ा है जिस पर इस देश में इतना उधम मचाया जा रहा है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदलने के लिए इसे उस क़ानून का बहुत बड़ा अपराध क़रार दिया जा रहा है ।

इसके अलावा भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ में दी गयी चार बीवियों की इजाज़त पर पाबंदी लगाने की मांग इस देश के कुछ लोगों की ओर से की जा रही है जिनके धर्म में केवल एक पत्नी रखने की इजाज़त है । इस जाति के सदस्यों की ओर से इस मांग का यह अर्थ होता है कि वह इस्लाम को छोड़कर हिन्दू धर्म के नियम पर अमल करें जो सिर्फ़ एक बीवी रखने की इजाज़त देता है । अगर इस देश में इस प्रकार की मांगों को प्रोत्साहन दिया जाने लगा तो यहां क्या स्थिति पैदा होगी, ख़ुदा ही बेहतर जानता है । हां, यह बात ज़रूर कही जा सकती है कि मुल्क धार्मिक बहसों, मांगों और लड़ाइयों का अखाड़ा बन जायेगा और सेक्यूलरिज़्म की अर्थी बड़ी दयनीय दशा में यहां से उठ जायेगी ।

जहां तक एक से अधिक पत्नी का संबंध है मानव जाति की सभ्यता के इतिहास का अध्ययन बताता है कि मर्दों ने अपनी तारीख़ में हमेशा एक से ज़्यादा बीवियों को रखा है और जहां कहीं भी इस पर पाबंदी लगाकर उसे केवल एक बीवी रखने पर मजबूर किया गया है, वहां बहुत शीघ्र रखैलें, स्वतंत्र शारीरिक संबंध स्थापित करने, ज़िना, अपहरण और औरत के शारीरिक शोषण ने संक्रामक रोग का रूप धारण कर लिया है और समाज में नैतिक और यौन-संबंधी अपराधों में भारी वृद्धि हुई है तथा समाज उच्छृंखलता के मार्ग पर चल पड़ा है । प्राचीन व नवीन भारत का ज़ायज़ा गुज़र चुका है । प्राचीन यूरोप इतिहास के पन्नों पर सुरक्षित है और नवीन हमारी नज़रों के सामने आज भी इस सत्य पर मुहर लगा रहा है । इससे मालूम होता है कि समाज की ख़ुशहाली और शान्ति के लिए एक पत्नी प्रथा की नहीं बल्कि बहु-पत्नी प्रथा की इजाज़त आवश्यक है और इस्लाम इसकी इजाज़त देता है ।

भारत में अब बहु-पत्नी प्रथा को बहुत बुरा समझा जाता है, इसलिए कि इस देश में हिन्दू धर्म को माननेवाले बहुसंख्या में हैं, उनके रहन-सहन से मुसलमान भी प्रभावित हुए और उनकी राय पर किस हद तक इसका प्रभाव पड़ा है ।

इस्लाम जहां चार शादियों की इजाज़त देता है, वहीं वह निकाह के अलावा यौन संबंध की किसी दूसरी शक्ल की किसी भी क़ीमत पर इजाज़त नहीं देता । कोई औरत मर्द के जीवन के क़िले में निकाह मुख्य द्वार के अलावा किसी चोर दरवाज़े से प्रवेश नहीं कर सकती । इसलिए निकाह के साथ ही उसके क़ानूनी, धार्मिक और नैतिक अधिकार बराबरी के अनुपात में निश्चित हो जाते हैं और इसलिए वह असाधारण सेवा या आज्ञाकारिता द्वारा पहली बीवी को निकालने की कोशिश नहीं करती । इसलिए एक से अधिक बीवियां हिन्दू समाज में पहली पत्नी के लिए जिस तरह की समस्याएं खड़ी कर देती हैं, मुस्लिम समाज में इसकी कोई संभावना नहीं होती । इसलिए अगर एक से ज़्यादा बीवियां हिन्दू समाज में समस्याएं पैदा करने की वजह बनती हैं तो इस बुनियाद पर इस्लाम की इस इजाज़त पर उन्हें एतिराज़ करने का न तो कोई हक़ पहुंचता है और न इसमें कोई औचित्य है । लेकिन आश्चर्य है कि देश की अनेक सर्वे रिर्पोटों के अनुसार बहु-पत्नी प्रथा का रिवाज भारत में मुसलमानों से कहीं अधिक हिन्दू जाति में मौजूद है । जो शायद प्रतिबंध प्रक्रिया है । इसलिए बिना सोचे-समझे यूरोप का टेप बजाते रहने से न तो कोई लाभ ही है और न बुद्धिमता ही, कांच के घर में रहने वालों को अपने घर की अधिक चिन्ता होनी चाहिए ।

इन हालात में कभी-कभी सन्देह होने लगता है कि कहीं पुनरुत्थानवादियों की दृष्टि से इस हंगामे का कोई विशिष्ट अभिप्राय न हो जिसकी वजह से यह हक़ीक़त तो नज़रों से छुपा दी जाती है कि इजाज़त न होने के बावजूद हिन्दू जाति में बहु-पत्नी प्रथा पर जिस तरह अमल किया जा रहा है, इजाज़त होने पर भी मुसलमान उस पर उसी तरह अमल नहीं कर रहे हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ में बहु-पत्नी प्रथा की इजाज़त पर लगातार शोर मचाया जाता रहता है शायद इसकी वजह यह भय हो कि कहीं देश के मौजूदा हालात से मजबूर होकर मुसलमान यह निश्चित न कर लें कि इनमें से हर व्यक्ति आवश्यक रूप से चार बीवियां रखकर उनसे अधिक से अधिक सन्तान पैदा करने लगें और इस तरह देश की आबादी के अनुपात में फ़र्क़ पैदा हो जाए

स सन्देह को बल उन बयानात से मिलता है जो गत वर्षों मीनाक्षीपुरम् में कुछ हरिजनों के इस्लाम क़बूल करने पर तिक्रिया स्वरूप दिये गये थे, जिनमें कहा गया था कि यह र्म परिवर्तन हिन्दू जाति के विरुद्ध एक षड्यंत्र है ताकि इस श की आबादी के अनुपात और संतुलन को बदल दिया ाए । इसकी पुष्टि उन बयानात से भी होती है जिनके नुसार धर्म परिवर्तन करने वाले हरिजनों को सलाह दी गयी ी कि वह चाहे बौद्ध धर्म स्वीकार कर लें किन्तु मुसलमान हों । अगर यह सन्देह सही है तो उन लोगों को मालूम होना ाहिए कि मुसलमान किसी षड्यंत्रकारी का नाम नहीं है । न्होंने जब यह काम अपने लम्बे शासन काल में नहीं किया, ाब इस देश में उन पर एतिराज़ करने वाला कोई नहीं था, ो अब भी वे इस पर अमल नहीं करेंगे । मुस्लिम पर्सनल ॉ और इस्लाम में मौजूद गुणों के कारण यह इजाज़त दी यी है, यह कोई आदेश नहीं है और न मुसलमानों ने ाधारणत: अपने इतिहास में कभी इस पर अमल किया है ।

मुसलमानों का इतिहास पिछले लगभग साढ़े चौदह सौ ाल के लम्बे समय पर फैला हुआ है । इस पूरी अवधि में ुसलमान दुनिया के लगभग सारे ही देशों और सारे ही क्षेत्रों आबाद रहे हैं । वे विजेता की हैसियत भी आते हैं और यापारी की हैसियत से भी । वे शासक भी रहे हैं और ासित भी, वे विजेता भी रहे हैं और विजित भी, मगर सके बावजूद इतिहास के इतने लम्बे समय में दुनिया के कसी क्षेत्र में मुस्लिम समाज में न तो वे हालात पैदा हो गये जो प्राचीन भारत में मौजूद थे और न उसे उन हालात का ामना करना पड़ा है जो वर्तमान युग में देश की बहुसंख्यक ाति को दरपेश हैं । वह न बिगड़े हुए यौन संबंधों के उस क्रामक रोग से परिचित हुआ है जो वर्तमान यूरोप के लिए भिशाप बने हुए हैं और उसमें भारत के शारीरिक शोषण ी निशानी मिलती है जबकि भारत और यूरोप दोनों एक त्नी प्रथा पर बल देते हैं और इस्लाम बहु-पत्नी प्रथा की जाज़त देता है ।

इतिहास का अध्ययन और इस्लाम के समाज-संगठन क इतने लम्बे अनुभवों की कसौटी पर पूरा उतरना, भारत ौर यूरोप के उन इन्सानों की आंखें खोल देने के लिए काफ़ी होना चाहिए जिनके दिल में इन्सानी सहानुभूति औरत के शोषण से घृणा और अपनी क़ौम के सुधार की भावना ज़िन्दा व जागरूक है, उन लोगों को अपनी जातीय सहानुभूति और जातीय शुभेच्छा का सबूत देना चाहिए और बजाए इसके कि मुसलमान औरत को यौन संबंधी शोषण में फंसाने की कोशिश में सहयोग दें, उन्हें चाहिए कि ख़ुद हिन्दू औरत को, जिनमें से कोई उनकी बीवी है तो कोई बेटी और कोई मां है तो कोई बहन, इस शारीरिक शोषण से बचाने की कोशिश करनी में जुट जाएं और चूंकि इतिहास का काफ़ी लम्बा अनुभव है कि औरत को अगर दुनिया में किसी ने शोषण से बचाया है तो वह मुस्लिम पर्सनल लॉ ही है । इसलिए अपनी आदरणीय महिलाओं के शील व अस्तित्व के लिए ही उन्हें चाहिए कि ख़ुद हिन्दू जाति के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ को लागू करने की मांग करें ।

इस्लाम चूंकि कुछ बुनियादी अक़ीदों से शुरू होता है इसलिए उसके निश्चित किये हुए न्यायपूर्ण और सन्तुलित पर्सनल लॉ के लागू होने से कोई जाति मुसलमान नहीं बन जायेगी, बल्कि जिस तरह क़ानूनी उदाहरण दूसरे देशों से भी लिये जाते हैं, इस्लाम से भी उसके इस क़ानून को लिया जा सकता है और अगर वे अपने अन्दर पुनरुत्थानवादियों से मुक़ाबला करने की शक्ति नहीं पाते तो मुसलमान हिन्दू औरत को भी आदम और हव्वा की बेटी ही समझते हैं और इस रिश्ते से वह भी उनकी बहन है । इसलिए उसकी इस दुर्गति पर वे शर्म से पानी-पानी हो जाते हैं, मगर क्या करें उनकी टीस को देखने के लिए इस देश में कोई तैयार नहीं। मान लीजिए अगर ऐसे लोग अपने अन्दर इतनी हिम्मत भी नहीं कर पाते तो फिर यह बात मानवता और सभ्यता से बहुत परे हो जाती है कि मुसलमान औरत को भी उसी शारीरिक शोषण की यातना में फंसाने की कोशिश में सहयोग दिया जाए ।

2. मर्द को लताक़ का हक़

भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर दूसरा एतिराज़ यह किया जाता है कि वह मर्द को तलाक़ का हक़ देता है जबकि औरत के इस हक़ को नहीं मानता । इस एतिराज़ को दोहराने वाले ख़ुदा जाने किस दुनिया में रहा करते हैं और किस शून्य में उड़ते रहने के आदी हो गये हैं । लेकिन यह बात निश्चित है कि वे बहरहाल इस दुनिया में तो रहते नहीं

वरना उन्हें मालूम होता कि साधारणत: आज के इस उन्नतिशील युग में भी यह बात स्वीकार की जा चुकी है कि दुनिया में जिस व्यक्ति पर जितनी अधिक ज़िम्मेदारियां डाली जाती हैं उसे दुनिया में उतने ही अधिकार भी दिये जाते हैं । दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि अधिक ज़िम्मेदारियों के साथ कम अधिकार किसी व्यक्ति को दिये जाते हों । यही वजह है कि हर शासकीय कर्मचारी अपनी हैसियत में बराबर होता है मगर किसी व्यक्ति को सेवा से हटाने का अधिकार सिर्फ़ बड़े अधिकारी को दिया जाता है, क्योंकि ज़िम्मेदारियां भी उसी को अधिक सौंपी जाती हैं । किसी मातहत को दुनिया में कहीं यह हक़ नहीं दिया गया है कि वह जब चाहे अपने अफ़सर को हटा दे । अधिकारों के इस बंटवारे में लिंग भेद को भी नहीं देखा जाता है और न दुनिया में इसे कोई असमानता का जुल्म कहता है ।

इस्लाम भी कौटुम्बिक जीवन में मर्द और औरत के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का बंटवारा करता है । वह प्राकृतिक आवश्यकताओं और सामाजिक ज़रूरतों के अन्तर्गत औरत को घर और उसकी चारदीवारी के अन्दर की ज़िम्मेदारियां सौंपता है जबकि मर्द का कार्यक्षेत्र सारी दुनिया को ठहराता है । कार्यक्षेत्र के इसी बंटवारे की वजह से इस्लाम औरत को आर्थिक ज़िम्मेदारियों से पूरी तरह स्वतंत्र रखता है और रोटी-रोज़ी पर पूरी ज़िम्मेदारी मर्द पर डालता है और मर्द को अपने विशेष गुणों की वजह से कुटुम्ब का बड़ा अधिकार ठहराता है ताकि कुटुम्ब का प्रबंध भली-भांति रखा जा सके ।

ऐसी सूरत में सार्वभौम स्वीकृत क़ानून के अनुसार इस्लाम मर्द को अधिकार देता है कि अगर औरत कौटुम्बिक प्रबंध में उसका साथ नहीं देती तो वह ऐसी औरत को तलाक़ देकर अलग कर दे । लेकिन जिस तरह मौजूदा क़ानून अच्चाधिकारी को सेवा से पृथक कर देने का केवल अधिकार ही नहीं देता बल्कि इसी तरह इस्लाम में भी मर्द को सिर्फ़ तलाक़ देने का अधिकार है जो तीन तुहर (तीन मासिक धर्म) पर फैला हुआ है और इस बात की इजाज़त भी देता है कि जैसे ही परिस्थितियों में सुधार नज़र आए, तीसरी तलाक़ से बचा जाए । इसका लक्ष्य पति-पत्नी में अलगाव नहीं है क्योंकि इस कार्य को तो वह शैतान का कार्य कहता है, बल्कि इस तरीक़े की मंशा यह है कि परिस्थितियों की को सही दिशा में मोड़ा जा सके । मा लीजिए अगर तलाक़ हो ही जाए तो इससे फिरने को अथा तलाक़ को प्रभावहीन बनाने को कठिन बना देता है ताकि वह हक़ औरत को मर्द के हाथ में एक मामूली खिलौना बना दे कि वह प्रात: तलाक़ दे और शाम को लौटा ले अं शाम को तलाक़ दे और प्रात: लौटा ले, क्योंकि इस तर औरत के शोषण की संभावना पैदा हो जाती है ।

इसीलिए इस्लाम ने हलाला के कठिन मार्ग का निय बनाया ताकि एक बार तलाक़ हो जाने के बाद जब तक व औरत किसी दूसरे मर्द से विवाह न करे और वह उस साथ पति-पत्नी के संबंध स्थापित करने के बाद उ तलाक़ न दे दे, तलाक़ देने वाले पति से उसका विवाह न हो सकता । इस तरह इस्लाम ने जहां मर्द को तलाक़ द हक़ दिया है वहीं उस अधिकार के परिणामों को इत कठिन बना दिया है कि मर्द बार-बार सोचने और सुधार क लगातार कोशिश के बाद ही बिलकुल आख़िर में अन्ति हथियार के रूप में इस अधिकार का प्रयोग करता है।

इस वजह से मर्द के लिए आवश्यक नहीं ठहराया ग है कि वह किसी दूसरी औरत से निकाह करके उसे तला दे, तभी पहली औरत से उसका विवाह हो सकता है इसलिए कि हक़ को मर्द को दियां गया है क्योंकि इस ह को अत्यन्त सूझ-बूझ और ज़िम्मेदारी से प्रयोग करने के लि और औरत को शोषण से बचाने के लिए हलाला की श लगा दी गयी है ।

इसके अलावा इस्लाम ने औरत को भी ख़ुलअ मां का हक़ इस तरह दिया है जिस तरह वर्तमान शासन का में मातहत को यह हक़ तो नहीं दिया जाता कि वह अ अफ़सर को बरतरफ़ कर दें मगर उसे यह हक़ ज़रूर दि जाता है कि अगर वह महसूस करे कि उस अफ़सर उसके संबंध अच्छे ढंग से नहीं रह सकेंगे तो वह अप नौकरी से त्यागपत्र दे दे । इसी तरह इस्लाम भी अप निश्चित की हुई सीमाओं और शर्तों के साथ औरत को अ अप्रिय पति से ख़ुलअ मांगने का हक़ देता है । जब अफ़ और मातहत के बीच उनकी हैसियत से अन्तर को पक्षप नहीं कहा जाता तो फिर कौटुम्बिक जीवन में पति-पत्नी

कौटुम्बिक हैसियत के फ़र्क़ को पक्षपात कैसे कहा जा सकता है ।

इस देश में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि यहां मुस्लिम पर्सनल लॉ पर एतिराज़ करने वाले सबके सब हिन्दू धर्म से संबंध रखते हैं । ये लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ से क़ानून लेते हैं और अपने हिन्दू समाज पर चिपकाकर देखते हैं और शोर मचाने वालों के सुर में सुर मिलाने लगते हैं । इस बात में कोई सन्देह नहीं कि मर्द को तलाक़ का हक़ देना हिन्दू समाज में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का कारण बन जाता है । क्योंकि हिन्दू समाज में विधवा और मुतल्लिक़ा (वह औरत जिसे तलाक़ दी गयी हो) की बड़ी दुर्गति होती है और उसके लिए जीवन यातना बन जाता है, उसे अत्यन्त तुच्छ और अपमानित समझा जाता है । सास अपनी बहू को और मां अपनी बेटी को ऐसी औरत के पास बैठने तक नहीं देतीं, सुहागिन औरतें उनसे दूर रहती हैं–और स्वयं औरतों की हृदय छेद डालने वाली बातें उनके लिए समाज में चलना-फिरना मुश्किल बना देती हैं । ऐसे समाज में मर्द को तलाक़ का अधिकार देना वास्तव में औरत पर भयानक अत्याचार माना जायेगा ।

मगर जहां तक मुस्लिम समाज का संबंध है, न केवल यह कि तलाक़ दी हुई या विधवा औरत को यहां ज़लील और कमीन नहीं समझा जाता बल्कि उसके आदर और गौरव में भी कोई अन्तर नहीं आने पाता । इस्लाम न तो पति की मौत को विधवा की नहूसत (अशुभता) ठहराता है और न तलाक़ की पूरी ज़िम्मेदारी औरत पर डालता है । इतना ही नहीं बल्कि वह विधवा को समान रूप में आदरणीय मानता है बल्कि उसको दूसरे विवाह की इजाज़त भी देता है और इजाज़त ही नहीं उसको प्रोत्साहन भी देता है और समाज को आदेश देता है कि वह विधवा औरत को समझा-बुझाकर दूसरी शादी के लिए तैयार करे ताकि पति की मृत्यु से या तलाक़ की वजह से वह मानसिक, शारीरिक और यौन संबंधी अतृप्ति में मुब्तला न हो जाए । क्योंकि ये अतृप्तियां उसके व्यक्तित्व को समाप्त कर देंगी और उसकी अवनति आरंभ हो जायेगी ।

स्पष्ट है कि जिन लोगों ने केवल हिन्दू समाज में तलाक़ दी गयी या विधवा औरत की दुर्गति देखी है उनकी समझ में यह बात कैसे आ सकती है कि पति को तलाक़ का अधिकार देना मुस्लिम समाज में औरत के लिए समस्याएं पैदा नहीं करता और इसलिए मर्द के इस हक़ पर एतिराज़ करना नासमझी की बात है ।

3. औरत और मर्द का असमान हिस्सा

मुस्लिम पर्सनल लॉ पर तीसरा एतिराज़ यह किया जाता है कि वह मरने वाले व्यक्ति के छोड़े हुए माल और जायदाद में से औरत और मर्द को समान हिस्सा नहीं देता बल्कि औरत को मर्द की अपेक्षा आधा भाग देने का आदेश देता है। यह एतिराज़ भी इस देश में बार-बार दोहराया जाता रहता है और आश्चर्य है कि इसे दोहराने वाला वह गिरोह है जो प्रचीन संस्कृति के पुनरुत्थान का दावेदार है या कभी इस सुर में कोई ऐसा मुसलमान भी विशेष परिस्थितियों में अपना सुर मिला बैठता है जो इस्लाम के बारे में जानकारी के अनुसार किसी ग़ैरे-मुस्लिम के स्तर से ऊंचा नहीं होता । वह न इस्लाम को जानता है और न लोगों को पहचानता है जो उस टेप को बजाते रहते हैं । आश्चर्य की बात यह है कि यह आक्षेप बड़ी ढिठाई से वे लोग करते रहते हैं जो अच्छी तरह जानते हैं कि याज्ञवलक्य स्मृति और नारद स्मृति में विधवा को अपने पति की जायदाद में से हिस्सा पाने से वंचित किया गया है, और एतिराज़ उस इस्लाम पर करते हैं जो औरत को दस विभिन्न हैसियतों से विरासत का हक़ देता है।

इस्लाम के क़ानू ने विरासत में औरत-पत्नी, मां, दादी, बेटी, पोती, बहन, बाप शरीक बहन, मां शरीक बहन, मौसी और फूफी विभिन्न हैसियतों से विरासत में से हिस्सा पाती है । इसके अलावा वह महर की रक़म की पूर्णत: स्वयं मालिक होती है और हर उस रक़म की जो उसे बाप, भाई और पति की ओर से दी जाए । फिर अगर वह इस्लामी सीमा में रहते हुए कोई धंधा करे तो उसके लाभ की भी वह मालिक होती है । वह यदि इस धन को व्यापार में लगाए तो उसके लाभ की भी वह स्वयं हक़दार होती है । उसकी इस सम्पत्ति में से शौहर तक को व्यय करने का कोई हक़ हासिल नहीं है ।

इस्लाम ने औरत के लिए इतने बहुत-से आय के स्रोत प्रदान करके भी उसके ऊपर व्यय करने की कोई ज़िम्मेदारी नहीं डालता । वह घर के व्यय की पूरी ज़िम्मेदारी पति पर

डालता है, यहां तक कि औरत किसी कारण अपने माता-पिता के घर चली जाए और पति लेने न जाए तो वहां के व्यय भी पति को देने पड़ते हैं । तलाक़ की दशा में भी इद्दत के दिनों में औरत के ख़र्चों की ज़िम्मेदारी इस्लाम शौहर पर डालता है और इद्दत समाप्त होते ही औरत को दूसरी शादी की इजाज़त देता है ।

दुनिया में इस ढिठाई का भी कोई जवाब है कि जो इस्लाम औरत पर आर्थिक ज़िम्मेदारियां डाले बग़ैर उसके लिए आमदनी के इतने रास्ते खोल देता है, उस पर एतिराज़ करने वे लोग चले हैं जो विधवा को पति तक के माल में से हिस्सा नहीं देते ।

4. औरत की आधी गवाही

मुस्लिम पर्सनल लॉ पर चौथा आक्षेप यह है कि उसने औरत को गवाही में भी मर्द से आधा माना है । इस संबंध में जहां तक भारत में हिन्दू धर्म को मानने वालों के दृष्टिकोण का संबंध है उसके लिए मनु स्मृति के उस श्लोक को देखा जा सकता है । जिसमें स्पष्ट रूप में कहा गया है कि औरत किसी भी हाल में गवाह नहीं बनायी जा सकती । श्लोक का अनुवाद है–

"एक भी निर्लोभी पुरुष साक्षी हो सकता है, किन्तु बहुत-सी औरतें पाकबाज़ होने पर भी साक्षी नहीं हो सकतीं, क्योंकि औरतों की बुद्धि चंचल होती है ।"

अब अगर इस्लाम ने औरत को गवाह के क़ाबिल तस्लीम किया है और उसको इसकी हैसियत दी है तो क्या आज़ाद और सेक्यूलर भारत में उसकी यह दानशीलता भी अपराध ठहरेगी और फिर अपराध ठहराने वाले भी वे लोग हैं जिनका दृष्टिकोण यह हो कि औरत किसी हाल में भी गवाही देने योग्य होती ही नहीं । ख़ुदा जाने यह ढिठाई की सीमा है या बहुसंख्यक होने का मद है या स्वयं से अनभिज्ञता । बहरहाल कुछ भी हो, हां यह बात तो अवश्य है कि ये एतिराज़ भी पाश्चात्य लेखकों का दोहराया हुआ है जिसे भारत में आयात कर लिया गया है और अब अपने आइने में झांके बिना इस टेप को बजाया जाता रहता है । इसलिए यह एतिराज़ इस क़ाबिल ही नहीं है कि इसका कोई जवाब दिया जाए। फिर भी ऐसे लोग जिन्हें ख़ुदा ने सद्बुद्धि प्रदान की है और जिन्होंने इस्लाम के सामाजिक संगठन का अध्ययन किया है उनसे यह बात छुपी हुई होगी कि उसके समाज में मर्दों और औरतों का आज़ादाना मेल-जोल न हो सके, इसलिए कि यह मेल-जोल असंख्य सामाजिक और नैतिक समस्याओं और अपराधों के द्वार खोल देता है ।

इसी कारण उसने इस बात को भी पसंद नहीं किया कि औरत अपने घर के कामों और बच्चों को छोड़कर न्यायालयों के चक्कर लगाती फिरे और दिन-दिनभर वहां बैठकर प्रतीक्षा करती रहे । फिर यह भी ज़रूरी नहीं है कि इसको अपने किसी निकट संबंधी या पति ही के मामले में गवाही देना पड़े । गवाही की ज़रूरत किसी दूसरे व्यक्ति के मुक़दमे में भी आ सकती है । ऐसी दशा में औरत को ग़ैर मर्दों के साथ भी यात्रा करनी पड़ सकती है । यह और इसी प्रकार के निमित्त कारणों में इस्लाम ने इस बात को पसन्द नहीं किया कि औरत अदालतों में गवाहियां देती फिरे । लेकिन इस्लाम चूंकि प्राकृतिक धर्म है इसलिए उसकी नज़र वहां तक पहुंच जाती है जहां आम तौर पर लोग नहीं पहुंच पाते । कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी मुक़दमे की प्रकृति इस प्रकार की हो जिसमें गवाह केवल औरत ही हो सकती हो ।

इस कारण इस्लाम ने औरत की गवाही को वर्जित तो नहीं ठहराया है मगर यह प्रतिबंध अवश्य लगा दिया है कि गवाही देने के लिए कोई औरत ग़ैर मर्दों के साथ कभी भी अकेले नहीं जा सके । इसका मात्र एक स्वाभाविक तरीक़ा यही हो सकता था कि औरत की गवाही को आधी गवाही ठहराया जाए, इसलिए जिस किसी को भी औरत की गवाही के लिए ले जाना पड़े उसे अनिवार्य रूप से शेष आधी गवाही के लिए किसी दूसरी औरत को साथ रखना पड़ जाए क्योंकि आधी गवाही कोई न्यायालय स्वीकार नहीं करता और इस प्रकार एक के बजाए दो औरतें एक साथ रह सकें ताकि उनके शील व सतीत्व पर कभी कोई आंच न आ सके और वे संदिग्ध न हो सकें ।

फिर इस्लाम चूंकि सच्ची गवाही देने की हिदायत करता है इसलिए बहुत संभव है कि कभी कोई औरत ऐसी सच्ची गवाही ही दे जाए तो जो उसके पक्ष के स्वार्थ के विरुद्ध हो और संभव है कि क्रोध, चिड़ और झुंझलाहट में बदले की भावना से प्रेरित होकर वह उसपर हाथ उठा दे ऐसे

सारे हालात को सामने रखकर इस्लाम ने औरत को आधी गवाही ठहराकर उस पर महान उपकार किया है ताकि वह अकेली रहने के संभावित ख़तरों से सुरक्षित रह सके और एक गवाही के लिए दो औरतों का व्यय बर्दाश्त करने की वजह से लोग औरत को गवाही के लिए प्राथमिकता न दें। इस्लाम की ये हिकमतें भला उन लोगों की समझ में कैसे आ सकती हैं, जिन्होंने बुद्धि और समझदारी को तो अनिवार्य विच्छेद कराने वाली तलाक़ दे रखी हो और टेपरिकार्डर के समान केवल बजते रहते हों। यह इस देश का अभाग्य है कि जो भारतीय बुद्धिमत्ता सारे संसार से लोहा मनवा चुकी थी आज आज़ादी के बाद इस प्रकार के तुच्छ आक्षेपों में उलझकर रह गयी है। शायद इसकी वजह यह भी हो सकती है कि खुद उसका चित्र उसकी आंखों से ओझल करके उसे केवल नारों पर रख दिया गया है।

5. लिंगभेद की पॉलिसी

मुस्लिम पर्सनल लॉ पर पांचवां सबसे बड़ा आक्षेप, बल्कि ऐसा आक्षेप जिसके पेट से शेष सभी आक्षेप जन्म लेते हैं, यह है कि वह लिंगभेद की पॉलिसी पर आधारित है। इसलिए इसमें परिवर्तन अनिवार्य नहीं है। इस देश में इस एतिराज़ के उठाने वालों का खुद अपना दृष्टिकोण क्या रहा है और आज भी क्या है, इसकी बहस पिछले पृष्ठों में आ चुकी है, इससे मालूम होता है कि उनके इतिहास में न केवल औरतों के साथ पक्षपात बरता गया बल्कि उस पर भयानक अत्याचार भी किये गये, उसका शारीरिक शोषण भी किया गया, उसे खिलौने के समान प्रयोग किया गया, उसके व्यक्तित्व को कुचला गया, उसके व्यक्तित्व को पति के व्यक्तित्व में लीन कर दिया गया, उसे न केवल अधिकारों से वंचित रखा गया, बल्कि उसे शुद्र के निम्नतम स्तर तक गिरा दिया गया, यहां तक कि उसे पति की मौत की सज़ा दी गयी।

ऐसे लोग जब इस्लाम पर लिंगभेद की पॉलिसी अपनाने की बात करते हैं तो विचित्र और हास्यस्पद मालूम होता है। फिर जब यह आक्षेप उस गिरोह की तरफ़ से उठाया जाता है जो खुद पूरे हिन्दू समाज को वेदों के युग में ले जाने में लगा हुआ है तो इस आक्षेप के हास्यस्पद होने में और बढ़ोत्तरी हो जाती है। यद्यपि पुनरुत्थानवादियों का यह गिरोह बहुत कम संख्या है जो इस बात को जानता है कि उसका लक्ष्य क्या है। मगर देश के आम नवीन हिन्दू समाज में औरत की उस दुर्गति और शारीरिक शोषण को देखकर भी उसी गिरोह का समर्थन करने वाला है तो बौद्धिक शोषण पर नज़र रखने वाले लोग आश्चर्य चकित होकर रह जाते हैं। अगर इन लोगों के अनुसार औरत और मर्द की समानता इसी का नाम है तो औरत के लिए अभिशाप आख़िर किस चीज़ को कहा जायेगा ? काश, लोगों का अन्त:करण जीवित होता तो उन्हें यह सोचने का अवसर मिलता कि इस देश में हिन्दू औरत का यह शोषण और मुस्लिम औरत के जीवन की यह शान्ति आख़िर किस अन्तर का नाम है।

जहां तक इस एतिराज़ का संबंध है यह भी भारतीय मस्तिष्क की पैदावार नहीं है बल्कि यूरोप से आयात किया हुआ है, जिसमें नेक नीयती और सहानुभूति लेश मात्र भी दिखाई नहीं देती। अगर इसमें नेक नीयति होती तो पहले वे हिन्दू औरत के जीवन को मुसलमान औरत के ज़ीवन से अधिक शान्ति, आनन्द, सुकून और राहत से भरने की चिन्ता करते और उसको सामने रखकर इस मांग को दोहराते। मगर विचित्र बुद्धिमानी है कि पुनरुत्थान के नाम पर अपनी जाति को तो ढाई हज़ार वर्ष पूर्व की दुनिया में ले जाने में लगे हैं और मुसलमानों से मांग करके नवीनता के सांचों में ढाल लें। शायद इसकी वजह यह है कि यूरोप का आधुनिक समाज (भारतीय) प्राचीन संस्कृति से ज़्यादा क़रीब होता जा रहा है और इसलिए यूरोप का यह टेप बराबर बजाया जाता है।

जहां तक यूरोप का संबंध है वहां औरतें-मर्दों की समानता का यह नारा कलीसा के अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में लगाया गया था। अतिवादी की प्रतिक्रिया भी दूसरी अति पर पहुंचाती है। अत: यह प्रतिक्रिया भी दूसरे छोर तक पहुंची, जिसकी वजह से आज यूरोप की औरत का शोषण उसके भूतकाल से अधिक भयानक रूप से हो रहा है।

पुनरुत्थान से पूर्व यूरोपीय समाज में औरत की हालत अत्यन्त दयनीय बन चुकी थी। उस युग में औरत और मर्द ब्रह्मचर्य जीवन बिताने को प्राथमिकता देते थे और कलीसा की सेवा में जीवन व्यतीत कर देते थे। इनके अलावा 'घरेलू औरतों को शैतानी जीव, सदा की पापिन और स्वर्ग से बहिष्कृत कराने की ज़िम्मेदार ठहराया जाता था। "कलीसा की एक मज्लिस ने सन् 582 ई० में धर्मादेश दिया था कि

औरतें प्राण नहीं रखती ।'' यह ऐतिहासिक सत्यता है कि ईसाइयों में औरतों से संबंध रखना आध्यात्मिकता के उत्थान के लिए आवश्यक समझा जाता था । वैदिक भारत के अनुसार–

ये थे यूरोप के हालात जिनमें पुनरुत्थान से पहले वहां की औरत घिरी हुई थी । जब यूरोप में स्वतंत्र विचारों की शुरुआत हुई और ज्ञान विज्ञान और साइंस व टेक्नालॉजी ने उन्नति की तो इन स्वतंत्र विचारकों और रेशनलिस्ट को वहां की औरत का भी ख़्याल आया और उन्होंने औरत को समान अधिकार देने के लिए मर्द और औरत की समानता का नारा लगा दिया और इस नारे को बौद्धिक बुनियाद प्रदान करने के लिए विभिन्न दर्शनशास्त्रों का आविष्कार किया । इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि मानव अधिकारों के बारे में औरत और मर्द में कोई भेद-भाव नहीं किया गया, इसलिए औरत और मर्द दोनों बहरहाल इन्सान हैं और इसलिए इन्सानी हुक़ूक़ के बारे में समान होने चाहिए ।

मगर यह औरत का दुर्भाग्य था कि यही युग यूरोप में साइंस और टेक्नॉलाजी के आरंभ का युग था । इनकी वजह से यूरोप में औद्योगिक इन्क़िलाब आ गया, जिसके नतीजे में बड़ी-बड़ी फ़ैक्टरियों का निर्माण होने लगा और उसमें काम करने के लिए मज़दूरों की आवश्यकता पड़ी । इसी के साथ मशीन के आविष्कार ने लाखों लोगों को बेकार कर दिया, इससे यूरोपीय समाज में मज़दूरों का जुटाना और आम औद्योगिक समस्याएं पैदा हो गयीं । मर्द और औरत की समानता का नारा अभी नया-नया ही था । अत: उसमें तत्काल काम की समानता का अर्थ उत्पन्न कर दिया गया और अब औरत व मर्द की समानता का अर्थ मर्द व औरत में काम की समानता बन गये और दावा कर दिया गया कि मर्द-औरत हर प्रकार समान है इसलिए समान मज़दूरी पर समान कार्य भी कर सकते हैं । इस तरह औरत को जीवन के हर मैदान में मर्द के साथ दौड़ा दिया गया । वह ख़ुद भी एक लम्बे समय से शोषण का शिकार थी इसलिए उसने इस समानता को वरदान समझा और इसको स्वीकार कर लिया । अत: तब से आज तक पश्चिम की औरत भयानक शारीरिक शोषण की सज़ा भुगत रही है ।

यह थी पृष्ठभूमि जिसमें यूरोप ने औरत मर्द की समानता का नारा लगाया था, मगर फ़िर वह दूसरे छोर तक पहुंच गया और पश्चिम की औरत अब पहले से भी ज़्यादा शारीरिक शोषण का शिकार होकर रह गयी है । भारत चूंकि एक लम्बे समय तक अंग्रेज़ों की ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा रहा है और इस बीच अंग्रेज़ों ने भारतीय नौजवानों के मस्तिष्क पाश्चात्य-दर्शन के सांचों में ढाल दिये थे, इसलिए इस देश में यह नारा उन्नतिशील होने का पर्यायवाची हो गया । एक ओर नवीन शिक्षित व्यक्ति पश्चिम की मानसिक ग़ुलामी में फंसे थे और इसलिए इस नारे को हक़ीक़त पर आधारित समझ रहे थे तो दूसरे इस देश के प्राचीन हिन्दू सांस्कृति के पुनरुत्थान की इच्छा रखने वालों के लिए यह नारा आकस्मिक वरदान सिद्ध हुआ और उन्होंने एक तीर से दो शिकार आरंभ कर दिया ।

एक ओर उन्होंने पश्चिम के इन दर्शनों की अपेक्षा प्राचीन हिन्दू दर्शनों को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश शुरू कर दी और इस मामले में हिन्दू जाति में महान होने का दावा पैदा करने में जुट गये तो दूसरी तरफ़ इसी नारे से नवीन शिक्ष प्राप्त मुसलमानों में एहसासे कमतरी पैदा करने की कोशिश शुरू कर दी ताकि उन्नतिशील कहलाने के लिए वे अपने हर प्राचीन मूल्यों को तोड़कर फेंक दें । अत: इस नारे के शोर में उन्होंने देश में प्राचीन सांस्कृतिक पुनरुत्थान की कोशिश शुरू कर दी । इस तरह वे एतिराज़ जो यूरोपीय विचारकों ने ख़ुद अपने प्राचीन समाज पर किये थे यूरोपीय विद्वानों ने उनको मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरुद्ध लगाना शुरू कर दिया और भारत के ये पुनरुत्थानवादी आज़ादी और सेक्यूलरिज़्म की छाया में उन्हीं टेपों को यूरोप से आयात करके इस देश में बजाते रहते हैं ।

जहां तक इस्लाम का संबंध है वह औरत और मर्द की पूर्ण मानवीय समानता को न सिर्फ़ मानता है बल्कि दुनिया में सबसे पहला उद्घोषक भी वही है और उसने औरत को यह समानता दी भी है लेकिन यूरोप के अर्थों में वह दोनों के बीच काम की समानता का पक्षधर है । वह घमंड में गाय को आराम के साथ चारा खिलाने के बजाए बैल के साथ हल में जोत देने को किसी भी क़ीमत पर समानता नहीं कहता । इसको न यूरोप समानता कहता है न भारत का किसान इस पर अमल करता है । मगर ख़ुदा जाने इनकी

अक़्लों को क्या हो जाता है कि जब औरत मर्द का मामला आता है तो वे गाय और बैल के इस अन्तर को भूल जाते हैं और दोनों को हल में जोत डालते हैं ।

इस्लाम की दृष्टि में समानता यह है कि हर व्यक्ति से उतना और उस प्रकार का काम लिया जाये जिसमें उसकी शारीरिक बनावट, स्वाभाविक योग्यताएं, लैंगिक कमी-बेशी, प्राकृतिक आवश्यकता और शारीरिक विशेषताओं को ध्यान में रखा गया हो । फिर वह इस बात को भी ज़रूरी ठहराता है कि काम का निश्चय इस प्रकार किया जाए कि उससे निवृत होकर कोई व्यक्ति उकताहट और असाधारण थकान का अनुभव न करे । इन सारी बातों को ध्यान में रखकर उसने मर्द और औरत दोनों के बीच का विभाजन किया है । इसलिए उसे किसी भी प्रकार का लिंगभेद या पक्षपात नहीं कहा जा सकता । इसके अलावा कौन नहीं जानता कि भारत का प्रत्येक नागरिक चाहे वह कोई भी हो, समान अधिकार रखता है । लेकिन इसी मुल्क में समानता के अर्थ के बावजूद सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़े हुए वर्गों को विशेष सुरक्षाएं भी दी जाती हैं । क्या देश के समान नागरिकों में यह पक्षपात की नीति नहीं है ? मगर इतने बड़े देश में कोई भी इसे पक्षपात नहीं ठहराता है । इसी तरह अगर इस्लाम ने मानव इतिहास के इस अनुभव को दृष्टि में रखकर कि औरत का शोषण सदा मर्दों के हाथों होता रहा है उसे शोषण से बचाने के लिए कुछ सुरक्षाएं प्रदान की हैं । तो उन्हें लैंगिक पक्षपात की पॉलिसी ठहराया जा सकता है ।

मुस्लिम पर्सनल लॉ पर किये जाने वाले आक्षेपों की व्याख्या से मालूम होता है कि ये सब निरर्थक और व्यर्थ हैं जिन्हें यूरोप से आयात करके मुस्लिम पर्सनल लॉ पर लगाया जा रहा है और इसलिए उनके बारे में दिये गये उचित से उचित जवाब को सुना तक नहीं जा रहा है । इस पूरी बहस से यह भी मालूम हो गया है कि आख़िर इस देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे पुनरुत्थानवादियों का क्या लक्ष्य छुपा हुआ है, पुनरुत्थानवादियों की मंज़िल क्या है और यह शोर आख़िर क्यों मचाया जाता रहता है । इन हालात में ज़रूरी हो जाता है कि मुसलमान अपने ख़ैरे उम्मत होने के मक़ाम को पहचानें और "उख़रिजत लिन्नास" के मनसब पर अमल करते हुए अपनी मुस्लिम महिलाओं को शोषण की उस पस्ती से सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा कर लें, साथ ही हिन्दू क़ौम के अन्तःकरण को जगाकर उन्हें उनके अपने समाज के तेज़ी से बिगड़ते हुए हालात की जानकारी देकर उन्हें भी इस बात के लिए तैयार करें कि वे अपनी महिलाओं को शोषण की इस पस्ती से उभारने के लिए कमर कस लें, क्योंकि इस वक़्त जो तूफ़ान एक तिनके से रोका जा सकता है कल बांध फूट जाने के बाद जवाबी तूफ़ानों से भी रोकना संभव न होगा ।

दारुल मुसन्निफ़ीन का हिन्दी प्रकाशन

1.	अरब और हिन्द के ताल्लुक़ात	–मौलाना सैयद सुलैमान नदवी	200/-
2.	अल-फ़ारूक़	–अल्लामा शिब्ली नोमानी	450/-
3.	रहमत-ए-आलम	–सैयद सुलैमान नदवी	60/-
4.	उत्तम आदर्श	–मौलाना सैयद सुलैमान नदवी	125/-
5.	मुहम्मद शिब्ली नोमानी	–डॉ॰ बाबर अशफ़ाक़ ख़ान	80/-
6.	हज़रत आयशा (रज़ि॰) की जीवनी	–मौलाना सुलैमान नदवी	230/-
7.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-1	–सैयद सबाहुद्दीन	125/-
8.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-2	–सैयद सबाहुद्दीन	180/-
9.	भारत के अतीत में मुस्लिम शासकों की निष्पक्षता, भाग-3	–सैयद सबाहुद्दीन	225/-

पता : दारुल मुसन्निफ़ीन शिब्ली एकेडमी, आज़मगढ़ (यू॰पी॰) 276008

Cont. : Fakharul Islam Sb., Mob. : 9935233940

समान सिविल कोड की समस्या

■ शम्स पीरज़ादा

राज्य का धर्मनिरपेक्ष चरित्र

मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरोधी अपने समर्थन में राज्य के सेक्युलर चरित्र का तर्क प्रस्तुत करते हैं। उनके नज़दीक सेक्युलरिज़्म का खुला तक़ाज़ा यह है कि तमाम नागरिकों के पारिवारिक क़ानूनों में एकरूपता होनी चाहिए। विभिन्न संम्प्रदायों के लिए अलग-अलग पारिवारिक (Family Laws) उनके बीच अन्तर व भेद-भाव पैदा करने (Discrimination) के समानार्थी हैं जो राज्य के सेक्युलर चरित्र के विरुद्ध है। सेक्युलरिज़्म के उन अतिवादियों (Ultra-Secularists) से कोई पूछे कि क्या संसार के मानचित्र पर भारत ही सेक्युलर देश है या और भी सेक्युलर देश हैं ? उनको शायद मालूम नहीं कि कितनी सेक्युलर सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने मुस्लिम पर्सनल लॉ को हाथ तक नहीं लगाया है। उदाहरण में थाईलैंड को लीजिए जहां बौद्ध मत के अनुयायियों की बहुसंख्या है और वहां सरकार ने उनके पारिवारिक क़ानूनों में सुधार भी किये हैं, पर उसका क्षेत्र बौद्धों तक सीमित है और मुसलमानों को इसका अपवाद समझकर उन्हें अपने पर्सनल लॉ पर अमल करने की आज़ादी दे रखी है। यही हाल बर्मा का है और यूनान में तो मुस्लिम पर्सनल लॉ को मुफ़्तियों द्वारा लागू किया जाता है अफ़्रीक़ी देश ईथोपिया, घाना, गोल्ड कोस्ट और युगांडा में भी मुस्लिम पर्सनल लॉ को बाक़ी रखा गया है। इन देशों में से अधिकांश का संविधान सेक्युलर है और कुछ देश तो कम्यूनिज़्म विचारधारा के पोषक हैं, पर जब उनका सेक्युलर होना मुस्लिम पर्सनल लॉ के बाक़ी रखने में कोई बाधा न बना तो भारत का सेक्युलर होना इसमें कोई बाधक बने ?

राष्ट्रीय एकता

जब कभी साम्प्रदायिक दंगा होता है और देश के राजनीतिज्ञ उस पर विचार-विमर्श करने लगते हैं, तो प्रायः बहुमत यह होता है कि राष्ट्रीय एकता के लिए समान सिविल कोड (Uniform Civil Code) ज़रूरी है, मानो दंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण होते हैं। अगर इसको समाप्त करके समान सिविल कोड लागू कर दिया जाए तो दंगों का यह सिलसिला रुक जायेगा। यह निदान अगर नीम हकीम डॉक्टरों जैसे लोगों का नहीं है तो बताया जाए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कारण कब और कहां दंगे हुए हैं ? हज़ारों दंगों में से किसी एक ही दंगे की ओर संकेत कर दिया जाए। अब तक जितने कमीशन दंगों की जांच के लिए नियुक्त किये जा चुके हैं, उनमें से किसी ने भी अपनी यह रिपोर्ट नहीं दी है कि दंगे का कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ था। फिर सांप्रदायिक दंगों के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ की बहस छेड़ना क्या अर्थ रखता है ?

दंगों के अतिरिक्त भी विभिन्न सम्प्रदायों के मध्य भावनात्मक एकरूपता पैदा करने के लिए सिविल कोड को ज़रूरी बताया जाता है। जस्टिस वाई॰ वी॰ चन्द्रचूड़ ने एक अवसर पर बंबई में भाषण करते हुए कहा–

'One law of marriage for all would be an important step towards national integration.

(Indian Express, 21-1-1967) 'तमाम लोगों के लिए विवाह का एक क़ानून राष्ट्रीय एकता की ओर अहम क़दम होगा।'

पर सत्य तो यह है कि यह तर्क ही उल्टा है। क्योंकि इससे अल्पसंख्यकों को जब यह महसूस होगा कि उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा समाप्त की जा रही है तो उसकी प्रतिक्रिया अच्छी नहीं होगी, इससे अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों के संबंध पर ख़राब प्रभाव पड़ेगा। इसके विपरीत बहुसंख्यक वर्ग जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णायक स्थान रखता है, अल्पसंख्यकों के साथ उदारता का व्यवहार करने पर तैयार हो जाए और विभिन्न सम्प्रदायों और गिरोहों को अधिक-से-अधिक धार्मिक व सांस्कृतिक स्वतंत्रता दी जाए तो उनके बीच संबंध और अच्छे होंगे और इससे साम्प्रदायिक एकरूपता या राष्ट्रीय एकता पैदा करने में बड़ी सहायता मिलेगी। वरन् राष्ट्रीय एकता के लिए जिस तर्क से समान सिविल कोड को ज़रूरी क़रार दिया जाता है, उस तर्क से जो समान उपासना (Uniform Worship Code) को

भी ज़रूर सिद्ध कर दिखाया जा सकता है । मस्जिद और मंदिर को बाक़ी ही क्यों रहने दिया जाए । इन सबको मिलाकर ख़त्म करके राष्ट्रीय पूजा घर (National Temple) क्यों न बनाये जायें जहां तमाम संप्रदाय के लोग एक पंक्ति में खड़े होकर राष्ट्रीय आचार संहिता के अन्तर्गत संयुक्त उपासना करें और यह उपासना भी ईश्वर की नहीं बल्कि राष्ट्र (Nation) की होनी चाहिए क्योंकि जहां ईश्वर का नाम आया, आस्थाओं के विवाद यहीं खड़े हो जाएंगे और इस विवाद से सम्प्रदाय जन्म लेते हैं और सम्प्रदायों से फिर साम्प्रदायिकता पैदा होती है । अतएव न रहे बांस, न बजे बांसुरी के अनुसार इन तमाम बातों को समाप्त करना राष्ट्रीय एकता के लिए ज़रूरी है । ये राजनीतिज्ञ न जानें क्यों इतनी सीधी बात कहते हुए संकोच करते हैं ।

नयी सभ्यता के तक़ाज़े

मुसलमानों का एक सीमित वर्ग, जो यद्यपि संख्या की दृष्टि से बहुत छोटा है किन्तु जिसने 'नयी रोशनी' में आंखें खोली हैं, आधुनिक रुझानों के मुताबिक़ पर्सनल लॉ में परिवर्तन का हामी है । इसका असली कारण यह नहीं है कि मज़हबी क़ानून सचमुच ही ज़ालिमाना है और मुस्लिम समाज में जो ख़राबी पायी जाती है, वह इसी का नतीजा है, इसलिए इसमें सुधार की ज़रूरत महसूस की जा रही है । ऐसा होना संभव क्योंकर है, जबकि मज़हबी क़ानून अल्लाह द्वारा उतारे गये हैं, जो बन्दों को अच्छी तरह जानता है । बल्कि इसकी असली वजह यह है कि इसकी आंखें आधुनिक सभ्यता की जगमगाहट से चकाचौंध हो गयी हैं । और इन्साफ़ व बराबरी के जो पश्चिमी विचार इसे पश्चिमी सभ्यता से मिले हैं इन्हें देखते हुए वह इस्लाम के सामाजिक सिद्धांतों को दोशयुक्त समझने लगता है । उसकी नज़र में इस्लाम का सामाजिक ढांचा अब पुराना हो गया है, क्योंकि आधुनिक रुझानों से मेल नहीं खाता । इसलिए वह वर्ग इस क़ैद से मुक्त होकर आधुनिक रुझानों के अनुसार सामाजिक ढांचे की बुनियाद रखना चाहता है कि जिसमें औरत और मर्द दोनों को बेलगाम आज़ादी हो, दोनों को एक ही सतह पर रखा जाये और किसी को किसी पर वर्ग की हैसियत से प्रभुत्व न हो । ये आधुनिक रुझान उन्हें मुस्लिम पर्सनल लॉ में परिवर्तन और एक नये सिविल कोड की बुनियाद की मांग पर आमादा कर रहे हैं ।

किन्तु आधुनिक सभ्यता जो इन्साफ़ के नाम पर बेइन्साफ़ी की लाठी चलाना चाहती है, वह कब इस हक़ीक़त को मानेगी वह तो बराबरी को ही सब कुछ क़रार देती है । हालांकि मनुष्य का स्वभाव बराबरी के इस विचार से अपरिचित है । बाप और बेटा मनुष्य होने के नाते यक़ीनन बराबर हैं । इसके बावजूद बाप को बेटे पर बरतरी हासिल है, बेटे के लिए ज़रूरी है कि वह उसका लिहाज़ करे । इसलिए बेटे पर बाप की फ़रमांबरदारी लाज़िम है । किन्तु यदि बराबरी के विचार को मान लिया जाए, तो कहना पड़ेगा कि बाप बेटे दोनों बराबर हैं : दोनों में वर्ग का कोई भेद-भाव नहीं है और बेटे के लिए बाप की फ़रमांबरदारी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता । यदि यह ज़रूरी है कि बेटा बाप का फ़रमांबरदार हो, तो इन्साफ़ और बराबरी के तक़ाज़े के अन्तर्गत यह क्यों न ज़रूरी समझा जाए कि बाप भी बेटे का फ़रमांबरदार हो । ख़ुदा के हुक्म से बेनियाज़ी इख़्तियार करने के नतीजे में इन्सान भटक कर कहां से कहां पहुंच जाता है ।

मुस्लिम देशों में मुस्लिम पर्सनल लॉ में किये जाने वाले परिवर्तन

जो लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ में नवीन रुझानों और विचारों के अनुसार परिवर्तन लाना चाहते हैं वे प्राय: इसके प्रमाण में मुस्लिम देशों का उदाहरण देते हैं । इनके विचार से जब मुस्लिम देशों में मुस्लिम पर्सनल लॉ में परिवर्तन किये गये हैं तो क्या भारत में मुसलमान संसार के मुसलमानों से कोई नये-निराले हैं जो किसी परिवर्तन का नाम लेना भी पसंद नहीं करते ? ये आपत्ति करने वाले वास्तव में वस्तुस्थिति का वास्तविक चित्र पेश नहीं करते और अतिश्योक्ति के साथ एक ग़लत भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं ।

सच तो यह है कि मुस्लिम देशों में भारी तादाद उन देशों की है जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, बल्कि शरई क़ानून ही लागू और कार्यरत हैं। सऊदी अरब, यमन, बहरैन, कुवैत, क़तर, अबूज़हबी, दुबई, अफ़ग़ानिस्तान, मालद्वीप, गिनी, सेंगाल, सुमालिया और नाइजीरिया इसके उदाहरण हैं । इन देशों में से किसी देश में हम्बली फ़िक़्ह लागू है तो किसी में मालिकी फ़िक़्ह,

कहीं हनफ़ी फ़िक़्ह को क़ानून का स्थान प्राप्त है तो कहीं शाफ़ई फ़िक़्ह को । सऊदी अरब में हम्बली फ़िक़्ह को क़ानून का स्थान प्राप्त है, बल्कि वहां संवैधानिक आदेशानुसार यह ज़रूरी है कि हर प्रकार का क़ानून किताब व सुन्नत (क़ुरआन व हदीस) और सहाबा (प्यारे नबी के साथियों) के चरित्र के अनुसार होना चाहिए । यमन में ज़ैदी फ़िक़्ह लागू है, दक्षिणी यमन में शाफ़ई या हनफ़ी क़ानून की पैरवी की जाती है । बहरैन में मालिकी, शाफ़ई और शिया फ़िक़्ह संबंधित व्यक्तियों पर लागू किया जाता है । कुवैत में इस्लाम का पारिवारिक नियम लागू है और सामान्य रूप से मालिकी फ़िक़्ह कार्यरत है । देखिए–

(Family Law Reform in the Muslim World, by Tahir Mahmood, p. 3)

अफ़ग़ानिस्तान के संविधान के अनुसार वहां का सरकारी धर्म इस्लाम है और तमाम धार्मिक मामले हनफ़ी फ़िक़्ह के अनुसार अंजाम दिये जाते हैं । प्रचलित इस्लामी क़ानून में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है । मालद्वीप में पारिवारिक क़ानून शाफ़ई मत का लागू है । अफ़्रीक़ी देशों चाड, गाम्बिया, गिनी, माली, मारटीनिया, नाइजीरिया, संगाल और सुमालिया में इस्लाम के पारिवारिक क़ानूनों में परिवर्तन के लिए अब तक कोई क़दम नहीं उठाया गया है । नाइजीरिया में मालिकी फ़िक़्ह को पारिवारिक और विरासती क़ानून का पद प्राप्त है ।

जिन मुस्लिम देशों ने पारिवारिक क़ानूनों में सुधार किये हैं, उनमें अधिकांश सुधारों की स्थिति यह है कि या तो विभिन्न फ़िक़्ही शास्त्रों में से किसी शास्त्र की बात को क़ानूनी हैसियत दे दी गयी है या फिर कुछ विस्तृत रूप देकर उसे नियमित कर दिया गया है, ज़िनमें से कितने ही नियम मात्र प्रशासनिक हैं । केवल दो मुस्लिम देश ऐसे हैं कि जहां इस्लाम के पारिवारिक क़ानूनों को समाप्त करके सेक्युलर ढंग का सिविल कोड लागू करने का दुस्साहस किया गया है । यह दो देश तुर्की और अल्बानिया हैं । तुर्की में यह परिवर्तन सन् 1926 ई० में लाया गया जबकि इस्लाम के पारिवारिक और विरासती क़ानूनों से विमुखता दिलाकर स्विट्ज़रलैंड के सिविल कोड को लागू कर दिया गया, पर तुर्की के बारे में कौन नहीं जानता कि वहां मुस्तफ़ा कमाल के शासन-काल में इस्लाम का चित्र किस तरह बिगाड़ा गया और किस ज़बरदस्ती से राज्य का गठन धर्म-विमुखता के आधार पर किया गया, यहां तक कि अरबी भाषा में अज़ान देने तक का निषेध कर दिया गया था । इसलिए ऐसे देश का उदाहरण पेश करके मुस्लिम पर्सनल लॉ में परिवर्तन के लिए कोई औचित्य नहीं जुटाया जा सकता और फिर इस तथ्य को भी झुठलाया नहीं जा सकता कि कोई मुस्लिम देश अगर शरीअत की मंशा के ख़िलाफ़ मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई परिवर्तन कर दे या उसे समाप्त करके कोई ग़ैर-इस्लामी कोड लागू करे तो न शरई हैसियत से उसे इसका अधिकार है और न इसे दूसरे देशों के मुसलमानों के लिए कोई अनुकरणीय उदाहरण बनाया गया है । फिर अगर तुर्की का उदाहरण दिया जाता है तो उन देशों का उदाहरण क्यों नहीं दिया जाता जिन्होंने इस्लाम के पारिवारिक और विरासती क़ानूनों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया है । ऐसे देशों के काल का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और जो एक दो नहीं, बल्कि उनकी तादाद काफ़ी है ।

इस्लाम के पारिवारिक और विरासती क़ानूनों को ख़त्म करने का दुस्साहस तो अब तक इसराईल की सरकार भी नहीं कर सकी है । तुर्की का सन् 1917 का बनाया हुआ पारिवारिक क़ानून, जो शरीअत की रोशनी में तैयार किया गया था और जिसको बाद में तुर्की की सरकार ने सन् 1926 ई० में समाप्त कर दिया था, अब तक इसराईल में मुसलमानों के लिए चलायमान है, अलावा इसके कि इसराईली सरकार ने उसको सामान्य राष्ट्रीय क़ानूनों के अन्तर्गत रखा है ।

रहा पाकिस्तान का उदाहरण जिसे परिवर्तन चाहने वाले बड़े उत्साह के साथ पेश करते हैं तो सच यह है कि पाकिस्तान में अब भी मुस्लिम पर्सनल लॉ ही है न कि सेक्युलर सिविल कोड । हां सन् 1961 के पारिवारिक क़ानूनों द्वारा कुछ 'सुधार' अवश्य किये गये हैं । इन 'सुधारों' का रूप भी अधिकतर प्रशासनिक है या कुछ को क़ायदे क़ानून का रूप दे दिया गया है, मोटे-मोटे सुधारों में से एक यह है कि हर शादी को रजिस्टर्ड करना ज़रूरी क़रार दे दिया गया है, पर ऐसा न करने पर विवाह समान सिविल कोड क़ानून के अनुसार नाजायज़ (अवैध) नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कुछ सज़ा प्रस्तावित की गयी है । दूसरा

'सुधार' यह है कि एक पत्नी की मौजूदगी में दूसरी के लिए आरबिट्रेशन कौंसिल से इजाज़त लेना ज़रूरी है पर ऐसा न करने पर कुछ सज़ा रखी गयी है न कि दूसरी शादी को बातिल (अवैध) क़रार दिया गया है । इससे स्पष्ट है कि एक से अधिक विवाह पर पूर्णत: पाबंदी नहीं लगायी गयी है । तीसरा यह कि तलाक़ के सिलसिले में मर्द पर अनिवार्य कर दिया गया है कि वह आरबिट्रेशन कौंसिल को इसकी सूचना दे । यह कौंसिल पति-पत्नी के बीच समझौता कराने की कोशिश करेगी । इससे स्पष्ट है कि इस क़ानून ने मर्द के हाथ से तलाक़ का अधिकार छीन नहीं लिया है बल्कि एक नियम बनाकर समझौते का एक अवसर जुटाया है । चौथा सुधार विरासत के संबंध में हुआ है और वह यह कि यतीम पोते और पोती को हिस्सा दिलवाया गया है जितना वह अपने बाप के ज़िन्दा रहने की हालत में दादा की जायदाद में पाते । इन 'सुधारों' पर शरई दृष्टि से आपत्ति की जा सकती है पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को निरस्त ही कर दिया गया हो और इसकी जगह पर ग़ैर-इस्लामी कोड लागू कर दिया गया हो और न ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में बड़े पैमाने पर कोई परिवर्तन किया गया है ।

फिर इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इन परिवर्तनों का पाकिस्तानी उलेमा ने बहुत कड़ा विरोध किया था और जनता ने घोर प्रदर्शन किया था, पर वहां के डिक्टेटरों ने लोकमत को कोई महत्व न दिया । डिक्टेटरशिप का यह उदाहरण हमारे लोकतंत्र के लिए कैसे दलील बन सकता है । इसके अलावा यह बात भी ध्यान देने की है कि पाकिस्तान की सरकार ने ये संशोधन मुसलमानों के पर्सनल लॉ में किये हैं जबकि मुसलमान बहुसंख्यक हैं पर क्या पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों के पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप किया गया है ? अगर ऐसा नहीं तो फिर पाकिस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ में किये गये संशोधनों से भारत के मुस्लिम पर्सनल लॉ में संशोधन के लिए, जबकि यहां के मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, किस प्रकार औचित्य निकल आता है ?

इंडियन सक्सेशन एक्ट

समान सिविल कोड की रूप-रेखा जान लेने के बाद भी अगर किसी को आग्रह हो कि समान सिविल कोड हिन्दू कोड जैसा नहीं हो सकता तो इससे हटकर भी इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 (Indian Succession Act 1925) और स्पेशल मैरेज एक्ट 1954 (The Special Marriage Act 1954) के आइने में भी समान सिविल कोड का प्रतिबिम्ब देखा जा सकता है ।

इंडियन सक्सेशन एक्ट मुसलमान, हिन्दू, बौद्ध, जैन और सिख सम्प्रदायों का अपवाद करके शेष तमाम नागरिकों के लिए लागू करने योग्य है–

(1) वसीयत पर कोई पाबंदी नहीं है । कोई व्यक्ति भी अपनी पूरी जायदाद के लिए वसीयत कर सकता है । (Section 59)

(2) अगर मय्यत ने वसीयत की थी और उसके पीछे संतान और विधवा है तो उसकी विधवा को 1/3 और सन्तान को 2/3 मिलेगा । (Section 33 to 43)

(3) अगर उसने सन्तान नहीं छोड़ी है तो विधवा को 1/2 मिलेगा और शेष भाग दूसरे नातेदारों को ।

(4) अगर उसने विधवा नहीं छोड़ी है तो पूरी जायदाद उसकी सन्तान को बांट दी जायेगी और सन्तान न मौजूद होने की सूरत में दूसरे नातेदारों में अगर दूसरे नातेदार भी मौजूद न हों तो वारिस सरकार होगी ।

(5) पति को उतना ही भाग मिलेगा, जितना कि पति की जायदाद में विधवा को मिलता है ।

(6) सन्तानों के बीच हिस्से बराबर-बराबर बटेंगे अर्थात लड़की और लड़के का भाग बरबार होगा ।

(7) सन्तानों में से अगर कोई मर चुका है तो उसका हिस्सा निकाला जायेगा और वह पोते-पोती को मिलेगा ।

(8) अगर मरने वाली की कोई सन्तान नहीं है तो विधवा का हिस्सा निकालने के बाद जायदाद इस तरह बंटेगी–

(क) अगर बाप ज़िन्दा है तो वह पूरी जायदाद का वारिस होगा ।

(ख) अगर बाप ज़िन्दा नहीं है तो मां, भाई बहन के बीच जायदाद बराबर-बराबर बंटेगी ।

स्पेशल मैरेज एक्ट

स्पेशल मैरेज एक्ट सन् 1954 के तहत कोई भी मर्द

और औरत शादी कर सकते हैं, बशर्ते कि वे मैरेज अफ़सर के सामने इस बात का एलान करें कि वे इस एक्ट के तहत शादी कर रहे हैं और यह एलान नियमित रूप से लिखित रूप में हो ।

इस एक्ट की बातें जो शरई क़ानून के ख़िलाफ़ हैं, निम्न हैं–

1. एक पत्नी की मौजूदगी में दूसरा विवाह करना अपराध है, जिसकी सज़ा सात साल तक की क़ैद है ।

2. चचेरे भाई, फुफेरे भाई, ख़लेरे भाई और ममेरे भाई से विवाह वर्जित है ।

3. तलाक़ का अधिकार सिर्फ़ अदालत को है । मर्द या औरत जो भी तलाक़ देना चाहता हो, उन कारणों के अलावा जो एक्ट में दर्ज हैं, किसी कारण को भी आधार बनाकर तलाक़ की दरख़्वास्त अदालत को दे सकता है और अगर अदालत बयान से संतुष्ट हो जाती है तो पति-पत्नी के बीच विभेद करा देगी ।

4. अगर औरत और मर्द दोनों विभेद चाहते हैं, तब भी उन्हें अदालत ही से तलाक़ लेनी होगी ।

5. तलाक़ की कोई दरख़्वास्त, विवाह के तीन वर्ष गुज़ारने से पहले पेश नहीं की जा सकती ।

6. अदालत द्वारा विभेद की स्थिति में जब तक कि एक वर्ष न बीत जाए, कोई फ़रीक़ दोबारा विवाह नहीं कर सकता ।

7. अदालत द्वारा विभेद की स्थिति में मर्द को औरत का नफ़्क़ा उस समय तक देना होगा जब तक कि औरत दूसरा विवाह नहीं कर लेती या उसका देहान्त नहीं हो जाता ।

8. जो व्यक्ति इस एक्ट के तहत विवाह करेगा, विरासत के सिलसिले में उसको जायदाद पर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 लागू करना होगा ।

मुसलमानों का दृष्टिकोण

हिन्दू कोड, इंडियन सक्सेशन एक्ट और स्पेशल मैरेज एक्ट का संक्षेप में जो सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया, उससे कुछ बातें स्पष्ट हो जाती हैं । एक यह कि तीनों एक्ट, जिस मस्तिष्क की पैदावार हैं, समान सिविल कोड भी उसी मस्तिष्क की पैदावार होगा । दूसरे यह कि जिस मस्तिष्क ने एक छोड़ तीन-तीन शरीअतें गढ़ रखी हों, वह बड़ी निर्लज्जता के साथ एक चौथी शरीअत भी समान सिविल कोड के नाम से गढ़ सकता है । तीसरे यह कि पारिवारिक समस्याओं के सिलसिले में बहुसंख्यक वर्ग के सोचने का ढंग वही है जिसका पाठ नयी सभ्यता ने पढ़ाया है । चौथे यह कि उपर्युक्त तीनों क़ानूनों में नये रुझानों व दृष्टिकोणों का बोलबाला है और अन्तिम बात यह कि इन तथ्यों की मौजूदगी में समान सिविल कोड की रूप-रेखा के बारे में अंदाज़ा करना कठिन नहीं है । इसकी रूप-रेखा बिल्कुल स्पष्ट है और उपर्युक्त तीनों एक्ट इसका प्रतिनिधित्व करते हैं ।

इसके बाद एक मुसलमान जो इस्लाम को अल्लाह का उतारा हुआ धर्म मानता हो मुस्लिम पर्सनल लॉ को शरीअत का महत्वपूर्ण भाग समझता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ का विरोधी और समान सिविल कोड का समर्थक कैसे हो सकता है ? वह मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी ऐसे परिवर्तन का भी समर्थन नहीं कर सकता है जो किताब व सुन्नत की मंशा के ख़िलाफ़ मात्र नयी सभ्यता के तक़ाज़ों को पूरा करने की दृष्टि से की जाए ।

अल्लाह का शुक्र है कि इस संबंध में मुस्लिम पर्सनल लॉ जागृत है और वह मुस्लिम पर्सनल लॉ में किसी भी परिवर्तन के लिए तैयार नहीं है और यह कि मुस्लिम महिलायें, जिनके बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ के विरोधी यह आरोपित करने की कोशिशें कर रहे थे कि वे शरई क़ानून से तंग आ गयी हैं और उदासीन हैं, वे मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के लिए कार्य-क्षेत्र में उतर पड़ी हैं । उन्होंने बंबई, नागपुर, नांदेड़, परभणी, हैदराबाद, पूना, अहमदाबाद, लखनऊ, इलाहाबाद, बंगलौर, कलकत्ता और कानपुर में बड़े-बड़े सम्मेलनों को आयोजित करके और हज़ारों की संख्या में शामिल होकर मुस्लिम पर्सनल लॉ के समर्थन में ज़ोरदार आवाज़ उठायी है । और खुल्लम-खुल्ला यह एलान किया कि शरई क़ानूनों से वे पूरी तरह संतुष्ट हैं और वे इनके लिए प्रयाप्त हैं ।

मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इस महत्व और धर्म में उसके स्थान तथा उसके समर्थन में मुसलमानों के जनमत को देखते हुए उसे ख़त्म करने या उसमें तब्दीली करने की मांग, जिस वर्ग की ओर से भी हो, सही नहीं हो सकती ।

मुसलमानों के तो किसी वर्ग को इस प्रकार की मांग शोभा ही नहीं देती ।

रहे ग़ैर-मुस्लिम, तो वे भी अगर मुसलमानों की समस्याओं और उनकी कठिनाइयों को समझने की कोशिश करेंगे तो मुसलमानों के साथ उदारता का मामला करने के लिए तैयार हो जायेंगे और मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिलसिले में मुसलमानों के दृष्टिकोण के बारे में किसी ग़लतफ़हमी में नहीं पड़ेंग, बल्कि इसको उनका दायित्व समझेंगे । इसी तरह सरकार को भी मुसलमानों के दृष्टिकोन ठीक-ठीक समझने की कोशिश करनी चाहिए और मुस्लिम पर्सनल लॉ के सिलसिले में कोई ऐसा क़दम नहीं उठाना चाहिए, जो धर्म में हस्तक्षेप के पर्याय हो, बल्कि ज़्यादा धार्मिक और सांस्कृति स्वतंत्रता का सुबूत देकर लोकतंत्र की दृढ़ता का सामान जुटाना चाहिए ।

सुधार का सही तरीक़ा

इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि मुस्लिम पर्सनल लॉ धार्मिक दृष्टि से जिस पतन का शिकार है, उसके नतीजे में उस सामाजिक जीवन में भी तरह-तरह के दोष पैदा हो गये हैं । न मर्द औरतों के हक़ ठीक तौर से अदा करते हैं और न औरतें ठीक तौर से मर्दों के हक़ अदा करती हैं । 'बड़ा' होने की हैसियत से मर्द को इस्लाम ने जो अधिकार दिये हैं उनका अनुचित प्रयोग भी होता है, पर इसकी कोई ज़िम्मेदारी इस्लाम और उसकी शरीअत पर नहीं आती, बल्कि इसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी समाज के व्यक्तियों पर आ पड़ती है, क्योंकि ऐसा केवल इसलिए है कि इस्लाम की शिक्षाओं पर पूरी तरह अमल नहीं किया गया । फिर इसका यह उल्टा इलाज सोचना कैसे सही हो सकता है कि इस बिगाड़ की ज़िम्मेदारी शरई क़ानूनों पर डालकर ग़ैर-शरई क़ानूनों को सुधार का ज़रिया बनाया जाए । आख़िर मुसलमानों के जीवन का कौन-सा अंग ऐसा है जिसमें बिगाड़ नहीं पाया जाता । अगर हर बिगाड़ की जिम्मेदारी इसी शरई हुक्मों पर डाली जाने लगे तो फिर इस्लाम से हाथ धोना पड़ेगा । इस्लाम से वह बैर और वर्तमान सभ्यता से यह मेल विष को अमृत समझना नहीं है तो और क्या है ?

सच तो यह है कि समाज के सुधार के लिए लोगों के भीतर ईश-भय पैदा करने, इस्लामी शिक्षाओं से उन्हें परिचित कराने, उनकी नैतिक चेतना को जगाने और जीवन उद्देश्य मन में बिठा देने की ज़रूरत है ताकि इस्लाम को वे जीवन-व्यवस्था के रूप में अपना सकें । और जीवन के हर भाग में उसका ठीक-ठीक पालन कर सकें । पर इसी के साथ इस बात की ज़रूरत से भी इन्कार नहीं किया जा सकता कि समाज की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इस बात का सर्वेक्षण किया जाए कि शरई क़ानूनों को कहां तक सही ढंग से लागू किया जा रहा है, और मुख्य रूप से औरतों को जिस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, उसे सामने रखते हुए तलाक़, खुलअ, आदि समस्याओं पर विचार किया जाए और ऐसे उपायों पर विचार किया जाए जिससे उनकी कठिनाइयां दूर हो सकें । अगर परिस्थितियों को सामने रखकर शरीअत की आत्मा के अनुसार क़ुरआन व हदीस की मर्यादाओं के भीतर पेश आने वाली समस्याओं का हल खोज निकाला जाता है और उसी के अनुसार विधान बना दिये जाते हैं तो निश्चय ही इस्लाम में इसकी गुंजाइश है, पर यह काम हर किसी के करने का नहीं है और न उन लोगों के करने का है जो नयी सभ्यता से प्रभावित हैं और जिनके बल पर राजनीतिक मसलहतें छायी हुई हैं । ऐसे लोग अगर संशोधन करने के लिए बैठ गये तो शरीअत का हुलिया ही बिगाड़ कर रख देंगे, बल्कि यह काम उन लोगों के करने का है जो धर्म का व्यापक ज्ञान और उसमें गहरी सूझ-बूझ रखते हों, सदाचार व संयम का जीवन बिताते हों और वर्तमान स्थितियों पर भी निगाह रखते हों । अल्लाह की मेहरबानी से ऐसे लोग इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं और सामूहिक रूप से इन लाइनों पर सोच-विचार का काम शुरू हो गया है । उम्मीद है कि इस ओर पेश आने वाली समस्याओं के हल की सही सूरतें और उचित उपाय सामने आ सकेंगे ।

● हज़रत अम्र बिन शुऐब अपने पिता से और वे अपने दादा (रज़ि॰) से रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने कहा : "अपने बच्चों को नमाज़ का हुक्म दो जब वे सात वर्ष के हो जाएं और जब वे दस वर्ष के हो जाएं, तो उन्हें नमाज़ के लिए मारो और उनके बिस्तर अलग-अलग कर दो ।" –अबू दाऊद

मुस्लिम पर्सनल लॉ में अनुचित हस्तक्षेप

■ डॉ॰ मुहम्मद नजीब क़ासिमी

भारतीय संविधान के अनुसार हर मुसलमान को यह अधिकार प्राप्त है कि वह इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, मगर कुछ लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमले करते रहते हैं । मुसलमानों के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बनाया गया है और मुसलमानों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ लोग जिनका संबंध बहुसंख्यक समुदाय से है, वे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लेकर हंगामा करते रहते हैं । भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ के लागू होने के बावजूद बहुसंख्यक समुदाय को पूर्ण अधिकार प्राप्त है कि वह अपने धर्म के एतिबार से ज़िन्दगी गुज़ारे । भारतीय मुसलमान न तो कोई विरोध करते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय अपने धर्म पर अमल क्यों करता है और न ही मुसलमानों की तरफ़ से कोई तहरीक है कि बहुसंख्यक समुदाय भी मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अमल करे।

भारतीय संविधान के अनुसार हर धर्म के मानने वालों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी धार्मिक शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करें । यही वह भारत की हज़ारों वर्ष पुरानी परंपरा है जिसको कुछ लोग ख़त्म करना चाहते हैं । देश में नफ़रत व दुश्मनी का बीज बोने वाले कुछ शरारती लोग देश को तरक़्क़ी की राह पर ले जाने और देश में शांति व सलामती स्थापित करने के बजाय सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस तरह के विषय उठाते रहते हैं, ताकि मुसलमानों में मतभेद पैदा किया जा सके और वे इन समस्याओं में उलझकर तरक़्क़ी न कर सकें ।

हमारे कुछ मुसलमान भाई अपने आपको बुद्धिजीवी समझकर कुछ शरई मसलों में उनकी 'हां' में 'हां' मिलाने लगते हैं, जिसकी वजह से तीन तलाक़, एक से अधिक शादी, तलाक़ के बाद औरत का नान व नफ़्क़ा, इस्लाम में औरतों का स्थान, औरतों के लिए परदा, लाउडस्पीकर पर अज़ान, मुस्जिद व मदरसों का निर्माण और विरासत जैसे कुछ मसले मीडिया की 'ज़ीनत' बन जाते हैं । कुछ लोग कुरआन व हदीस की दलीलों से जानकारी के बिना शरई मसलों में अपनी राय पेश करना शुरू कर देते हैं । पिछले दिनों एक बार में दी गयी तीन तलाक़ के विषय पर कुछ लोगों के लेख अख़बारों में प्रकाशित हुए ।

अत: मैंने ज़रूरत महसूस की कि आम मुसलमानों को यह बताया जाए कि 1400 साल से उम्मते मुस्लिम का 98 प्रतिशत से अधिक तबक़ा कुरआन व हदीस की रोशनी में इस बात पर एकमत चला आ रहा है कि एक बार तीन तलाक़ देने पर तीन ही तलाक़ पड़ेगी । मसला चूंकि सौ प्रतिशत दीनी है, अत: अक़्ली घोड़े दौड़ाने के बजाय केवल कुरआन व हदीस, उलमा व इस्लामी धर्मशास्त्रियों के कथनों की तरफ़ रुजूअ किया जाना चाहिए ।

निकाह की हक़ीक़त को समझना चाहिए कि निकाह की हैसियत अगर एक तरफ़ आपसी मामले और समझौते की है, तो दूसरी तरफ़ यह सुन्नत व इबादत की हैसियत रखती है । इस्लामी शरीअत की निगाह में यह एक बहुत ही गंभीर मामला है, जो इसलिए किया जाता है कि बाक़ी रहे यहां तक मौत ही पति-पत्नी को एक-दूसरे से अलग करे । यह एक ऐसा सम्माननीय रिश्ता है, जो तक्मीले इन्सानियत का ज़रिया और अल्लाह की प्रसन्नता व सुन्नत के अनुसरण का माध्यम है और यह एक ऐसा मामला है जिसके टूटने से न केवल पति-पत्नी प्रभावित होते हैं, बल्कि इससे पूरी घरेलू व्यवस्था की चूलें हिल जाती हैं और कभी-कभी ख़ानदानों में झगड़े तक की नौबत आ जाती है, इसीलिए अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने इरशाद फ़रमाया–

"अल्लाह तआला की हलाल की हुई चीज़ों में तलाक़ से ज़्यादा घिनौनी और कोई चीज़ नहीं है ।" (अबू दाऊद)

इसीलिए जो कारण इस पवित्र रिश्ते को तोड़ने का माध्यम बन सकते हैं, उन्हें रास्ते से हटाने का शरीअत ने पूरा प्रबंध किया है । अत: पति-पत्नी में मतभेद होने की सूरत में सबसे पहले एक-दूसरे को समझाने की कोशिश की जाए, फिर डांट-डपट की जाए और इससे भी काम न चले और बात बढ़ जाए, तो दोनों परिवार के कुछ लोग मिलकर

मामला तय करने की कोशिश करें । लेकिन कभी-कभी हालात इस हद तब बिगड़ जाते हैं कि सुधार की ये सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं और दाम्पत्य जीवन दुखमय बन जाता है ।

ऐसे हालात में दाम्पत्य संबंध को ख़त्म कर देना ही न केवल दोनों के लिए बल्कि दोनों परिवारों के लिए शांति व सुकून का कारण होता है । इसीलिए इस्लामी शरीअत ने तलाक़ और फ़स्ख़े निकाह (ख़ुलअ) का क़ानून बनाया, जिसमें तलाक़ का अधिकार केवल मर्द को दिया गया, क्योंकि उसमें स्वभावत: औरत की तुलना में सोचने-समझने व बर्दाश्त करने की क्षमता अधिक होती है, लेकिन औरत को भी इस अधिकार से वंचित नहीं किया गया, बल्कि उसे भी यह अधिकार दिया गया है कि वह शरई अदालत में अपना दृष्टिकोण पेश करके क़ानून के अनुसार तलाक़ प्राप्त कर सकती है, जिसको ख़ुलअ कहा जाता है ।

अगर किसी व्यक्ति ने मुर्खता और अज्ञानता का सबूत देते हुए तलाक़ के बेहतर तरीक़े को छोड़कर ग़ैर-इस्लामी तौर पर तलाक़ दे दी, जैसे तीन तलाक़ें नापाकी के दिनों में दे दीं या एक ही पाकी में अलग-अलग समय में तीन तलाक़ें दे दीं या अलग-अलग तीन तलाक़ें ऐसे तीन पाकी के दिनों में दीं जिसमें कोई सोहबत की हो या एक ही समय में तीन तलाक़ें दे दीं, तो इसका क्या असर होगा ? उपर्युक्त सारे ग़ैर-इस्लामी सूरतों में तीन ही तलाक़ पड़ने पर पूरी मुस्लिम उम्मत सहमत है, सिवाय एक सूरत के, कि अगर कोई व्यक्ति एक बार में तीन तलाक़ दे दे, तो क्या एक वाक़ई या तीन ।

इस्लामी धर्मशास्त्री सहाबा किराम हज़रत उमर फ़ारूक़ (रज़ि॰), हज़रत उस्मान (रज़ि॰), हज़रत अली (रज़ि॰), हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ि॰), हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ि॰), हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि॰), हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि॰) इत्यादि, तीन ही तलाक़ पड़ने के क़ायल थे । इस्लामी धर्मशास्त्रियों, उलमा और इस्लामी भाष्यकारों के अनुसार तीन ही तलाक़ पड़ेगी और चारो इमाम (इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई और इमाम अहमद बिन हंबल (रह॰) की सर्वसम्मत राय भी यही है कि एक बार में तीन तलाक़ देने पर तीन ही पड़ेगी । उलमा किराम की दूसरी छोटी-सी जमाअत ने जिन दो हदीसों को बुनियाद बनाकर एक मजलिस में तीन तलाक़ देने पर एक पड़ने का फ़ैसला सुनाया है, बहुत-से उलमा किराम और इस्लामी धर्मशास्त्रियों ने इन हदीसों को अविश्वसनीय ठहराया है ।

क़ुरआन और हदीस की रोशनी में 1400 वर्ष से उम्मते मुस्लिमा की 98 प्रतिशत से अधिक संख्या इसी बात पर सहमत है कि एक मजलिस की तीन तलाक़ें तीन ही गिनी जाएंगी, अत: किसी व्यक्ति ने एक बार में तीन तलाक़ें दे दीं, तो रजअत का इख़्तियार ख़त्म हो जाएगा, फिर पति-पत्नी आपसी रज़ामंदी से भी दोबारा निकाह करना चाहें, तो यह निकाह दुरुस्त और हलाल नहीं होगा, यहां तक कि यह औरत तलाक़ की इद्दत गुज़ारने के बाद किसी और व्यक्ति निकाह करे, फिर अगर संयोगवश उसका यह दूसरा पति भी तलाक़ दे दे या उसकी मृत्यु हो जाए, तो फिर इसकी इद्दत पूरी करने के बाद उसका पहले पति से निकाह हो सकता है । इस्लामी जगत के दूसरे ख़लीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि॰) के शासनकाल में एक मजलिस में तीन तलाक़ें देने पर अनगिनत अवसरों पर विधिवत रूप से तीन ही तलाक़ का फ़ैसला सुनाया जाता रहा, किसी एक सहाबी (रज़ि॰) का मतभेद, जहां तक कि किसी ज़ईफ़ रिवायत से भी नहीं मिलता ।

25 yrs. Service (Regd.)
AL KAUSAR HOLY HERBAL
HOSPITAL & RESERCH CENTRE
(A minority Unit of Islamic Medicine Under Art.30 (1) Const. of India)
Founder: **Al-Hajj Dr. ABDUR RASHEED**
Ph.D. (HOLISTIC HERBAL)
Medicine of Hazrat Mohammad (S.A.W)
By faith of ALLAH
Shyamganj Road, B.Deoghar - 814112
(Jharkhand) India
Kidney, Heart, Liver, Pancreas, Uterus, disorders, Pain Control, Asthama, Child Birth (Cardio, Uro, Nephro, Neuro, Gastroe, Gynae, Hemato, Diabeto Intercentral cardio, Bronco etc.)
Recharge your body, mind, psyco, soul, desire heart way of "Islamic medicine". Further treatment require or not feels within 7 to 19 days
(Rooms available)
Enquiry: 9955725769, E-mail: alkausarreached@gmail.com
Bank of India, Deoghar Branch A/c-446110100000871
IFS Code No. BKID 0004461

डायन की आड़ में महिलाओं का जारी है दमन

■ बाबूलाल नागा

पहले कन्या देवी और अब रामकन्या । पिछले 20 दिन में राजस्थान में डायन के नाम पर दो महिलाएं पुरुष प्रधान समाज की ओछी मानसिकता की शिकार हुईं । दोनों ही मामले बेहद शर्मनाक और क्रूर । पहले मामले में अजमेर के केकड़ी में डायन के नाम पर दलित महिला कन्यादेवी की जान ले ली गयीं वहीं दूसरे मामले में भीलवाड़ा के भौली गांव में रामकन्या को 20 दिन तक एक कमरे में बंद कर भूख-प्यास से तड़पने को मजबूर कर दिया गया । दोनों ही मामलों में इन महिलाओं को डायन बताकर उनके ही परिजनों और पड़ोसियों ने प्रताड़ित किया ।

डायन बताकर महिलाओं को मारने और उनके परिवार को प्रताड़ित करने की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रही है । डायन के नाम पर औरतों के साथ ज़्यादती की ऐसी कई कहानियां हैं । इसमें कोई दो राय नहीं की हमारे समाज में डायन प्रथा दिन-प्रतिदिन भयावह रूप लेती जा रही है । इस कुप्रथा के चलते न जाने कितनी ही महिलाएं प्रताड़ित की जा रही हैं । अधिकतर ऐसी घटनाओं की भेंट वो महिलाएं ज़्यादा चढ़ती हैं जो कमज़ोर व बेसहारा रहती हैं । आदिवासी व दूरदराज़ के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाएं भी ऐसी घटनाओं की शिकार होती हैं ।

सबसे ज़्यादा दलित महिलाओं को ही डायन के नाम पर बलि चढ़ाया जाता है । महिलाओं को डायन के नाम पर ऐसी घिनौनी व अमानवीय यातनाएं दी जाती हैं कि सुनकर रूह कांप जाए । कभी किसी महिला को डायन या पागल क़रार देकर गांव भर में निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तो कभी बर्बरता से पीटा जाता है । गुप्तांगों और नाक-मुंह में मिर्ची भरना, सिर के बाल मूंड देना जैसी घटनाएं इसी बर्बरता की निशानी है । कुछ मामलों में तो महिला को डायन के नाम पर गांव से बाहर जाने का फ़रमान सुना दिया जाता है । हद तो तब हो जाती है, जब डायन बताकर महिला को मल-मूत्र पिलाया जाता है । निर्वस्त्र कर उसका सामूहिक बलात्कार किया जाता है । ऐसी अमानवीय घटनाओं के बारे में लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । देखा जाए तो यह पुरुष प्रधान समाज की ओछी मानसिकता है, जिसके ज़रिये वह महिलाओं के रास्ते में कांटे बिछाना चाहता है ।

बार-बार ज़ेहन में सवाल आते हैं कि आख़िर इस डायन नाम से महिलाओं को कब मुक्ति मिल पाएगी ? क्या यह मान लिया जाए कि डायन शब्द महज़ महिलाओं के लिए ही गढ़ दिया गया है ? क्या हमारे समाज में यूं ही औरतों को डायन बताकर सताने का सिलसिला जारी रहेगा ? जीवित स्त्री को ही भूत-प्रेत मानने जैसी धारणा क्यों बना दी जाती है ? निस्संदेह एक सभ्य समाज में डायन नाम देकर नारी का इस तरह अनादर करना शर्मनाक व चिंताजनक है । हमारे देश के लिए ये कलंक है, लेकिन इस मुद्दे पर समाज अभी तक जागरूक नहीं हो सका है ।

इस गंभीर समस्या के निराकरण के लिए कई लोग और कई संस्थाएं लड़ाई लड़ रही हैं । लेकिन ये कुप्रथा गांवों में इस तरह से फैली हुई है कि इतनी जल्दी इससे छुटकारा संभव नहीं लग रहा । तमाम तरह की योजनाओं और कई संस्थाओं के काम करने के बावजूद इस कुप्रथा को लोगों के दिमाग़ से नहीं निकाला जा सका है । लोग इसे ही सही मानकर जी रहे हैं लेकिन डायन के नाम पर औरतों के साथ ज़ुल्म करने वाले लोग समझ नहीं पा रहे कि वे ऐसा करके इस सामाजिक बीमारी को और बढ़ावा ही दे रहे हैं ।

भारत में क़ानून की हुकूमत और सामाजिक चेतना के बावजूद डायन प्रथा और उसके हिमायती हार मानने को तैयार नहीं हैं । अगर बात हमारे प्रदेश की करें तो महिलाओं को डायन कहकर प्रताड़ित करने वालों के ख़िलाफ़ शिकंजा कसने के लिए राजस्थान में डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 बना है । पर ज़मीनी स्तर पर देखें तो यह क़ानून पंगु साबित हो रहा है । न तो इस क़ानून की आमजन को ज़्यादा कुछ जानकारी है और न ही इस क़ानून को लेकर लोगों में कोई भय । प्रदेश में यह क़ानून अभी तक कारगर सिद्ध नहीं हो पाया है ।

अभी यह भी तय नहीं कि भविष्य में यह क़ानून कितना कारगर साबित होता है । क्योंकि प्रदेश में देखा गया है कि डायन प्रताड़ना के मामलों में पुलिस हर बार मामले

قال اللہ تعالیٰ

احل اللہ البیع وحرم الربوا (القرآن)

اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام فرمایا۔

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Eat Halal Earn Halal

HALAL
INVESTMENT & FINANCE

Best Concept For Bright Future & Best Economic Conditions

Nihal Co-Operative Credit Society Ltd.

Eat Halal Earn Halal
INTEREST FREE INVESTMENT & FINANCE

Regd No. TNA/(TNA)/RSR/1029 Year : 1998/99
Regd. Office : 3rd Floor, Nihal House,
N. H. School Road, Opp. Ideal Tower, Mira Road (E)

Mumbai (Maharashtra)

Chairman : Janab Imammuddin Nihaluddin Shaikh

Contact Us : 9022665544, 9869641648

को रफ़ा-दफ़ा करने में ही रहती है । इस क़ानून के तहत मामले दर्ज करने में कोताही बरती जाती है । अत: इस क़ानून का कितना सदुपयोग होता है, कितना लोगों में भय होता है । यह भी देखने वाली बात है ।

दरअस्ल अन्य अपराधों की तरह ही डायन के नाम पर होने वाले अत्याचार को रोकना भी राज्य सरकार का काम है । इस मामले में केस दर्ज करना, जांच करना और मुक़दमा चलाने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों की है । प्रदेश के अकेले भीलवाड़ा ज़िले में पिछले 20 साल में डायन प्रताड़ना के 87 मामले आ चुके हैं । इनमें एक दर्जन से ज़्यादा महिलाओं की मौत हो चुकी है । वर्ष 2017 में अब तक ज़िले में 12 मामले सामने आये हैं । इसके बाद भी महिलाओं को डायन प्रताड़ित करने की घटनाएं जारी हैं ।

भीलवाड़ा ज़िले में पिछले चार दशक से महिला मुद्दों पर कार्यरत और बाल व महिला चेतना समिति से जुड़ी तारा अहलूवालिया का कहना है कि राजस्थान में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं इसका अंदाज़ा इन घटनाओं से हो जाता है । राजस्थान की मुख्यमंत्री महिला सशक्तीकरण की बड़ी-बड़ी बातें करती हैं पर एक महिला मुखिया के राज में महिलाओं की दुर्गति की घटनाएं प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं । निरंतर हो रही ऐसी घटनाओं से एक तरफ़ तो समाज में दबंगों की दबंगई को बढ़ावा मिलता है और दूसरी तरफ़ आम जनता का पुलिस और क़ानून से विश्वास उठता है ।

पिछले 30 वर्षों के अनुभव में आज तक किसी भी आरोपी को मुकम्मल धारा में सज़ा नहीं मिली । डायन प्रथा महिला हिंसा का एक वीभत्स रूप है । इससे न केवल एक व्यक्ति बल्कि पूरा परिवार तितर-बितर होकर एकाकीपन व तिरस्कार में जीने पर मजबूर हो जाता है । राजस्थान सरकार को इसकी भयावहता को गंभीरता से लेना चाहिए जिससे ख़ास तौर पर ग्रामीण महिलाएं सम्मानपूर्वक जीवन जी सके । नेशनल फेडरेशन ऑफ़ इंडियन वूमन से जुड़ी व सामाजिक कार्यकर्ता निशा सिद्धू का कहना है कि राजस्थान डायन प्रताड़ना विधेयक 2015 क़ानून एक लंबी लड़ाई के बाद हासिल हुआ । पर दुख की बात है कि यह क़ानून आज बेअसर दिखायी देता है । पुलिस कर्मचारी इस नये क़ानून से पूरी तरह बेख़बर हैं । पुलिस अब भी प्रचलित तरीक़े और क़ानून के तहत मामूली कार्यवाही कर पल्ला झाड़ लेती है । ऐसे में पीड़िता को कैसे न्याय मिलेगा ।

अगर पिछले अनुभवों को देखते हुए बात करें तो इस तरह के न जाने कितने विधेयक व क़ानून मोटी-मोटी किताबों में दबकर रह गये हैं । अत: महज़ क़ानून के भरोसे इस तरह की समस्याओं का समाधान नहीं होगा । अगर वाक़ई में डायन प्रथा का अंत करना है, तो इसके लिए एक सामाजिक चेतना की आवश्यकता है । कुछ समस्याओं का समाधान प्रसार और लोगों की मानसिकता बदले बग़ैर संभव नहीं है ।

डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित होने से बचाने के लिए क़ानून के साथ समाज में फैल रहे अंधविश्वास के ख़िलाफ़ ज़ोरदार बिगुल बजाने की ज़रूरत है । क्योंकि इस प्रथा के लिए सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार तेज़ी से पांव पसार रहा यह अंधविश्वास है । बहरहाल, सच्चाई यह है कि आज़ादी के 70 साल बाद भी उन महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो पाया है जो डायन नाम पर एक सुनियोजित षड्यंत्र के चलते इस बर्बर व नृशंस कृत्य की शिकार होती है ।

(विविधा फ़ीचर्स)



KIDS CARE

MONTESSORI & PRIMARY SCHOOL



- Montessori to Class - V
- A Huge Playground for Outdoor Games
- Efficient and Trained Teachers
- Learning through Computers
- Homely Environment
- CCTV Monitored

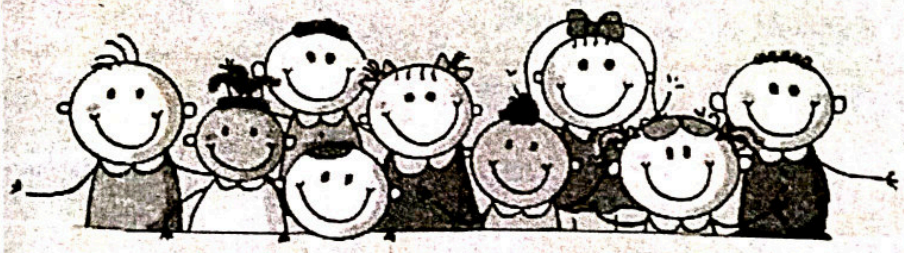

ADMISSION OPEN

A unit of
Al-Falah Educational & Welfare Trust

58, Tiljala Road, Kolkata - 700046

CONTACT : 9874359433 / 9432340275

Website: www.kidscareschool.org

बच्चे और इंटरनेट

बच्चों ! यह सच है कि सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, ढेर सारी जानकारियां देता है लेकिन इससे सावधान रहने की भी ज़रूरत है । इससे अच्छी जानकारी प्राप्त करें, अच्छे खेल खेलें लेकिन पश्चिम बंगाल के उस बच्चे की तरह कोई ग़लती न करें जिसने वहां ज़बरदस्त सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर दी । एक विशेष संप्रदाय पर किये गये आपत्तिजनक कमेंट को एक किशोर ने अनजाने में ही आगे बढ़ा दिया । वह नहीं जानता था कि इसकी आग इतनी भयानक हो जाएगी इसलिए सवाल उठता है कि बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल को क्या सीमित कर देना चाहिए ? इंटरनेट इस्तेमाल के सीमित कर देने से उन्हें सोशल मीडिया के दुष्प्रभाव से नहीं बचाया जा सकता । ब्रिटेन के एजूकेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के एक नये शोध में यह पाया गया है कि इसका प्रभाव सीधे-सीधे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ता है । विकसित देशों में इंटरनेट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल इंग्लैंड के किशोर ही करते हैं ।

भारत के लिए भी ख़बर अच्छी नहीं है । ब्रिटेन के अध्ययन में कहा गया है कि भारतीय बच्चे इंटरनेट पर गंदी वेबसाइटों को ज़्यादा खोजते हैं । यह ख़बर कंप्यूटर साफ़्टवेयर बनाने वाली कंपनी मैकफी ने दी है और इससे भारत के कितने ही अभिभावकों की नींद उड़ गयी है । मैक़फी का मानना है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के मुक़ाबले आपत्तिजनक वेबसाइटों पर भारत के बच्चे ज़्यादा पहुंच रहे हैं । अब मोबाइल हर बच्चे के हाथ में देखा जाता है और अभिभावक उन पर कितनी नज़र रखेंगे । शोध में यह पाया गया कि लगभग 36 फ़ीसद अभिभावकों का कहना है कि वे इस मामले में काफ़ी सतर्क हैं और बच्चों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए साफ़्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं । मैकफी के सर्वे में लगभग 50 फ़ीसदी माता-पिता ने यह स्वीकार किया कि उनके बच्चे अनुचित वेबसाइट पर जाते हैं । इस मामले में जगह-जगह खुले साइबर कैफे भी बच्चों को गुमराह करने में मदद कर रहे हैं । आपत्तिजनक

'कान्ति' (मा०) का आगामी विशेषांक

'इस्लामी जीवन दर्शन'

अगला अंक पढ़िए

पृष्ठ-116, क़ीमत प्रति अंक 60 रुपये

डी-314, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
नई दिल्ली-25

वेबसाइटों पर जाने के मामले में भारतीय बच्चे अन्य 13 देशों से आगे हैं । शोध में पाया गया कि आस्ट्रेलिया के 26 फ़ीसद, ब्राजील के 45 फ़ीसद, फ्रांस के 41 फ़ीसद अमेरिका के 37 फ़ीसद और ब्रिटेन के 23 फ़ीसद बच्चे अनुचित वेबसाइटों को देखते हैं ।

इन आपत्तिजनक वेबसाइटों को देखने वाले बच्चे मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं । इंग्लैंड के चाइल्ड कमिश्नर ने आपत्तिजनक वेबसाइटों का बच्चों पर प्रभाव के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बड़ी तादाद में बच्चे इंटरनेट पर आपत्तिजनक सामग्री देख रहे हैं । इस बारे में यह भी कहा गया है कि अन्य चीज़ों को तलाशते समय आपत्तिजनक साइट बच्चों के सामने आ जाती है । इस तरह की जानकारी देते हुए 11 साल के एक बच्चे ने बताया कि कुछ हफ़्ते पूर्व उसने एक स्मार्ट फ़ोन पर बेहद अश्लील वीडियो देखा जिसकी याद उसके दिमाग़ से अब तक़ नहीं मिट पायी । इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आज जब अत्यधिक हिंसक और दूसरे को कष्ट देने वाले दृश्य क्लिक करके देखे जा सकते हैं तो स्कूली शिक्षा के सामने निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है ।

इंटरनेट पर ढेर सारी अच्छी-अच्छी किताबें मिलती हैं। किताबें सबसे अच्छी दोस्त होती हैं । इन्हें बाज़ार से भी ख़रीदा जा सकता है । अभिभावकों का भी यह कर्तव्य है कि बच्चों को किताबें लाकर दें और उनकी पसंद का भी ध्यान रखें । बच्चों को किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित करें । मोबाइल देखना बच्चों की आदत में शामिल हो गया है तो उस पर अच्छी किताबें, अच्छे विचार देखें । इससे उनका मानसिक विकास होगा । इन पंक्तियों को लिखने का हमारा भी यही आशय है कि यदि गंदी, आपत्तिजनक, डरावनी वेबसाइट आप देख रहे हैं तो उन्हें देखना बंद कर दें । इंटरनेट को अपना ऐसा दोस्त बनाएं जो बुराइयों से दूर कर आपको अच्छाई की राह दिखाए ।

मुद्रक एवं प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत ट्रस्ट (रजि॰), D-314, दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर, नयी दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं भारत ऑफ़सेट प्रेस, 2035, क़ासिम जान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-110006 से मुद्रित । फ़ोन : 011-26949430, 09818799223

संपादक : डॉ॰ मुहम्मद अहमद

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है ।



With Best Compliments From :

DILKUSHA NURSING HOME PVT. LTD

94A, Dilkusha Street, Kolkata-700 017
Phone : (033) 2287 4318, 22803639, 2290 1971
Fax : (033) 2290 1970
E-mail : ddilkusha@gmail.com

- This is a 36 bedded Modern Nursing Home including 6 bedded Elegant INTENSIVE CARE UNIT general surgery LAPAROSCOPIC, GALL BLADDER, APPENDEX AND ORTHOPAEDIC Surgery with latest C-ARM IMAGE INTENSIFIER and also provision for all categories of patients including Maternity and Modern Nursery attached with full fledged DIAGNOSTIC DIVISION equipped with latest U.S.G., X-Ray machines and PATHOLOGY UNIT etc.

- Maxillofacial & Microvascular Reconstruction of the Oro-Facial Region with Radial Forearm Flap. Plastic and Cosmetic Surgery Piles Removal by imported IRC etc. are regularly done. Specialists in all streams including Oncolgy, Urology, Gastroenterology etc.

- Polyclinic, In-house Medicine Shop, 24-hours expert Doctors, RMOs, Matrons, Trained Nursing Staff.

- charges moderate.

Posted on 20-21 October 2017
November 2017
E-mail: kantihindimonthly@yahoo.com
Publishing Date: 18.10.2017

हिन्दी भाषियों की त्रासिक पत्रिका
कान्ति

RNI 53372/91
DL(S)-01/3147/2015-2017
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U (SE)-73/2015-2017

Bengal Footwear Co.

Kohinoor's

Stockist : Moti, Apollo, Ashoka, Uttam, SSC etc.



ख़ुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तक़दीर से पहले
ख़ुदा बन्दे से ख़ुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है ।

Bengal Footwear Co.
39, Rabindra Sarani,
Kolkata-700073